





तम्बाकू बोर्ड

वार्षिक प्रतिवेदन

2023 - 24





विश्व भर में अधिमान्य विकल्प...

भारतीय तम्बाकू आपके सभी विकल्पों का समाहार



तम्बाकू बोर्ड भारत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार

गुण्डूर - 522 004 (आं.प्र), भारत / फोन : 0863 2358399

ई-मेईल : info@tobaccoboard.co.in वेबसाईट : www.tobaccoboard.com

विषयसूची

बोर्ड संघटन	5
वरिष्ठ प्रबंध	6-7
2023-24 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियाँ - एक पुनरवलोकन	8
2023-24 के दौरान बैठकें	9-10
दि. 31/03/2024 तक मंजूर और मौजूदा संख्या दर्शानेवाली विवरण	11
तम्बाकू बोर्ड का संघटनात्मक चार्ट	12
फसल योजना & नियंत्रण	
I. भारत में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ	13
II. 2023-24 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति	13-14
III. 2023-24 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टिताएँ	14
IV. 2023-24 के लिए पंजीकरण मापदण्ड - विशिष्टिताएँ	14-15
V. 2023-24 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार क्षेत्रफल तथा प्राधिकृत उत्पादन कोटा	15-16
VI. उत्पादन नियंत्रण अभियान	16
VII. 2023-24 के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों के विवरण	17
VIII. 2023-24 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट	17-19
IX. 2023-24 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट	19-22
X. 2023-24 के दौरान आधिक्य / अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री	22
XI. तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों का प्रोत्साहन	22
XII. आन्ध्र प्रदेश में उकामि से अन्य क्षेत्र को बखारों की शिफिटिंग	23
XIII. केंद्रीय, राजमहेन्द्री को कृषि लागत अध्ययन को प्रदान करना	23
XIV. किसानों को उत्पादन संबंधित सेवाएँ	23-24
XV. दि. 31/03/2024 तक आन्ध्र प्रदेश में 2023-24 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रोयर रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	25-26
XVI. आन्ध्र प्रदेश में 2022-23 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रोयर रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	27-28
XVII. कर्नाटका में 2023-24 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रोयर रजिस्ट्रेशन और प्लानटेशन विवरण	29
विस्तार और परामर्श सेवाएँ	
I. विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति	30-33
II. फार्म यांत्रिकीकरण - पीवीसी/एचडीपीई पार्फ्यूम	33
III. संपोषित तम्बाकू उत्पादन (एसटीपी) सूत्रपात्रों के द्वारा तम्बाकू की उपज और गुणता की वृद्धि से संबंधित विस्तार और विकास योजनाएँ	33-39

IV.	क्यूरिंग प्रयासों की वृद्धि - ऊर्जा संरक्षण उपाय	39-41
V.	पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध - उत्पाद अखंडता के लिए उपाय	41-43
VI.	प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण	43-52
VII.	ऑन-फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण	52
VIII.	नमूना परियोजना क्षेत्र	53
IX.	अपना ईंधन स्वयं पैदा करना	53-54
X.	प्यापारी और केन्द्रीय सरकार अनुसंधान संस्थाओं के सौजन्य से तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये अनुसंधान परियोजनाएँ	54-56
XI.	2023-24 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय	56
XII.	2023-24 फसल मौसम-विस्तार & विकास योजनाएँ-भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ	57-58
XIII.	2023-24 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अ.जा/अ.ज.जा/महिला एवं अन्य ग्रोयरों को कवरेज तम्बाकू बोर्ड पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समर्थता निर्माण (प्रशिक्षण) कार्यक्रम	59-61
		62

ग्रोयर कल्याण पहलू (सूत्रपात)

I.	तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि	63
	योजना का आरंभ से दि.31/03/2024 तक अनुदान / व्याज मुक्त ऋण के रूप में मंजूर वित्तीय सहायता को दर्शनेवाले विवरण	64

प्लैटफार्म पर नीलामकार की सेवाएँ

I.	आन्ध्र प्रदेश में 2022-23 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	65-68
II.	कर्नाटक में 2023-24 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	68-71
III.	आन्ध्र प्रदेश में 2023-24 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	71-73
IV.	2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान विपणित कुल तम्बाकू का कुल परिमाण	73
	अनुलग्नक-I : दि. 01/04/2023 से 31/03/2024 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक नीलामियों में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण	74-75
	अनुलग्नक-II : 2023-24 आन्ध्र प्रदेश नीलाम - 31/03/2024 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण	76
	अनुलग्नक-III : 2023-24 कर्नाटक नीलाम - 31/03/2024 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण	77
	अनुलग्नक-IV: 01/04/2023 से 31/03/2024 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक नीलामियों में कंपेनी वार एफसीवी खरीदी विवरण	78-80

व्यापार संक्षेप

I. प्रोसेसर/निर्माणकर्ता/वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता/तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक/पैकर/तम्बाकू डीलरों के रूप में पंजीकरण	81
--	----

भारत से तम्बाकू & तम्बाकू उत्पादों के निर्यात

I. भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण	82-90
II. निर्यात संवर्धन गतिविधियाँ	90-93

राजभाषा कार्यान्वयन

I. राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए लिये उपाय, हिन्दी शिक्षण योजना, हर दिन एक शब्द सीखिये, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ, कम्प्यूटरों पर हिन्दी और कार्यशालाएँ	94-95
--	-------

वित्त एवं लेखा

I. आंतरिक संपत्तियाँ	96
II. बजट आकलन	96-97
III. दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुणदूर की लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की पृथक लेखा-परीक्षण रिपोर्ट	98-102
तम्बाकू निधि लेखा - 31/03/2024 तक वित्तीय विवरण तुलन-पत्र	103
31 मार्च, 2024 अंत तक अवधि/वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा	104
उद्दिष्ट निधियों का निधि शेष (तुलन पत्र)	105-107
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान	108-116
अनुसूची - 24 : दि.31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	117-121
अनुसूची - 25 : दि.31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर आकरिमक देयताएँ तथा नोट	122-124
लेखाओं पर टिप्पणी	125-134
2011-12 से 2023-24 तक गैर-योजना & योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह (प्लो) स्थिति दर्शाने वाला विवरण	135
संकेताक्षर	136

बोर्ड संघटन

(दि. 01/04/2023 से 31/03/2024 तक)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड, निम्नानुसार गठित किया गया था :

धारा 4 की उपधारा 4 (क) के अंतर्गत अध्यक्ष का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री डी.वी. स्वामी, भा.प्र.से., अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड (दि. 02/05/2023 से 01/11/2023 तक)

श्री चिडिपोतू यशवंत कुमार, अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड (दि. 02/11/2023 से अब तक)

धारा 4 की उपधारा 4 (ख) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री अरविंद धर्मपुरी, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)

श्री वल्लभनेनी बालशौरी, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)

श्री जी.वी.एल.नरसिंहा राव, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा)

धारा 4 की उपधारा 4 (ग) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री विजय राज मोहन, निदेशक (व्यापार - कृषि से संबंधित), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय।

श्री अभिमन्यु कुमार, भा.प्र.से., निदेशक(वाणिज्य से सम्बंधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग।

डॉ. सी.वनलाल राम संगा, आर्थिक सलाहकार (वित्त से सम्बंधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग।

श्री संपा साहा, निदेशक (औद्योगिक विकास से सम्बंधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग।

श्री मागंटी शेषु माधव, निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था, राजमहेन्द्रवरम।

श्री एस.जे. सोलंकी, भा.प्र.से., कृषि निदेशक, गुजरात सरकार।

डॉ. जी.टी. पुत्रा, कृषि निदेशक, कर्नाटक सरकार।

श्री गोपाल कृष्ण त्रिवेदी, भा.प्र.से., विशेष प्रधान सचिव, खाद्य, कृषि & सहयोग विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (घ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री वी.वी. देशमुख, कृषि निदेशक, महाराष्ट्र सरकार।

डॉ. एम. मुत्तु कुमार, निदेशक - कृषि & खाद्य उत्पाद, ओडिशा सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (ङ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री मारेहु शुब्रहमण्येश्वर रेहु

श्री एच.सी. बसवराज

श्री पोद वरप्रसाद राव

श्री एच.आर. दिनेश

श्री मिट्टूपल्ली रमेश बाबू

श्री कोप्परावुरी रमेश बाबू

श्री विक्रम राज, जी.सी.

श्री बोड्हपाटी ब्रह्माय्या

श्री गुत्ता वासु बाबू

श्री वी. रमेश पाई

धारा 4 की उपधारा 4 (च) के अंतर्गत - पदेन-सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

डॉ. नादेडळा विजय लक्ष्मी, भा.प्र.से., कृषि विपणन सलाहकार-भारत सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (छ) के अंतर्गत - पदेन-सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

डॉ. अदंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड, गुण्ठर

वरिष्ठ प्रबंध (दि. 31/03/2024 तक)

अध्यक्ष	चिंडिपोतू यशवंत कुमार
कार्यपालक निदेशक	डॉ. अदंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से.,
निदेशक (नीलाम)	श्रीमती एम. अश्वनी नायुद्ध, भा.वि.से.,
प्रबंधक (नीलाम) & सचिव (प्रभारी)	श्री डी. वेणुगोपाल
प्रबंधक (विपणन और नियांत)	श्री बी. श्याम प्रसाद
प्रबंधक (उत्पादन)	डॉ. एम. कृष्ण श्री
प्रबंधक (विस्तार)	श्री जी. दामोदर
प्रबंधक (ग्रो क नि)	श्री बी. मारज्ञा
प्रबंधक (वित्त व लेखा) (प्रभारी)	श्रीमती एम. रत्नबायम्मा
प्रबंधक (व्यापार संकंथ)	श्री एच.के. गोपाल
प्रादेशिक प्रबंधक (दकामि&दहमि), ओंगोल	श्री एम. लक्ष्मण राव
प्रादेशिक प्रबंधक (मैसूर & पेरियपट्टना)	श्री जी. बुल्ल सुब्बाराव
प्रादेशिक प्रबंधक (उहमि, राजमहेन्द्रवरम)	श्री एम. आदिशेषय्या
ओ.एस.डी. (सतर्कता दल)	श्री एस. रामाराव
सहायक प्रबंधक (यो व स) और कार्मिक अधिकारी	श्री वाई.वी. नमःशिवय्या

कर्मचारी गण

वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध : 63

मध्य श्रेणी प्रबंध : 60

कनिष्ठ श्रेणी प्रबंध : 130

कुल : 253

डाक पता :

तम्बाकू बोर्ड

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

पोस्ट बॉक्स नं.322, श्रीनिवासराव तोटा, जी.टी.रोड, गुण्टूर - 522 004 (आन्ध्र प्रदेश)

दूरभाष सं
ई-मेल & वेबसाईट :

0863-2358399

info@tobaccoboard.co.in/www.indiantobacco.com

कारपोरेट शासन



चिडिपोतू यशवंत कुमार

अध्यक्ष



डॉ. अदंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., श्रीमती एम. अश्वनी नायुदू, भा.वि.से.,

कार्यपालक निदेशक



निदेशक (नीलाम)



डॉ. वेणुगोपाल
प्रबंधक (नीलाम)/
सचिव (प्रभारी)



बी. श्याम प्रसाद
प्रबंधक
(विषयन & निर्यात)



डॉ. एम. कृष्ण श्री
प्रबंधक
(उत्पादन)



जी. दामोदर
प्रबंधक
(विस्तार)



बी. मारना
प्रबंधक
(गो क नि)



एम. रम्बायम्मा
प्रबंधक
(वित्त व लेखा)
(प्रभारी)



एच.के. गोपाल
प्रबंधक
(व्यापार रक्कंध)



एम. लक्ष्मण राव
प्रादेशिक प्रबंधक (प्रभारी)
दकामि & दहमि, ओंगोल



एम. आदिशेषय्या
प्रादेशिक प्रबंधक
राजमहेन्द्रवरम



जी. बुलिल सुब्बाराव
प्रादेशिक प्रबंधक (प्रभारी)
मैसूर & पेरियपट्टना

2023-24 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियाँ - एक पुनरवलोकन

तम्बाकू बोर्ड की स्थापना, भारत सरकार के द्वारा, “तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975” के तहत, तम्बाकू उद्योग की सर्वतोमुखी विकास लाने के लिए, की गई थी। बोर्ड की प्राथमिक भूमिका - तम्बाकू किसानों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद दामों तथा निर्यातों के विकास के साथ एक सक्रिय खेतीबारी पद्धति की सुविधा (सुचारू) प्रणाली का सुनिश्चयन करना है।

तम्बाकू, भारत में उगाने वाले मुख्य वाणिज्यक फसलों में एक हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 46.00 मिलियन लोगों को रोजगार देती है और विदेशी मुद्रा के रूप में ₹ 12,005.89 करोड़ रूपये राष्ट्रीय राजकोष को योगदान देती है। भारत विश्व में तम्बाकू उत्पादन में दूसरा बड़ा देश और अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात में विश्व में मूल्य के शब्दों में और गुणता के शब्दों में क्रमशः पाँचवी और दूसरी बड़ा निर्यातक देश है। भारत एफसीवी तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन करता है, जो उनके भौतिक एवं रसायनिक लक्षणों से भिन्न-भिन्न हैं। 2023-24 के दौरान भारतीय तम्बाकू विश्व-व्याप्त में 128 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। एफसीवी तम्बाकू का पैदावार, पारंपरिक काली मिट्टी (टीबीएस), उत्तरी हल्की मिट्टी (उहमि), दक्षिणी हल्की मिट्टी (दहमि) और कर्नाटका हल्की मिट्टी (कहमि) में किया जाता है। भारत में, उत्पादित तम्बाकू में गुणवत्ता की विस्तृत श्रेणी तम्बाकू जैसे.,, अर्ध-गमकीय से लेकर गमकीय (एनएलएस & इएलएस), गुणता न्यूट्रल फिल्टर (कहमि & दहमि) और अच्छे फिल्टर (टीबीस) प्रकारों का उत्पादन होता है। तम्बाकू बोर्ड ने 2023-24 फसल मौसम के लिए एफसीवी तम्बाकू कृषि के लिए 242 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण को निर्धारित किया था। तम्बाकू बोर्ड ने, तम्बाकू उपज तथा गुणवत्ता को विकरित करने के लिए विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत ₹ 326.04 लाख की राशि व्यय की है। बोर्ड ने आव्ध प्रदेश और कर्नाटका के दोनों नीलाम प्लैटफार्मों में, जो 2022-23 वर्ष के दौरान ₹ 195.95 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में 193.73 मिलियन कि.ग्रा. के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 238.91 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में 263.18 मि.कि.ग्रा. का विपणित किया था। भारत, निर्यातों के लिए उत्पादन का एक आकर्षक विविधकृत आधार प्रदान करते हुए तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों, विशेषताओं एवं मूल्य के श्रेणियों के लिए एक ऑन-स्टॉप शॉप प्रदान करती है। 2022-23 के दौरान रहे निर्यातों की तुलना में, 2023-24 के दौरान भारतीय अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात 1,449.54 मिलियन यूएस डालरों से 19% की वृद्धि दर्ज हुई और 2023-24 के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य को प्राप्त की है।

ग्रेयरों को उत्तम सेवाएँ और तम्बाकू उद्योग का विकास से संबंधित क्रियाकलापों के सम्मान में मेसर्स डीएनवी - विजिनेस एश्यूरेन्स ने अंप्रसं 9001:2015 प्रमाणपत्र से तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया था और यह प्रमाणपत्र 18/03/2025 तक मान्य है।

2023-24 के दौरान बैठकें

क) सांविधिक बैठकें

दो बोर्ड की बैठकें और चार समिति की बैठकें संपन्न हुए।

बोर्ड बैठकें :

- बोर्ड की 161वीं बैठक मिश्रित विधान द्वारा दि. 18 जुलाई, 2023 (मंगलवार) को पूर्वाहन् 11.00 बजे संपन्न हुई।
- बोर्ड की 162वीं बैठक मिश्रित विधान द्वारा दि. 16 फरवरी, 2024 (शुक्रवार) को पूर्वाहन् 11.00 बजे को संपन्न हुई।

ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

- ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 98वीं बैठक मुख्य कार्यालय के पत्र दि. 08/06/2023 के द्वारा समिति के सदस्यों के बीच कागजातों को परिचालन करने के द्वारा संपन्न हुई।
- ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 99वीं बैठक दि. 08/08/2023 (मंगलवार) को हाईब्रीड विधान में संपन्न हुई।
- ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 100वीं बैठक दि. 16/02/2024 (शुक्रवार) को हाईब्रीड विधान में संपन्न हुई।

व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

- व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं की रजिस्ट्रेशन समिति की 48वीं बैठक दि. 22/09/2023 (शुक्रवार) को हाईब्रीड विधान में संपन्न हुई।

ख) असांविधिक बैठकें :

- 2022-23 चालू एफसीवी तम्बाकू नीलामियों में नीलाम प्लैटफार्म में “पंडुगुल्ला” पर चर्चा करने भारतीय तम्बाकू संघ, व्यापारी & ग्रोयर प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि. 20/04/2023 को मुख्य कार्यालय, गुण्ठूर में संपन्न हुई।
- कर्नाटका में 2023-24 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री करने के लिए नीलामियों को प्रारंभ करने से संबंधित चर्चा करने कर्नाटका ग्रोयर प्रतिनिधियों और भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि. 05/09/2023 को वर्चुवल विधान द्वारा मुख्य कार्यालय, गुण्ठूर में संपन्न हुई।
- 2023-24 कर्नाटका चालू एफसीवी तम्बाकू नीलामियों पर चर्चा करने भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि. 16/10/2023 को मुख्य कार्यालय, गुण्ठूर में संपन्न हुई।
- आन्ध्र प्रदेश में 2023-24 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री करने के लिए नीलामियों को प्रारंभ करने से संबंधित चर्चा करने ग्रोयर प्रतिनिधियों और भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि. 21/02/2024 को रैतु भवन, तम्बाकू बोर्ड, गुण्ठूर में संपन्न हुई।

5. 2023-24 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू नीलामियों की ‘‘निर्धारित 3वीं फेज को प्रगामी’’ करने पर चर्चा करने आन्ध्र प्रदेश के ग्रोयर प्रतिनिधियों और भा.तं.सं. & व्यापार प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.29/02/2024 को वर्चुवल विधान द्वारा मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई ।
6. ‘गोदाम प्रबंध’ पर चर्चा करने भा.तं.सं. प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.04/03/2024 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई ।



दि. 18/07/2023 को गुण्टूर में संपन्न 161वीं बोर्ड बैठक में श्री डी.वी. खासी, भा.प्र.से., अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड और डॉ. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड और बोर्ड के सदस्य भाग लिये थे ।




दि. 16/02/2024 को गुण्टूर में संपन्न 162वीं बोर्ड बैठक में श्री चिडिपोतू यशवंत कुमार, अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड और डॉ. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड और बोर्ड के सदस्य भाग लिये थे ।

31/03/2024 तक मंजूर और मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या दर्शनेवाली तालिका

क्रम संख्या	पद का नाम	कुल	
		मंजूर	मौजूदा
गूप - ए - वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध			
1	अध्यक्ष	1	0
2	कार्यपालक निदेशक	1	1
3	निदेशक (नीलाम)	1	1
4	सचिव	1	0
5	प्रबंधक / प्रादेशिक प्रबंधक	10	8
6	उप प्रबंधक (लेखा)	1	0
7	नीलाम अधीक्षक / व श्रे अ	55	44
8	सहायक प्रबंधक (लेखा)	33	8
9	सांख्यकीय अधिकारी	1	0
10	सिस्टम विश्लेषक	1	0
	उप कुल	105	63
गूप - बी - मध्य श्रेणी प्रबंध			
11	प्रोग्रामर	1	0
12	हिंदी अधिकारी	1	0
13	नि.स., अध्यक्ष	1	0
14	क्षेत्र अधिकारी / तकनीकी सहायक	88	38
15	वरिष्ठ अनुवादक	1	1
16	आशुलिपिक ग्रेड - I	1	1
17	लेखाकार	33	18
18	वरिष्ठ अन्वेशक	1	0
19	सहायक	13	0
20	संरिज्यकीय सहायक	1	1
21	रखवाला (केयरटेकर)	1	0
22	आशुलिपिक ग्रेड - II	3	1
23	विशेष श्रेणी चालक	1	0
	उप कुल	146	60
गूप - सी - जूनियर श्रेणी प्रबंध			
24	कम्प्यूटर प्रचालक	27	14
25	आशुलिपिक ग्रेड - III	4	3
26	उच्च श्रेणी लिपिक (उ.श्रे.लि)	43	14
27	वरिष्ठ क्षेत्र सहायक	45	4
28	क्षेत्र सहायक	158	30
29	निम्न श्रेणी लिपिक (नि.श्रे.लि)	52	34
30	हिन्दी टंकक	2	1
31	चालक	31	9
32	गेस्टेनर ऑपरेटर	1	0
33	बहु कार्य कर्मचारी	140	21
	उप कुल	503	130
	महायोग	754	253

तम्बाकू बोर्ड का संघटनात्मक चार्ट




फसल योजना और नियंत्रण

I) भारत में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ :

एफसीवी तम्बाकू उत्पादन पिछले छःवर्षों से वर्ष-प्रति-वर्ष घटता-बढ़ता जा रहा है। यह विस्तृत अस्थिर वातावरण उपज पर प्रभाव के साथ-ही-साथ आपूर्ति की मूल्य सापेक्षता के शब्दों में बाजार गतिशीलता आदि., को प्रतिविभिन्नत करती है। एफसीवी तम्बाकू उत्पादन पिछले 5 वर्षों के दौरान (याने., 2018-19 से 2022-23 तक) और इस वर्ष 2023-24 के 6.44% को मिलाकर 2.87% यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्ज किया है।

(परिमाण मि. कि.ग्रा)



II) 2023-24 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति :

तम्बाकू बोर्ड ने, एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए 2022-23 फसल मौसम के दौरान निर्धारित कुल फसल परिमाण 242 मिलियन कि.ग्रा. को ही 2023-24 फसल मौसम के लिए निर्धारित किया था। बोर्ड द्वारा 2023-24 फसल मौसम के लिए कर्नाटका राज्य के लिए 100 मिलियन कि.ग्रा. और आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए 142 मिलियन कि.ग्रा. निर्धारित किया गया था।

दि. 18/07/2023 को संपन्न अपनी 161वीं बोर्ड बैठक में 2022-23 फसल मौसम के लिए निर्धारित 142.00 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण को ही 2023-24 फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए निर्धारित किया था।

मिट्टी क्षेत्र वार निर्धारित फसल परिमाण विवरण 2022-23 की तुलना से 2023-24 फसल मौसम के दौरान निम्नानुसार है :

मिट्टी क्षेत्र	2023-24 फसल मौसम(मि.कि.गा)	2022-23 फसल मौसम(मि.कि.गा)
उहमि क्षेत्र	49.48	49.31
दहमि क्षेत्र	48.33	48.16
दकामि क्षेत्र	41.65	41.19
उकामि क्षेत्र	2.54	3.34
उपयोग	142.00	142.00
कहमि क्षेत्र	100.00	100.00
सर्वयोग	242.00	242.00

III) 2023-24 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टतयाँ :

2023-24 फसल मौसम के दौरान उत्पादन को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड की नीति-ढाँचा (फ्रेमवर्क) निम्नानुसार रहा है :

- अतिरिक्त (आधिक्य) और अप्राधिकृत तम्बाकू की खेती पर नियंत्रण की दृष्टि रखने के साथ-साथ उत्पाद गुणवत्ता पर केन्द्रीकरण करते हुए एफसीवी तम्बाकू खेती (के अंतर्गत) क्षेत्र को नियंत्रण करना इस नीति का उद्देश्य है।
- एफसीवी तम्बाकू खेती के अंतर्गत क्षेत्र को कम कराना और अन्य वैकल्पिक फसल / क्रापिंग प्रणाली के लिए परिवर्तन कराना।
- आधिक्य उत्पादन को निर्धारित परिमाण तक, जो सख्त रूप से उत्पादन को सीमित करने, ताकि ग्रोयरों को उचित एवं लाभप्रद मूल्य को सुनिश्चित कर सके।
- एफसीवी तम्बाकू खेती को, जो गुणता समर्थ्याओं से दूर रखने लवणीय क्षेत्रों, धान-परती भूमियों और अनुपयुक्त भूमियों में अपनाने के लिए अनुमति नहीं देना। इस क्षेत्रों को अन्य वैकल्पिक फसलों के लिए परिवर्तित कराना।
- बोर्ड के अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार ग्रोयरों, जिन्होंने अप्राधिकृत बखारों का निर्माण कर रहे हैं/किये थे और अप्राधिकृत तम्बाकू की खेती को अपनाये हैं, के प्रति कठिन कार्रवाई प्रारंभ कराना।

IV) 2023-24 के लिए रजिस्ट्रेशन मापदण्ड-विशिष्टतयाँ :

2023-24 फसल मौसम के दौरान, ग्रोयरों के लिए रजिस्ट्रेशन नवीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड रखे गये थे।

- 2022-23 फसल मौसम में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी ग्रोयरों/बखारों को वर्ष 2023-24 में, बशर्ते कि ग्रोयरों एक फिट बखार का मालिक हों और अपने स्वयं या पट्टे पर वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए उपयुक्त भूमि वाला हों और तम्बाकू बोर्ड की अधिनियम या इनके अंतर्गत बनाये गये नियमों को उल्लंघन न करने पर रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए योग्य होंगे।

- नये बखारों को निर्माण करने के द्वारा एफसीवी तम्बाकू की खेती को अपनाने के लिए कोई नये ग्रोयर को अनुमति नहीं दिया जायेगा और एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए नये प्रांतों को अनुमतित नहीं किया जायेगा। (नये बखारों को निर्माण करने के लिए अनुज्ञाप्ति नहीं दिया जायेगा ।)
- ग्रोयरों, जिन्होंने 2022-23 में पंजीकृत किये थे, लेकिन बकाया देय/दंड भुगतान/बखार विवादों में शामिल/अयोग्य बखारों की मरम्मत/पंजीकरण स्थानांतरण के लिए निर्धारित दस्तावेजों की प्रस्तुतीकरण आदि., के अंतर्गत हो, को रजिस्ट्रेशन नवीकरण की स्वीकृति के लिए निर्धारित तारीख के अंदर इन शर्तों को पूरा करना होगा ।
- ग्रोयर आवेदकों, जिन्होंने 2022-23 फसल मौसम में पंजीकृत किये थे और तम्बाकू की खेती और संसाधन के लिए सबूत के रूप में फार्म - II & III में रिटर्नों को प्रस्तुत किये थे, लेकिन तम्बाकू को नीलाम प्लैटफार्मों में विक्रय नहीं किये थे, को निर्धारित जुर्माना को भुगतान करने के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए विचार किया जायेगा ।
- ग्रोयर आवेदकों, जिन्होंने 2022-23 फसल मौसम केलिए पंजीकृत किये थे, लैकिन फार्म-II रिटर्नों में घोषित कोटा से 25% से कम और 50% कोटा को बिक्रय किये थे, को निर्धारित जुर्माना को भुगतान के अधीन रजिस्ट्रेशन केलिए विचार किया जायेगा ।
- पंजीकृत ग्रोयर, जो अपने स्वयं या अपने परिवार सदस्यों के नाम पर अप्राधिकृत बखार धारक हो, को (अपना) अप्राधिकृत बखार को डिसफक्शन करना होगा तथा भविष्य में इस बखार को नवीकरण न करने जैसा अल्लिखित करते हुए शपथ - पत्र प्रस्तुत करने पर, रजिस्ट्रेशन नवीकरण प्रदान करने के लिए योग्य होंगे ।
- ग्रोयर आवेदकों, जो अनुज्ञाप्ति क्यूरिंग सुविधा (बखार) के बिना आवेदन/ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्राधिकृत बखार/अयोग्य बखार/नये बखारों का निर्माण करने अनुज्ञाप्ति के लिए माँग/क्रियाकलापों को अवरोधन, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, नियम & विनियमों को उल्लंघन किये थे, वे 2023-24 फसल मौसम के दौरान रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य होंगे ।
- भारत सरकार के पत्र दि.14/06/2021, सं.09/11/2016 - ई.पी. (अग्री-III) के निवेशों के अनुसार 2023-24 फसल मौसम के दौरान कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में एक मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत बखारों को शिफिंग करने के लिए बोर्ड ने अनुमति दी ।

V) 2023-24 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्राधिकृत उत्पादन कोटा :

2023-24 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में खेती के लिए प्राधिकृत मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्रति बखार केलिए प्राधिकृत उत्पादन कोटा निम्नानुसार है :

आन्ध्र प्रदेश :

दि.08/08/2023 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न अपनी 99वीं रजिस्ट्रेशन समिति की बैठक में, आन्ध्रप्रदेश में मिट्टी क्षेत्र वार प्रति बखार उत्पादन परिमाण को निर्धारित किया था । बाद में ग्रोयरों को, जो तम्बाकू को रोपित किये थे, को शून्य रोपित ग्रोयरों की कोटा और बचे हुए फसल परिमाण को वितरित किये गये थे और शून्य रोपित ग्रोयरों की कोटा और बचे हुए फसल परिमाण को वितरित करने के बाद 2023-24 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के दौरान मिट्टी क्षेत्र वार अंतिम प्रति बखार के लिए प्राधिकृत कोटा निम्नानुसार रहा है :

मिट्टी क्षेत्र	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा/बखार)			
	2023-24	2022-23	2023-24		2022-23	
			प्रति बखार के लिए प्राधिकृत प्रारंभिक कोटा (कि.ग्रा.)	शून्य रोपित ग्रोयर कोटा & बचे हुए फसल परिमाण को वितरण करने के बाद अंतिम प्राधिकृत कोटा	प्रति बखार के लिए प्राधिकृत प्रारंभिक कोटा (कि.ग्रा.)	शून्य रोपित ग्रोयर कोटा & बचे हुए फसल परिमाण को वितरण करने के बाद अंतिम प्राधिकृत कोटा
उत्तरी हल्की मिट्टी (उहमि)	1.60	1.60	3,500	3,540	3,500	3,656
दक्षिणी हल्की मिट्टी (दकामि)	2.90	2.90	3,650	3,690	3,650	3,821
दक्षिणी काली मिट्टी (दकामि)	1.90	1.90	3,550	3,590	3,550	3,570
उत्तरी काली मिट्टी (उकामि)	1.10	1.30	2,094	3,400	2,400	3,406

* उहमि में पूहमि भी शामिल है।

कर्नाटका :

2023-24 के दौरान प्रारंभ में कर्नाटका में प्रति बखार के लिए निर्धारित उत्पाद परिमाण (कोटा) नीचे दिये गये थे। शून्य रोपित ग्रोयर कोटा और तीन वर्षों से अधिक ब्रेक-इन-रजिस्ट्रेशन वाले बखारों से बचा हुआ कोटा को 2022-23 फसल मौसम की तरह 2023-24 फसल मौसम के लिए अपनी प्रति आईटीएस (सिम्प्लेक्स) बखार के लिए 112 कि.ग्रा. के हिसाब से तम्बाकू रोपित पंजीकृत ग्रोयरों को वितरित किया गया था। शून्य रोपित ग्रोयर कोटा और तीन वर्षों से अधिक के लिए ब्रेक-इन-रजिस्ट्रेशन वाले बखारों से प्राप्त बचा हुआ कोटा वितरण करने के बाद प्रति बखार के लिए प्राधिकृत अंतिम परिमाण विवरण निम्नानुसार है:

बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा/बखार)		
	2023-24	2022-23	2023-24		2022-23
			प्रति बखार के लिए प्राधिकृत प्रारंभिक कोटा (कि.ग्रा.)	शून्य रोपित ग्रोयर कोटा & तीन वर्षों से अधिक के लिए ब्रेक-इन-रजिस्ट्रेशन वाले बखारों से प्राप्त बचा हुआ कोटा को वितरण करने के बाद अंतिम कोटा	
सिम्प्लेक्स बखार	1.40	1.40	1,715	1,827	1,790
डुप्लेक्स बखार	2.80	2.80	3,430	3,654	3,580

VI) उत्पादन नियंत्रण अभियान :

बोर्ड ने, 2023-24 फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य /अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए गाँवों में व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक बैठकें और सामूहिक संपर्क कार्यक्रमों के द्वारा उत्पादन नियंत्रण अभियान को अपनाया। एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य / अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए ग्रोयरों को अपील करने के लिए सार्वजानिक प्रचार साधन जैसे., पोस्टर, करपत्रों का वितरण, श्रव्य-केसेटों को चलाना, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग आदि., को प्रभावी रूप से उपयोग किये गये थे। 2023-24 के दौरान उत्पादन नियंत्रण अभियान के एक भाग के रूप में गाँवों में क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में लगभग 550 सामूहिक बैठकें और कर्नाटका में 120 सामूहिक बैठकें बोर्ड द्वारा आयोजित किये गये थे।

VII) 2023-24 के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों के विवरण :

2023-24 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू की खेती के लिए 89,795.88 बखारों को कवर करते हुए कुल मिलाकर 82,726 ग्रोयरों ने बोर्ड के साथ पंजीकृत किये थे। इसमें आन्ध्र प्रदेश में (दि. 31/03/2023 तक) 39,296.88 बखारों को कवर करते हुए 43,115 ग्रोयरों ने तम्बाकू खेती के लिए पंजीकृत किये थे। एफसीवी तम्बाकू उत्पादन के लिए प्राधिकृत 81,819.72 हे. क्षेत्र के लिए वास्तव में 97,127.07 हे. के क्षेत्र में रोपण हुआ था। कर्नाटका में, 50,499 बखारों को कवर करते हुए 39,611 ग्रोयरों ने तम्बाकू खेती के लिए पंजीकृत किये थे। एफसीवी तम्बाकू के अंतर्गत प्राधिकृत 70,698.60 हे. क्षेत्र के लिए 63,404.25 हे. क्षेत्र मे. रोपण हुआ था।

2023-24 फसल मौसम के लिए कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू के अंतर्गत ग्रोयरों के प्लैटफार्म वार विवरण, पंजीकृत बखार और क्षेत्र, प्राधिकृत परिमाण और रोपित क्षेत्र और 2022-23 फसल मौसम के लिए आन्ध्र प्रदेश में अंतिम रजिस्ट्रेशन विवरण पृष्ठ सं. 25 से 29 तक दिये गये।

VIII) 2022-23 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट :

नर्सरी :

नर्सरी बेडों में बीजों की बुआई मार्च के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ हुई और अप्रैल, 2023 की द्वितीय सप्ताह तक समाप्त हुई। 2023-24 के दौरान कर्नाटका में नर्सरी के अंतर्गत बोआई क्षेत्र 587.20 हेक्टार था, जो पूर्व वर्ष की (594.55 हे.) की तुलना में 1.24% कम हुई। अधिकाधिक ग्रोयर पौधों की अधिकाधिक सुव्यवस्थित एवं एकलपी वृद्धि को प्राप्त करने ट्रे नर्सरी को अपनाये थे। नर्सरी की वृद्धि अच्छी रही और पेरट तथा बीमारियों से मुक्त रहा था।



सीएच-3 एक बोया हुआ प्रधान किरम है, जो बोआई नर्सरी क्षेत्र याने., 383.65 हे. से लगभग कुल नर्सरी क्षेत्र में 65.34% का हिस्सा अपना लिया साथ-साथ कंचन और एफसीएच-222 संकर और अन्य किरमों क्रमशः 189.36 हे. (32.25%), 11.99 हे. (2.04%) और 2.20 हे. (0.37%) क्षेत्र में बोआई हुए थे।

प्रधान क्षेत्र :

इस वर्ष के दौरान, कर्नाटका में प्रतिरोपण अप्रैल की दूसरी पक्ष में शुरू हो गई है और अधिकांश प्रतिरोपण मई अंत तक समाप्त हुई है। प्रधान क्षेत्र में पौधों की संस्थापन अच्छी रही है। 2023-24 के दौरान, कर्नाटका में कुल 63,404.25 हे. के क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू का रोपण हुआ था, जो पूर्व वर्ष में रोपित 60,782.45 हे. की तुलना में 4.31% अधिक रहा है। कुल रोपित क्षेत्र में से लगभग 40,437.46 हे. (63.78%) सीएच-3 किरम के अंतर्गत रहा है, कंचन (34.78%) के अन्तर्गत 22,049.99 हे. और एफसीएच-222 (1.24%) के अन्तर्गत 787.80 हे. क्षेत्र और अन्य किरमों (0.20%) के अन्तर्गत 129 हे. क्षेत्र रहा है।

प्लानटेशन की स्थिति	2023-24		2022-23	
प्रारंभ प्लानटेशन (31 मई तक)	63,289.05	99.82%	60,747.45	99.94%
मध्य प्लानटेशन (15 जून तक)	10.00	0.02%	35.00	0.06%
विलंब प्लानटेशन (15 जून के बाद)	105.20	0.16%	0.00	0.00%
कुल	63,404.25	100%	60,782.45	100%



कर्नाटका में फसल वृद्धि :

इस वर्ष अधिकाधिक फसल प्रारंभ में रोपित किया गया था। यह प्रारंभ फसल पर्याप्त मात्रा में वर्षा की प्राप्ति नहीं होने के कारण जून, 2023 की प्रथम सप्ताह के दौरान नमी की कमी को महसूस की हैं। फिर भी, जून, 2023 की द्वितीय पक्ष से वर्षा की प्राप्ति के कारण अधिकाधिक फसल नमी की कमी से रिकवर हो गये और पत्ता विस्तार भी विकसित हुई। कुल मिलाकर, अधिक क्षेत्रों में उत्तम पत्ता विस्तार के साथ पौधा की वृद्धि और विकास अच्छी रही थी।

पेरस्ट तथा बीमारियाँ :

2023-24 फसल मौसम के दौरान, प्रधान क्षेत्र में प्रधान पेरस्ट और बीमारियों की कोई नोटीस नहीं की गई। कुछ क्षेत्रों में, जहाँ पूर्व प्रतिरोपण अपनाया था, में पत्ता में कुंचन की उत्पीड़न देखी गई। कुछ क्षेत्रों में ब्लाक शान्क बीमारी की उत्पीड़न की घटना देखी गयी और ग्रेयरों को केंतंअसं, हुन्सूर के सिफारिशों के अनुसार निवारण उपायों को अपनाने के लिए सूचित किये गये थे।

फसल & क्यूरिंग :

पहले तीन क्यूरिंग अधिकाधिक प्रतिशत चमकीला श्रेणियों के साथ अच्छी रही हैं। प्रति बखार के लिए औसतन 6 से 7 क्यूरिंगों को अपनाये गये थे। क्यूरिंग पत्ते पतली शरीर, धब्बेदार और नीम्बू रंग के रहे हैं। कुल मिलाकर, तम्बाकू की गुणता पिछले मौसम की तुलना में अपेक्षाकृत चमकीला श्रेणी आऊटटर्न के साथ अच्छी रही है। लकड़ी वजन भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही है।



पैदावार :

पिछले वर्ष की उत्पादकता 987 कि.ग्रा./हे. की तुलना में 2023-24 के दौरान औसत पैदावार लगभग 1,401 कि.ग्रा./हे. हुई है। 2022-23 में 34:43:23 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ विपणित 59.98 मिलियन कि.ग्रा. के विपरीत चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए क्रमशः 31:45:24 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ 88.86 मिलियन कि.ग्रा. का फसल विपणन हुआ था।

IX) 2023-24 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट :

2023-24 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रों में नर्सरी की बुआई अग्रस्त महीने के दौरान प्रारंभ हुए। आन्ध्र प्रदेश में 2023-24 के दौरान, जो पूर्व वर्ष में बोआई 662.47 हे. नर्सरी क्षेत्र के लिए लगभग 1,130.43 हे. के क्षेत्र में नर्सरी को अपनाया गया। इस मौसम के दौरान, कोई प्रधान पेस्ट तथा बीमारियों का आपतन की रिपोर्ट नहीं मिली। सीडलिंगों का मूल्य दहमि और दकामि क्षेत्रों में लगभग ₹2,000/- से ₹3,000/- प्रति गढ़ी (6,000 सीडलिंग) के लिए मूल्य रही। उहमि क्षेत्र में, परंपरागत नर्सरी के लिए प्रति गढ़ी के लिए मूल्य ₹3,000/- से ₹3,500/- और ट्रे पौधों के ₹6,000/- से ₹6,500/- तक रहे थे।



किस्म :

दक्षिण हल्की मिट्टी और परंपरागत काली मिट्टी क्षेत्रों के 884.22 हे. में बोयी जाने वाली एफसीआर-15 एक प्रधान किस्म रही है, जो इन क्षेत्रों के कुल नर्सरी क्षेत्र में (1,083.38 हे.) लगभग 81.62% का हिसाब रही है और इन क्षेत्रों में अन्य बोयी जाने वाली किस्मों का हिसाब 18.38% है। सिरी 199.16 क्षेत्र में रही है। उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्रों में 46.09 हे. से अधिक क्षेत्र में बोयी जाने वाली एलवी-7 प्रधान किस्म रही है, जो इन क्षेत्रों के कुल नर्सरी क्षेत्रों में (47.05 हे.) लगभग 97.96% का हिसाब रही है। उहमि क्षेत्र में 0.96 हे. (2.04%) क्षेत्र में अन्य किस्म एफसीजे-11 बोयी जाती है।

प्रधान क्षेत्र :

2022-23 फसल मौसम के दौरान, रोपित 85,755.70 हे. के विपरीत आन्ध्र प्रदेश में कुल 97,127.07 हे. क्षेत्र, जो 13.26% अधिक क्षेत्र में रोपित किया गया था। प्रारंभ (15 अक्टूबर से पहले), मध्य (15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच) और देरी (15 नवंबर के बाद) के अंतर्गत रोपित क्षेत्र का अनुपात क्रमशः 4.5:43.5:52 रहा था।

दक्षिणी हल्की मिट्टी, दक्षिणी काली मिट्टी और उत्तरी काली मिट्टी क्षेत्रों में कुल 68,620.66 हे. क्षेत्र में एफसीआर-15 एक प्रधान बोयी जाने वाली किस्म है, जो इन क्षेत्रों में (73,431.46 हे.) कुल रोपित क्षेत्र में 93.45% का हिसाब रही थी। उहमि क्षेत्र में इस क्षेत्र के कुल रोपित क्षेत्र (23,695.61 हे.) में एलवी-7 संकर किस्म, जो 23,664.21 हे. क्षेत्र में उगाया गया था, इसका हिसाब 99.87% रही थी।

प्लानटेशन स्थिति	2023-24		2022-23	
प्रारंभ प्लानटेशन (15 अक्टूबर तक)	4,310.64	4.44%	2,552.00	2.98%
मध्य प्लानटेशन (15 नवंबर तक)	42,171.63	43.42%	37,031.65	43.18%
देरी प्लानटेशन (15 नवंबर के बाद)	50,644.80	52.14%	46,172.05	53.84%
कुल	97,127.07	100.00%	85,755.70	100.00%

आन्ध्र प्रदेश में फसल की वृद्धि :

2023-24 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में दहमि, दकामि & उहमि क्षेत्रों में अक्टूबर, 2023 की प्रथम सप्ताह के दौरान और उकामि क्षेत्र में नवंबर, 2023 महीने की द्वितीय पक्ष में रोपण प्रारंभ हुए। दिसंबर, 2023 की प्रथम सप्ताह के दौरान 'मिचांग' चक्रवात वर्षा के कारण प्राप्त भारी वर्षाओं से प्रकाशम, नेल्लुरु, गुण्टूर, पूर्व & पश्चिम गोदावरी जिलाओं में 15,028.09 हे. के क्षेत्र में प्रतिरोपित फसल को डामेज हो गई। कुछ किसान चक्रवात वर्षाओं के बाद अपने क्षेत्रों में पुनः रोपण प्रारंभ किये थे। इस मौसम के दौरान तम्बाकू का ट्रान्सप्लानटेशन चक्रवात वर्षाओं के कारण लगभग 30 दिनों के लिए रोका गया था अतः अधिकाधिक क्षेत्र दिसंबर, 2023 महीने में देरी से रोपित किये गये थे। कुल 97,127.07 हे. क्षेत्र में कुल प्लानटेशन हुआ है और पूर्व की (याने.., 85,755.70 हे.) की तुलना में रोपित क्षेत्र में 13.26% की वृद्धि हुई है।

उत्तर हल्की मिट्टियाँ (उहमि) फसल :

इस वर्ष उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्र में कुल रोपित 23,695.61 हे. क्षेत्र, जो 2022-23 में रोपित 20,997.32 हे. क्षेत्र की तुलना में 12.85% अधिक रही थी। बेहतर पत्ता विस्तार के साथ फसल की वृद्धि अच्छी रही थी। पैदावार की स्थिति अच्छी रही और पिछले वर्ष की तुलना में निम्न श्रेणी आऊटटर्न थोड़ा अधिक रही है।

दक्षिणी हल्की मिट्टियाँ (दहमि) फसल :

दक्षिणी हल्की मिट्टी क्षेत्र में इस वर्ष कुल रोपित 42,374.55 हे. के क्षेत्र, जो 2022-23 के दौरान रोपित 37,979.10 हे. क्षेत्र की तुलना में 11.57% की वृद्धि रही थी। क्षेत्रों में ओरवान्खे की उत्पीड़ना पाया गया था। दहमि क्षेत्र में फसल की स्थिति औसतन रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में पैदावार की स्थिति अच्छी रही और निम्नश्रेणी उत्पादन थोड़ा अधिक रही है।

पारंपरिक काली मिट्टियाँ (टीबीएस) फसल :

दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्र में इस वर्ष कुल रोपित 29,976.15 हे. के क्षेत्र, जो 2022-23 के दौरान रोपित 25,503.45 हे. क्षेत्र की तुलना में 17.54% अधिक रही थी। क्षेत्रों में ओरवान्हे की उत्पीड़ना पाया गया था। दहमि क्षेत्र में फसल की स्थिति औसतन रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में पैदावार की स्थिति अच्छी रही और निम्न श्रेणी उत्पादन थोड़ा अधिक रही है।

2023-24 के दौरान, उत्तरी काली मिट्टियों (एन बी एस) में रोपित कुल 1,080.76 हे. क्षेत्र, जो पिछली वर्ष में रोपित 1,275.83 हे. क्षेत्र की तुलना में 15.29% कम रही है। इस वर्ष फसल की गुणता औसत रही है।



फसल परिणाम :

उत्तर हल्की मिट्टी क्षेत्रों में औसत 8-10 क्यूरिंगों को अपनाये गये। दक्षिण काली मिट्टी और दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्रों में औसत 8-9 क्यूरिंगों को अपनाये गये। दहमि क्षेत्र में चमकीला, मध्यम तथा निम्न श्रेणियों के लिए आकलित श्रेणी आऊट टर्न क्रमशः 20:37:43 रही और दकामि क्षेत्र में क्रमशः 29:25:46 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रही है। उकामि क्षेत्र और उहमि क्षेत्र में क्रमशः 53:44:3 और 62:25:13 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रही है।

पैदावार :

2023-24 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन 215.35 मिलियन कि.ग्रा रही है। उहमि क्षेत्र में उत्पादन 64.32 मिलियन कि.ग्रा रही है। दहमि और दकामि क्षेत्रों में उत्पादन क्रमशः 77.36 और 70.73 मिलियन कि.ग्रा. रही है। उकामि क्षेत्र में 2.94 मिलियन कि.ग्रा का उत्पादन रही है। दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्रों में 1,826 कि.ग्रा./हे., दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्रों में 2,359 कि.ग्रा./हे. और उत्तरी हल्की मिट्टियों में 2,714 कि.ग्रा./हे. का औसत पैदावार रही थी।

‘मिचांग’ चक्रवात वर्ष के कारण एफसीवी तम्बाकू फसल डामेज :

आन्ध्र प्रदेश में 2023-24 फसल मौसम के दौरान प्रकाशम, नेल्लुर, गुण्डूर और पूर्व & पश्चिम गोदावरी जिलों में 3 से 5 दिसंबर, 2023 तक ‘मिचांग’ चक्रवात वर्ष के कारण 15,028.09 हे. के क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू फसल डामेज हुआ था। कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड ने दि. 09/12/2023 को उहमि क्षेत्र और दि. 10/12/2023 को दहमि & दकामि क्षेत्रों में मिचांग चक्रवात वर्ष के कारण प्रभावित क्षेत्रों को विजिट किये और ग्रोयरों को सुधारात्मक उपायों को सूचित किये थे। फसल डामेज को राज्य दुर्घटना प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ग्रोयरों को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए पत्र सं. 4(9)/2023-24/उत्पादन, दि. 20/12/2023 द्वारा आन्ध्र प्रदेश के विशेष मुख्य सचिव, विशेष आयुक्त-कृषि, आन्ध्र प्रदेश सरकार और संबंधित जिलाधीशों को रिपोर्ट दिये थे। तम्बाकू बोर्ड ने राज्य कृषि विभाग के पदाधिकारियों की सहायता से तुरंत डामेज विवरणों को परिणना किया और इसे संबंधित कृषि संयुक्त सचिव को प्रस्तुत किये थे। बोर्ड भी विशेष प्रधान सचिव - सरकार (पीएफएस) & प्रधान प्रबंधक & संयोजक, राज्य स्तर बैंकर समिति (एसएलबीसी) से भी फसल डामेज के सुधारात्मक उपाय / री-प्लानिंग को अपनाने के लिए प्रति बखार को ₹ 1,00,000/- अतिरिक्त फसल ऋण की मंजूरी करने के लिए संबंधित फसल ऋण वितरित बैंकों को सिफारिश करने के लिए अनुरोध की थी।



बोर्ड द्वारा किये गये पत्र-व्यवहार के उत्तर में आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पूर्व गोदावरी जिला में 1,970.11 है. को कवर करते हुए 2,437 ग्रोयरों को और प्रकाशम जिला में 299.76 है. को कवर करते हुए 266 ग्रोयरों को, जिनका फसल 2023-24 फसल मौसम के दौरान मिचांग चक्रवात वर्षाओं के कारण डामेज हुए थे, को एसडीआरएफ के अन्तर्गत प्रति बखार को ₹ 10,000/- के हिसाब से मुआवजा की राशि को मंजूर की थी। बोर्ड भी इस प्राकृतिक विपत्ति के कारण प्राप्त डामेज से पार करने किसानों को मदद देने माननीय वाणिज्य राज्य मंत्री की अनुमति से वित्तीय सहायता से संबंधित प्रत्येक ग्रोयर सदस्य, जिनकी फसल मिचांग चक्रवात वर्षा के कारण डामेज हुआ था, को ₹ 10,000/- राशि को तंबेग्रोकनि से ब्याज मुक्त फसल डामेज ऋण दिया गया था और ₹ 3.47 करोड़ों की राशि 3,470 ग्रोयरों को बढ़ा दी गयी थी।

X) 2023-24 के दौरान आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री :

सरकार अधिसूचना एस.ओ.सं. 325(ई) & 326(ई), दि.23/01/2024 के अनुसार कर्नाटका में 2023-24 फसल मौसम के दौरान, पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक सीमा तक उत्पादित आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर साधारण चालू सेवा प्रभारों को लगाने के द्वारा बिक्री के लिए अनुमति दी गयी थी।

XI) तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों की प्रोत्तिः

तम्बाकू बोर्ड के लिए प्रधान परिमाण क्षेत्रों (केआरए) के एक भाग के रूप में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार अपनी सूचना सं. 5/2/2018 - ईपी (अग्नि-VI), दि. 20/05/2019 द्वारा बोर्ड को निदेश दिया था कि केतंअसं के समन्वय से प्रधान तम्बाकू क्षेत्रों में एफसीवी तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों पर जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजन करने और आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के राज्य कृषि और बागबानी विभागों की समन्वय से फसल विहितीकरण योजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक फसल की खेती को अपनाने के द्वारा वैकल्पिक फसलों को प्रमोट करें।

2023-24 फसल मौसम के लिए, तम्बाकू बोर्ड ने के.त.आ.सं. और आन्ध्र प्रदेश & कर्नाटका राज्यों के कृषि विभागों के सहयोग से प्रधान तम्बाकू क्षेत्र याने., आन्ध्र प्रदेश राज्य के जंगारेहुगूडेम, कोय्यलगूडेम, गोपालपुरम, कन्दुकुर, पोदिली, कलिंगीरी, डी.सी.पल्ली, टंगुटूर और कोंडेपी और कर्नाटका में एच.डी.कोटे, हुन्सूर, चिलकुंदा, कगगुन्डी और रामनाथपुरा में वैकल्पिक फसलों के प्रमोशन करने ग्रोयरों के लिए जागरूकता बैठकें आयोजित किये गये थे।

XII) आन्ध्र प्रदेश में उकामि क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों को बखारों को शिपिटंग :

भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 9/11/2016 - ईपी (अग्नि-III), दि. 24/11/2023 द्वारा 2023-24 फसल मौसम के लिए आन्ध्र प्रदेश में उकामि क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों को बखारों को शिपिटंग करने के लिए बोर्ड को अनुमति दी थी। सरकार द्वारा दी गयी अनुमति के अनुसार, उकामि क्षेत्र के सभी बखार, जो 2023-24 फसल मौसम के लिए ग्रोयरों की रजिस्ट्रेशन के लिए रखे गये मानदंडों के अनुसार रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य/पहले ही पंजीकृत/अयोग्य बखार और बखारों को मरम्मत करने पर रजिस्ट्रेशन की अनुमति के लिए योग्य बखारों को शिपिटंग के लिए अनुमति दिये गये थे। ग्रोयरों को अपने स्वयं (स्वयं शिपिटंग) या इच्छुक ग्रोयरों को बिक्री द्वारा आन्ध्र प्रदेश में उकामि से अन्य मिट्टी क्षेत्रों को 1:1 अनुपात में अपने योग्य बखारों को शिपिटंग करने के लिए अनुमति दिये गये थे। शून्य रोपित ग्रोयर कोटा और बचे हुए परिमाण को वितरण करने के बाद उकामि क्षेत्र के 3,400 कि.ग्रा. प्राधिकृत कोटा को 2023-24 फसल मौसम के लिए मिट्टी का क्षेत्र, जो भी हो, जहाँ बखार के शिपट/स्थानांतरित किया गया था, को उकामि क्षेत्र से शिपटेड/स्थानांतरित बखारों को आवंटित किया गया था।

XIII. कृषि लागत अध्ययन केंद्रांसं, राजमहेन्द्री को प्रदान करना :

बोर्ड ने दो वर्षों की अवधि के लिए याने., जनवरी, 2022 से दिसंबर, 2023 तक ₹ 10.75 लाख की कुल लागत में “आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न मिट्टी क्षेत्रों के लिए एफसीवी तम्बाकू के लिए उन्नतिशील नवाचार (प्रोटोकाल) और व्यापक कृषि लागत विश्लेषण” नामक परियोजना को केंद्रांसं, राजमहेन्द्री को प्रदान किया था। केंद्रांसं, राजमहेन्द्री ने जनवरी, 2024 महीने में अंतिम परियोजना रिपोर्ट बोर्ड को सौंप दी।

परियोजना दल द्वारा 2022-23 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में मिट्टी क्षेत्र वार उत्पादित एफसीवी तम्बाकू के प्रति कि.ग्रा. के लिए उत्पादन और लाभप्रदता नीचे दिये गये :

विवरण	मिट्टी क्षेत्र			
	उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्र	दक्षिणी काली मिट्टी क्षेत्र	दक्षिणी हल्की मिट्टी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश औसत
कुल आय (₹/एकड़)	264110	164808	131112	183707
(*) कृषि लागत (₹/एकड़)	146203	110504	106597	121101
निबल आय (₹/एकड़)	117907	54304	24515	62606
उत्पादन लागत (₹/कि.ग्रा.)	136	146	176	152
लाभदायकता (₹/कि.ग्रा.)	109	72	40	74

(*) निजी किसान

XIV) किसानों को उत्पादन से संबंधित सेवाएँ :

(क) मिट्टी व जल विश्लेषण :

प्रति वर्ष, तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत तम्बाकू ग्रोयरों के मिट्टी और जल नमूनाओं को संग्रहण एवं विश्लेषण मुफ्त में कराती है। बोर्ड ने, विश्लेषित परिमाणों के आधार पर, एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए बोर्ड द्वारा मिट्टी उपयुक्तता और जल सिंचाई और गुणता व उपज वृद्धि के लिए उर्वरकों को सही मात्राओं में उपयोग करने के लिए ग्रोयरों को सलाह देती है। 2023-24 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 2,300 मिट्टी नमूनाओं को और 625 जल नमूनाओं को केवीके, दर्सी और आपीएल, तिरुपति की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा विश्लेषित करवाये गये।

कर्नाटका राज्य में आरसीएफ लिमिटेड, गौडहल्ली, कोलार जिला की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा 4,200 मिट्टी नमूनाओं को रथूल और सूक्ष्म पोषकतत्वों के लिए नमूनाओं को विश्लेषित किये गये और परिणामों को संबंधित ग्रोयरों को सूचित किये गये थे ।

राज्य	स्थूल & सूक्ष्म पोषकतत्वों के लिए मिट्टी नमूना	जल नमूना
आन्ध्र प्रदेश	2,300	625
कर्नाटका	4,200	—
कुल	6,500	625

ख) एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों के लिए बखार और माल (स्टॉक) बीमा :

बोर्ड ने, वर्ष 2003 से आन्ध्र प्रदेश में और 2019-20 फसल मौसम से कर्नाटका में स्टांडर्ड फायर तथा एलाइड पेरिल्स पॉलसी (स्थाई अग्नि तथा संबंध जोखिम पॉलसी) के जरिये क्यूरिंग और स्टोरेज के दौरान बखार तथा तम्बाकू स्टाकों को कवरेज बीमा की सुविधा दे रही है । पंजीकृत ग्रोयर भी हर साल सामूहिक वैयक्तिक दर्घटना पॉलसी (जीपीए) के अंतर्गत कवर होते हैं । 2023-24 फसल मौसम के दौरान, ओरियंटल इन्सुरेन्स कंपेनी लिमिटेड ने आन्ध्र प्रदेश में 31,074 ग्रोयरों को तथा 32,206.67 बखारों के लिए बीमा कवरेज को प्रावधान किया और इस के लिए ₹ 3.76 करोड़ की राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपेनी को अदा की गयी थी । यूनाइटेड इंडिया इन्सुरेन्स कंपेनी लिमिटेड ने कर्नाटका में 31,906 ग्रोयरों को तथा 49,595 बखारों के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान किया और इस के लिए ₹ 3.22 करोड़ की राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपेनी को अदा की गयी ।

आन्ध्र प्रदेश में (दि.31/03/2024 तक) 2023-24 फसल मौसम के लिए नीलाम ऐफार्म वार ग्रोथर रजिस्ट्रेशन और प्लानटेशन विवरण

विवरण	निर्धारित फसल परिमाण(गि.कि.ग्र.)			पंजीकृत ग्रोथर			बखारों की संख्या			पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)			रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)		
	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल
उहमि क्षेत्र															
देवरपल्टी	7.29	2.54	9.83	1645	984	2629	1894.51	1037.50	2932.01	3029.71	1141.25	4170.96	2961.37	1080.76	4042.13
जंगारेहु गुडेम-I	10.61	0.00	10.61	2505	0	2505	3001.00	0.00	3001.00	4799.60	0.00	4799.60	5153.00	0.00	5153.00
जंगारेहु गुडेम-II	10.84	0.00	10.84	2780	0	2780	3045.50	0.00	3045.50	4873.60	0.00	4873.60	5407.04	0.00	5407.04
कोस्यलगुडेम	10.55	0.00	10.55	2663	0	2663	3057.90	0.00	3057.90	4891.64	0.00	4891.64	5375.00	0.00	5375.00
गोपालपुरम	10.20	0.00	10.20	2286	0	2286	2780.00	0.00	2780.00	4448.00	0.00	4448.00	4799.20	0.00	4799.20
उप कुल	49.48	2.54	52.02	11879	984	12863	13778.91	1037.50	14816.41	22042.55	1141.25	23183.80	23695.61	1080.76	24776.37
इकाइ क्षेत्र															
वेल्लमपल्ली-II	3.32	5.21	8.53	1025	1497	2522	852.69	1466.46	2319.15	2472.61	2786.71	5259.32	2883.00	4122.00	7005.00
ओंगोल-I	2.47	7.34	9.82	1004	2039	3043	693.11	2043.65	2736.76	1868.68	3883.64	5752.32	2765.00	5810.00	8575.00
ओंगोल-II	0.00	8.00	8.00	0	2005	2005	0.00	2211.83	2211.83	0.00	4202.17	4202.17	0.00	5045.00	5045.00
ठंगुदू-I	0.00	10.07	10.07	0	2846	2846	0.00	2802.19	2802.19	0.00	5319.57	5319.57	0.00	7147.00	7147.00
कोडेपी	4.56	5.63	10.19	1980	1997	3977	1240.31	1574.93	2815.24	3561.80	2986.69	6548.49	4355.40	4132.60	8488.00
उप कुल	10.35	36.26	46.62	4009	10384	14393	2786.11	10099.06	12885.17	7903.09	19178.78	27081.87	10003.40	26256.60	36260.00



विवरण	निश्चारित फसल परिमाण(कि.फि.ग्र.)			पंजीकृत ग्रेयर			बआरों की संख्या			पंजीकृत देश (हेक्टे.)			रोपित देश (हेक्टे.)		
	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल
दहमि देश															
पोदिली-I	9.42	0.79	10.21	4158	280	4438	2415.35	211.52	2626.87	7011.76	402.04	7413.80	7795.16	417.84	8213.00
कलिगिरी	4.79	0.00	4.79	1526	0	1526	1273.90	0.00	1273.90	3687.66	0.00	3687.66	4478.00	0.00	4478.00
कंडुकूल-I	6.77	2.39	9.16	2569	823	3392	1867.52	670.67	2538.19	4974.22	1275.09	6249.31	6134.80	1703.00	7837.80
कंडुकूल-II	5.89	2.00	7.89	2201	779	2980	1613.09	563.92	2177.01	4542.60	1071.21	5613.81	5416.99	1491.01	6908.00
कलिगिरी	4.68	0.21	4.89	1390	49	1439	1207.08	51.75	1258.83	3501.67	98.34	3600.01	3616.20	107.70	3723.90
डी.सी. पल्टी	6.43	0.00	6.43	2084	0	2084	1720.50	0.00	1720.50	4989.46	0.00	4989.46	4930.00	0.00	4930.00
उप कुल	37.98	5.39	43.36	13928	1931	15859	10097.44	1497.86	11595.30	28707.37	2846.68	31554.05	32371.15	3719.55	36090.70
महा योजा	97.82	44.19	142.00	29816	13299	43115	26662.46	12634.42	39296.88	58653.01	23166.71	81819.72	66070.16	31056.91	97127.07

आन्ध्र प्रदेश में 2022-23 फसल मौसम के लिए बीलाम प्लैफार्म वार अंतिम रजिस्ट्रेशन विवरण

विवरण	निर्धारित फसल परिमाण(मि.कि.ग्र.)			पंजीकृत ग्रेचर			बखारों की संख्या			पंजीकृत शेत्र (हेक्टेर)			रोपित शेत्र (हेक्टेर)		
	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल
उहमि शेत्र															
देवरपल्टी	7.49	3.34	10.83	1726	1071	2797	2003.17	1118.50	3121.67	3205.07	1454.08	4659.15	2708.05	1275.83	3983.88
जंगारेड्डी गुडेम-I	10.46	0.00	10.46	2426	0	2426	2956.00	0.00	2956.00	4729.60	0.00	4729.60	4790.90	0.00	4790.90
जंगारेड्डी गुडेम-II	10.69	0.00	10.69	2721	0	2721	2966.67	0.00	2966.67	4746.67	0.00	4746.67	4365.30	0.00	4365.30
कोथलगड्हेम	10.41	0.00	10.41	2611	0	2611	2981.90	0.00	2981.90	4771.04	0.00	4771.04	4885.07	0.00	4885.07
गोपालपुरम	10.27	0.00	10.27	2302	0	2302	2782.50	0.00	2782.50	4452.00	0.00	4452.00	4248.00	0.00	4248.00
उप कुल	49.31	3.34	52.65	11786.00	107100	12857.00	13690.24	1118.50	14808.74	21904.38	1454.08	23358.46	20997.32	1275.83	22273.15
दफामि शेत्र															
वेल्लमपल्टी	3.33	5.21	8.54	1066	1510	2576	878.39	1455.13	2333.52	2548.24	2764.32	5312.56	2537.70	2853.55	5391.25
ओंगोल-I	2.35	7.19	9.54	1005	1974	2979	673.75	2043.63	2717.38	1813.33	3883.61	5696.94	2416.00	5005.00	7421.00
ओंगोल-II	0.00	8.08	8.08	0	2017	2017	0.00	2232.33	2232.33	0.00	4241.97	4241.97	0.00	4193.00	4193.00
टंगटूर-I	0.00	9.97	9.97	0	2837	2837	0.00	2787.49	2787.49	0.00	5287.49	5287.49	0.00	6004.20	6004.20
कोडेपी	4.50	5.48	9.98	1953	2017	3970	1203.78	1575.54	2779.32	3459.20	2972.92	6432.12	3813.00	3439.70	7252.70
उप कुल	10.18	35.93	46.12	4024	10355	14379	2755.92	10094.12	12850.04	7820.77	19150.31	26971.08	8766.70	21495.45	30262.15



विवरण	दिथारित फसल परिमाण(कि.मि.ग्र.)			पंजीकृत ग्रेयर			बख्यारों की संख्या			पंजीकृत शेत्र (हेक्टेर)			रोपित क्षेत्र (हेक्टेर)		
	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल
दहमि शेत्र															
पोदेलि-I	9.51	0.80	10.31	4210	280	4490	2445.47	213.18	2658.65	7099.52	405.18	7504.70	7229.00	570.00	7799.00
कनिगिरि	4.81	0.00	4.81	1518	0	1518	1247.94	0.00	1247.94	3618.38	0.00	3618.38	3981.00	0.00	3981.00
कंडुकूळ-I	6.58	2.29	8.88	2550	800	3350	1838.68	660.50	2499.18	4895.73	1256.57	6152.30	5560.00	1614.00	7174.00
कंडुकूळ-II	5.73	1.96	7.69	2128	783	2911	1564.48	556.17	2120.65	4403.71	1057.82	5461.53	4518.50	1717.00	6235.50
कलिगिरि	4.78	0.21	4.99	1410	53	1463	1224.97	56.75	1281.72	3553.65	107.84	3661.49	3263.90	107.00	3370.90
डी.सी. पट्टी	6.55	0.00	6.55	2128	0	2128	1721.70	0.00	1721.70	4992.93	0.00	4992.93	4660.00	0.00	4660.00
उप कुल	37.97	5.25	43.23	13944	1916	15860	10043.24	1486.60	11529.84	28563.92	2827.41	31391.33	29212.40	4008.00	33220.40
महा योग	97.47	44.53	142.00	29754	13342	43096	26489.40	12699.22	39188.62	58289.07	23431.80	81720.87	58976.42	26779.28	85755.70

कर्नाटका में 2023-24 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार अंतिम रजिस्ट्रेशन विवरण

क्र. सं	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	निर्धारित फसल परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	ग्रोयर	बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)	रोपित क्षेत्र (हे.)
मैसूर क्षेत्र :						
1	एच.डी.कोटे-I	10.11	3817	4925.00	6895.00	6355.00
2	दुन्सूर-2	7.77	3343	4136.00	5790.40	6122.60
3	दुन्सूर-3	7.00	3181	3803.00	5324.20	4713.20
4	दुन्सूर-64	6.02	2398	3048.00	4267.20	4448.40
5	चिलकुंदा-62	14.04	5631	7248.00	10147.20	9291.00
	उप-कुल	44.95	18370	23160.00	32424.00	30930.20
पेरियपट्टना क्षेत्र :						
6	पेरियपट्टना-4	13.02	4367	6127.00	8577.80	6420.00
7	पेरियपट्टना-5	11.53	4829	6197.00	8675.80	7810.05
8	पेरियपट्टना-6	11.90	4800	6093.00	8530.20	6786.00
9	रामनाथपुरा-7	10.05	4072	4977.00	6967.80	6101.00
10	रामनाथपुरा-63	8.55	3173	3945.00	5523.00	5357.00
	उप-कुल	55.05	21241	27339.00	38274.60	32474.05
	महा योग	100.00	39611	50499.00	70698.60	63404.25

विस्तार एवं सलाहकारी सेवाएँ

भारतीय एफसीवी तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसे प्रतियोगी बनाने तम्बाकू बोर्ड विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित करती है। तम्बाकू बोर्ड भी नवीन और बेहतर पैकेज पद्धतियों को अपनाने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को आर्थिक सहायता बढ़ा दी। आईसीएआर - केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था (केंद्रीय), राजमहेन्द्रवरम, राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंध संस्था (एनआईपीएचएम), हैदराबाद और तम्बाकू कंपेनियों के अनुसंधान & विकास विंगों के सहयोग से योग्य और प्रशिक्षित तकनीकी क्षेत्र कर्मचारियों की विस्तृत नेटवर्क को उपयोग करने के द्वारा तम्बाकू बोर्ड किसानों को समर्थन और विस्तार सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है। बोर्ड के व्यापक विस्तार एवं विकासात्मक कार्यकलाप निम्नानुसार है :

- विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति। (बीज, सक्कर साईड, उर्वरक)
- तम्बाकू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ।
- प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण

I. विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति :

फसल की उत्तम गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए एफसीवी तम्बाकू किसानों को फसल इनपुटों की मानक सेट को उपयोग करने की आवश्यकता है। तम्बाकू बोर्ड ने 2023-24 फसल मौसम के दौरान निम्नानुसार किसानों को विवेचित फसल इनपुट जैसे., बीज, उर्वरक और सक्करसाईड को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अपना लिया है।

(i) एफसीवी तम्बाकू बीज :

(परिमाण (कि.ग्रा. में)

राज्य	किस्म									
	कंचन	सीएच3	सिरी	एफसीआर 15	एफसीएच 222	एफसीजे 11	एन 98	सुलक्षण	अन्य	कुल
कर्नाटका	484.00	1080.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1582.00
आन्ध्र प्रदेश	0.50	321.00	3454.00	10296.50	0.00	37.50	3.00	22.00	0.00	14134.50
कुल	484.50	1401.00	3454.00	10296.50	15.00	37.50	3.00	22.00	3.00	15716.50

(ii) उर्वरक :

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में, तम्बाकू बोर्ड ने किसानों की समिति (सीओएफ), जिससे पंजीकृत ग्रोयरों को अपने खयं के लिए (उर्वरकों को) प्राप्त करने और वितरण करने का अधिकार है, के द्वारा उर्वरकों की खरीद और वितरण की सुविधा प्रदान किया था। यह सदृश विधान 2023-24 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में उत्तरी मिट्टी



क्षेत्र में जिला सहकारी विपणन सोसाईटी लिमिटेड (डीसीएमएस), एलुरु, दक्षिण क्षेत्रों में आन्ध्र प्रदेश तम्बाकू ग्रोयर सहकारी यूनियन लिमिटेड, ऑंगोल, जिला सहकारी विपणन सोसाईटी (डीसीएमएस), ऑंगोल & नेल्लुरु और कर्नाटक में कर्नाटका राज्य बीज निगम लिमिटेड (केएसएससी लिमिटेड) की सेवाओं को उपयोग करके उर्वरक वितरण को सफलतापूर्वक लागू किया। तम्बाकू बोर्ड ने, आपूर्ति के सभी पहलूओं में याने., मॉगपत्रों और अग्रिम राशियों के संग्रह से लेकर, बैंकों से इनपुट ऋण व्यवस्था, तम्बाकू बोर्ड गोदामों को बाहरी रोत अभिकरणों को मुफ्त किराया में उपलब्ध कराना आदि., में सहायता सम्पत्ति प्रदान किया था। बाहरी क्षेत्र अभिकरणों ने किसानों की समिति द्वारा दिये सहमति के अनुसार उर्वरकों के मूल्य, भुगतान की शर्तें और आपूर्ति समय-सारणी के अनुसार निर्माणकर्ताओं को आपूर्ति करने के लिए आदेश रख दिये थे। बाहरी रोत एजेन्सियों और किसानों की समिति ने राज्य कृषि विभागों की सहायता से उर्वरकों की गुणवत्ता को मोनिटरिंग किये थे।



कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में आपूर्तित उर्वरकों के विवरण नीचे दिये गये :

कर्नाटका (क ह मि क्षेत्र) :

उर्वरक	निर्माणकर्ता	परिमाण (एम.टी)	मूल्य (₹/ठन)	मूल्य (₹ लाखों में)
अम्मोनियम सल्फेट	फैक्ट	6,384.15	18,480.00	1,179.79
	जीएसएफसी	1,110.90	18,900.00	209.96
	कुल	7,495.05		1,389.75
सल्फेट ऑफ पोटाश	आईपीएल	7,232.25	75,000.00	5,424.19
	ट्रान्स वरल्ड	2,109.30	74,000.00	1,560.88
	कुल	9,341.55		6,985.07
डै अम्मोनियम फास्फेट	सीआईएल	3,070.95	26,477.50	813.11
	आईपीएल	42.90	26,475.00	11.36
	कुल	3,113.85		824.47
कालशियम नैट्रेट	ट्रान्सवरल्ड	1,384.875	79,200.00	1,096.82
महा योग		21,335.325		10,296.11

आन्ध्र प्रदेश :

उर्दक	प्रदायक	दहमि/दकामि क्षेत्र			उहमि क्षेत्र			कुल
		परिमाण (एम.टी)	मूल्य (₹/टन)	(₹ लाखों में)	परिमाण (एम.टी)	मूल्य (₹/टन)	(₹ लाखों में)	
अन्नोनियम सल्टेट	फैवट	1426.50	17375.00	247.85	5085.55	17375.00	883.61	6512.05
	जीएसएफसी	857.65	17600.00	150.95	0.00	0.00	0.00	857.65
उप कुल	2284.15		398.80	5085.55		883.61	7369.70	1282.42
डे अम्मोनियम फार्मेट	आईपीएल	917.40	26100.00	239.44	1473.30	26100.00	384.53	2390.70
सल्टेट ऑफ पोटाश	आईपीएल	864.05	71025.00	613.69	2907.65	71025.00	2065.16	3771.70
	प्लोरिस	0.00	0.00	0.00	536.60	60000.00	321.96	536.60
	ट्रान्सवरल्ड	0.00	0.00	0.00	1396.85	69000.00	963.83	1396.85
	ट्रान्सवरल्ड (फटिंगेशन मोड)	0.00	0.00	0.00	632.10	72000.00	455.11	632.10
उप कुल	864.05		613.69	5473.20		3806.06	6337.25	4419.75
कालशियम नेट्रेट	ट्रान्सवरल्ड	0.00	0.00	0.00	146.375	39900.00	58.40	146.38
	कांटिनेटल	16.625	54000.00	8.98	0.00	0.00	0.00	16.625
कुल	16.625		8.98	146.375		58.40	163.00	67.38
महा योग		4082.225		1260.91	12178.425		5132.61	16260.650
								6393.52



(iii) सक्करसाईंड :

तम्बाकू बोर्ड ने एफसीवी तम्बाकू पत्तों की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मान्युवल टॉपिंग के बाद सक्करों के नियंत्रण करने कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को सक्करसाईंड की आपूर्ति की सुविधा प्रदान की थी।

2023-24 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में ₹ 809.59 लाख मूल्य के 1,38,207.50 लीटर परिमाण और कर्नाटका में ₹ 221.09 लाख मूल्य के 37,215 लीटर सक्करसाईंड

रसायनों (सक्करआऊट, डेकोगॉल, सीटेन) की आपूर्ति किये गये थे।

II) फार्म यांत्रिकीकरण - पीवीसी/एचडीपीआई पाईप :

आन्ध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थायी एफसीवी तम्बाकू फसल में सूखा समस्याओं को कम करने तम्बाकू बोर्ड ने जीव रक्षण सिंचायी को सरल बनाने के लिए 291 तम्बाकू ग्रोयरों को 5000 यूनिटों की एचडीपीआई पाईपों को वितरण करने की व्यवस्था की और ₹ 12.84 लाख की सविस्ती दिया गया था।



III) संपोषित तम्बाकू उत्पादन (एसटीपी) सूत्रपात्रों के द्वारा तम्बाकू की उपज और गुणता की वृद्धि से संबंधित विस्तार & विकासात्मक योजनाएँ :

बोर्ड ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, तम्बाकू की कृषि लागतों को कम करने, उपज गुणवत्ता की वृद्धि, क्यूरिंग प्रक्रिया और पूर्व कटाई उत्पाद प्रबंध में ऊर्जा संरक्षण और जीवनशी और गैर-तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) से मुक्त अनुवर्ती गुणता तम्बाकू उत्पादन करने का समग्र लक्ष्य के द्वारा पैदावार और गुणता को वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न विस्तार & विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

(क) स्वास्थ्य बीजों का उत्पादन - ट्रे बीज तकनीकी और शेड नेटों की व्यवस्था :

एफसीवी तम्बाकू खेती में ट्रे नर्सरी तकनीकी को सिफारिश किया गया है, जो मिट्टी जनित बीमारी समर्थ्या और ट्रान्सप्लानटेशन प्रधातों को रोकने से दूर रहने स्वास्थ्य तम्बाकू पौधों की उत्पादन किया जा सकें। ट्रे नर्सरी पौधों, जो पारंपरिक रूप में सीड बेड नर्सरी के अंतर्गत उगाये गये पौधों की तुलना में, फसल में व्यूनतम अंतराल भरने के साथ एक रूपता को सुनिश्चितता और इसके परिणाम स्वरूप क्यूरड पत्ता में उपज और गुणवत्ता में वृद्धि को प्रदान करते हैं। ट्रे में उत्पादित पौधे ट्रान्सप्लानटेशन प्रधात के बिना प्रधान क्षेत्र में 100% प्रतिस्थापन की सुविधा के साथ 10 से 25% उत्पाद विकास से एकरूप फसल की वृद्धि को सुनिश्चित करती है। 2023-24 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों राज्यों में बोर्ड ने, किसान समितियों को बेहतर गुणता के लिए प्रो ट्रे को खरीदने और प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी को बढ़ाने के द्वारा सहायता दी है। विवरण निम्नानुसार है :



राज्य	ग्रोयरों की संख्या	ट्रे की संख्या	सब्सिडी (₹ लाखों में)
कर्नाटका	5516	1143631	47.95
आन्ध्र प्रदेश	1432	673393	20.49
कुल	6948	1817024	68.44

(ख) कोकोपिट :

कोकोपिट को स्वास्थ्य बीज उत्पादन के लिए एक वृद्धि साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जो मिट्टी जनित रोगों के प्रभाव से रोकने और नमी संरक्षण में भी सहायता देती है। तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र के 294 एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को कोकोपिट की आपूर्ति के लिए प्रोत्साहन के रूप में ₹ 2.23 लाख की सब्सिडी राशि बढ़ा दी और आपूर्ति विवरण नीचे दिये गये हैं।

राज्य	ग्रोयरों की संख्या	कोकोपिट परिमाण (कि.ग्रा.)	सब्सिडी (₹ लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	294	1,72,950	2.23



(ग) शेड नेटों की प्रतिस्थापन :

आन्ध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र के ग्रोयरों को पौधों की वृद्धि अवधि के दौरान प्रतिकूल वातावरण अनियमितताओं जैसे., अत्यधिक बारिश और अधिक तापमानों से ट्रे पौधों को रक्षा करने शेड नेटों की प्रतिस्थापन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। बोर्ड ने दहमि और दकामि क्षेत्रों के 287 यूनिट शेड नेटों की आपूर्ति से संबंधित 272 ग्रोयरों को ₹ 1.35 लाख की सब्सिडी को बदा दी गई।



(घ) मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंध :

(i) हरित खाद बीजों की आपूर्ति :

तम्बाकू की मिट्टियाँ निरंतर तम्बाकू की खेती के कारण ज्यादातर हल्की संरचना और अल्प सेन्ड्रिय कार्बन से होते हैं। तम्बाकू बोर्ड ने मिट्टी की स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने के लिए 2023-24 फसल मौसम के दौरान लगभग बीज ₹ 10/- प्रति किलो और ₹ 200/- प्रति बखार/ग्रोयर को सब्सिडी देने के साथ बड़े पैमाने में खरपथाने हरी खाद को प्रमोट किया और आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सरकारी बीज आपूर्ति एजेन्सियों से सनहेम्प बीजों की आपूर्ति की व्यवस्था की है। बोर्ड द्वारा सब्सिडी के साथ आपूर्ति सनहेम्प बीज और हरित खाद फसलों के अंतर्गत क्षेत्र विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	मिट्टी क्षेत्र	ग्रोयरों की संख्या	सब्सिडी के साथ आपूर्ति सनहेन्प बीज परिमाण (कि.ग्रा)	सब्सिडी राशि (₹)	हरित खाद फसल के अंतर्गत क्षेत्र (हे)
कर्नाटका	कहमि क्षेत्र	1327	32940	329400	1590.60
आन्ध्र प्रदेश	उहमि क्षेत्र	384	7650	76500	4699.58
	दहमि क्षेत्र	77	1230	15400	3149.40
	दकामि क्षेत्र	62	1180	12400	8563.80
आन्ध्र प्रदेश कुल		523	10060	104300	16132.78
महा योग		1850	43000	433700	18003.38



(ii) नवधान्यालु बीज किटों की आपूर्ति :

एरुवाक पौर्णमी दक्षिण भारत में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के कई प्रातों में किसानों द्वारा मनाया जाने वाली एक विशेष त्योहार है। इस एरुवाक पौर्णमी के सुअवसर पर, तम्बाकू बोर्ड ने एफसीवी तम्बासू किसानों को हरी खाद फसल के रूप में नवधान्यालु बीजों को, जो मिट्टी की उर्वरता & स्वास्थ्य को बढ़ाने, भूमि में सेन्द्रीय कार्बन की प्रतिशत को बढ़ाने, प्रधान फसल पेस्ट तथा बीमारियों के प्रतिरोध करने और जलवायु विपत्तियों आदि., में प्रधान भूमिका निभाता है, को आपूर्ती करने का निर्णय लिया है। तम्बाकू बोर्ड ने 80 पंजीकृत तम्बाकू ग्रोयरों को नवधान्यालु किट निःशुल्क वितरित किये थे। कार्यपालक निदेशक ने दि. 05/06/2023 को ओंगोल में आयोजित इस एरुवाक पौर्णमी कार्यक्रम में भाग लिये और तम्बाकू ग्रोयरों को किटों को वितरित किये थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल मिलाकर ₹ 0.88 लाख राशि व्यय किया गया था।



(इ) जीव उर्वरकों की आपूर्ति :

कृषि में जीव उर्वरकों का उपयोग पर्यावरण अनुकूल उपाय के रूप में साबित हुआ, जो संपोषित फसल उत्पादन में सहायता करती है। तम्बाकू में पोटाशियम (के) का एक मात्र सिफारिश स्रोत एसओपी है और एसओपी की लागत वर्ष-द-वर्ष बढ़ रही हैं। पोटाशियम तम्बाकू में गुणवत्ता का महत्वपूर्ण तत्व है और क्यूरड पत्ते के वर्ण, पत्ता गुणवत्ता और पत्ता के जलने की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। पोटाशियम 'के' पौधों का सबसे महत्वपूर्ण पोषकतत्व है, जो विकास, रूपान्तरण (मेटबालिजम) और बीमारियों, कीटों और जीव तनाव के प्रति पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अत्यधिक कीमतों के कारण एसओपी की उपयोगिता को कम करने तम्बाकू बोर्ड ने 2023-24 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के ग्रोयरों को एनआईपीएचएम, हैदराबाद से 988 लीटर पोटाशियम रीलीज जीवाणु (केआरबी) को आपूर्ति करने की व्यवस्था की।

(च) संघटित पेस्ट प्रबंध अभ्यास (आईपीएम) - आईपीएम इनपुट/उपकरणों की आपूर्ति :

संघटित कीट प्रबंध एक ऐसी अवधारणा है, जहाँ प्रभावी पेस्ट और रोग नियंत्रण को रासायनिक तरीकों के अतिरिक्त सभी कीट नियंत्रण पद्धतियाँ याने., जैविक, संवर्धन, यांत्रिक और वनस्पतिक आदि., के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। संघटित कीट प्रबंध का उद्देश्य यह है कि जीव नाशी रसायनों के उपयोग को कम करना, अवशेषों को कम करना और पर्यावरण और मिट्टी की सूक्ष्म पेड़-पौधे और जीवों की रक्षा करना है। इस योजना के अन्तर्गत बोर्ड ने एफसीवी ग्रोयरों को 1) ल्यूरों के साथ फोरोमेन ट्राप, 2) पीला चिपचिता ट्राप, 3) जैव-कीटनाशक जीवाणु-समूह, 4) गेंदा के पौधों, 5) बाजरा/जेवार बीजों को आपूर्ति की सुविधा प्रदान की और आईपीएम अनुकूल का प्रभावपूर्ण कायान्वयन के लिए इन इनपुटों पर सब्सिडी को बढ़ा दिया। इनपुट वार विवरण निम्नानुसार है :



(1) फेरोमोन ट्राप :

राज्य	ग्रोयरों की संख्या	भौतिक उपलब्धि (ट्रापों की संख्या)	वित्तीय उपलब्धि (₹ लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	518	9,475	1.68
कर्नाटका	102	810	0.16
कुल	620	10,285	1.84

(2) पीला विपचिपा द्राप :

राज्य	ग्रोयरों की संख्या	भौतिक उपलब्धि (द्रापों की संख्या)	वित्तीय उपलब्धि (₹ लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	550	7914	0.47
कर्नाटका	113	802	0.06
कुल	663	8716	0.53

(3) जैव - कीटनाशक :

जैव-कीटनाशक मिट्टी जनित रोगों की घटनाओं को रोकने के लिए उपयोगी होते हैं और इस प्रकार कीटनाशकों के उपयोग को कम कर सकते हैं। 2023-24 फसल मौसम के दौरान, एनआईपीएचएम, हैदराबाद के द्वारा एफसीवी तम्बाकू के पंजीकृत ग्रोयरों को 1995 लीटर ट्रिकोडेर्मा हर्जियानम और 1427 लीटर सूडोमोनस प्लोरोसेन्स की आपूर्ति की और इस के लिए ₹ 3.78 लाख की सहिती दी गई।



राज्य	ग्रोयरों की संख्या			परिमाण (लीटरों में)			राशि (₹)		
	ट्रिकोडेर्मा	सूडोमोनस	कुल	ट्रिकोडेर्मा	सूडोमोनस	कुल	ट्रिकोडेर्मा	सूडोमोनस	कुल
आं.प्र.	372	243	615	1623.00	1055.00	2677.68	162268.00	131875.00	294143.00
कर्नाटका	372	372	744	372.00	372.00	744.00	37200.00	46500.00	83700.00
कुल	744	615	1359	1995.00	1427.00	3421.68	199468	178375	377843.00

(4) गेंदा पौधों :

गेंदा पौधों को तम्बाकू क्षेत्र के आसपास या क्षेत्र के अन्दर उगाया जा सकता है, जो गेंदा के फूल हेलियोतिस कीटों को अंडा देने के लिए आकर्षित करते हैं और यदि गेंदा पौधा पर अंडे और लार्वा को समय-समय पर कलेक्ट करके और इसे नष्ट किये जाने पर हेलियोतिस संक्रमण से तम्बाकू फसल को रोकने में एक जाल फसल के रूप में सहायता करती है। बोर्ड ने, कन्दुकुरु, जीलुगुमिळ्ळी और हुन्सूर में स्थित केतंअसं अनुसंधान स्टेशनों से 11,17,500 गेंदा पौधों को प्रत्येक पौधा ₹ 0.75/- के मूल्य में प्राप्त की और इसे आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी क्षेत्रों के एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को निःशुल्क वितरित की। इस के लिए ₹ 8.38 लाख की राशि खर्च हुई थी।



(5) जवार और बाजरा बीज :

तम्बाकू फसल के चारों ओर 4 पंक्तियों में सीमा फसल के रूप में बोयी जाने वाली जवार और बाजरा सफेद मक्खी के हमले से रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है और हितकारी पराजीवी और परभक्षियों की आश्रय के रूप में कार्य करती है। बोर्ड ने कर्नाटका राज्य बीज निगम, कर्नाटका सरकार से 500 कि.ग्रा. बाजरा बीज ₹48/- प्रति किलो के मूल्य में और 564 कि.ग्रा. जवार बीज ₹ 53/- प्रति किलो के मूल्य में खरीदकर इसे कहमि क्षेत्र के 746 ग्रोयरों को निःशुल्क आपूर्ति की और इस बीज की व्यय से संबंधित ₹ 0.54 लाख राशि खर्च हुई।



IV) क्यूरिंग प्रयासों की वृद्धि - ऊर्जा संरक्षण उपाय :

तम्बाकू किसान को लाभकारी बनाये रखने और तम्बाकू खेती को पर्यावरण अनुकूल बनाने, कांच की ऊन / धान की स्ट्रा के साथ बखार छत सीलिंग और उचित वायु संचालन के लिए बखार के ऊपर टर्बो वेंटिलेटर को रखना और पारंपरिक भट्टी को वेंटुरी भट्टी से बदलना आदि., ईंधन दक्षता तकनीकों को अपनाने के द्वारा क्यूरिंग की लागत को कम करने की अत्यंत आवश्यकता है। 2023-24 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के एफसीवी तम्बाकू किसानों को ₹100.26 लाखों की राशि सब्सिडी दी है।

(क) परंपरागत फर्नेस के स्थान में वेंटुरी फर्नेस (फर्नेस का संशोधित अभिकल्प) की प्रतिस्थापना के लिए योजना:

“वेंटुरी फर्नेस”, जो ईंधन और गर्मी स्थानांतरण को बेहतर दहन की सुविधा, प्लू पाईप में सूट जमावट से बचने आविसज्जन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चिता और ईंधन व्यय में 15-20% तक बचत प्राप्त होती है।

मिट्टी क्षेत्र वार वेंटुरी फर्नेस से प्रतिरथापित बखार विवरण इस प्रकार है :

मिट्टी क्षेत्र	ग्रोयरों की संख्या	वेंटुरी फर्नेस से प्रतिस्थापित बखारों की संख्या	सब्सिडी राशि (₹ लाखों में)
उहमि	31	32	1.60
दकामि	57	52	2.60
दहमि	135	87	4.35
कुल	223	171	8.55



(ख) बखारों को ज्लास ऊन पृथक्करण और टर्बो वैंटिलेटर के साथ फिटिंग :

टर्बो वैंटिलेटर के साथ बखारों को ज्लास ऊन पृथक्करण से बखार में मुक्त वायु संचार और 25% से 27% तक लकड़ी ईंधन की बचत और बखार में पत्ता की कारमलैजेशन को कम करती है। इस योजना से लकड़ी ईंधन की बचत होती है और इसके द्वारा कृषि लगन भी कम होती है। मिट्टी क्षेत्र वार विवरण निम्नानुसार है :

मिट्टी क्षेत्र	ग्रोयरों की संख्या	कवर किये बखारों की संख्या	राशि (₹ लाखों में)
दकामि	172	147	13.23
दहमि	194	147	13.23
कुल	366	294	26.46



(ज) टर्बो वेंटिलेटर के साथ धान तृण छत पृथक्करण :

बखार के ऊपर टर्बो वेंटिलेटर लगाने के साथ धान तृण बखार पृथक्करण के लिए तम्बाकू बोर्ड ने ₹65.25 लाख राशि की सविस्डी प्रदान किया गया। इस तकनीकी से औसतन 30% ईधन की बचत प्राप्त हुई।

ग्रोयर लाभयोगियों की संख्या	बखारों की संख्या	सविस्डी (₹ लाख)
1177	1196	65.25

V) पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध - उत्पाद अखंडता के लिए उपाय :

(क) गैर - तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) का निष्कासन - कान्वास टार्पालिनों की आपूर्ति :

तम्बाकू उद्योग के लिए गैर-तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) एक संकटपूर्ण चिंता का विषय रहा और एनटीआरएम को पता लगाना और निष्कासन से आपूर्ति शृंखला को मदद मिल सकती है। फार्म रत्तर पर एनटीआरएम ऋतों की रोकथाम और निष्कासन लागत प्रभाती है और यह ग्रोयरों को शिक्षित करने का निरंतर प्रयास और एनटीआरएम से बचने के लिए ग्रोयरों को पता कटाई, परिवहन, क्यूरिंग और क्यूरड पता का भंडारण आदि., के समय टार्पालिनों की आपूर्ति के द्वारा इसे सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। उत्पाद अखंडता को सुनिश्चित करने बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में 4,062 ग्रोयरों को 4,062 कान्वास टार्पालिन सविस्डी मूल्य में निम्नानुसार आपूर्ति की है :

राज्य	ग्रोयरों की संख्या	यूनिटों की संख्या	राशि (₹ लाख)
आन्ध्र प्रदेश	3,192	3,192	32.56
कर्नाटका	870	870	7.48
कुल	4,062	4,062	40.04




(ख) बलिंग शेड / नमूना भंडारण सुविधाएँ का निर्माण :

तम्बाकू को क्यूरिंग, ग्रेडिंग, बेलिंग कार्य समापन से लेकर विपणन के लिए तैयार करने तक अच्छी हालत में तम्बाकू को बनाये रखने के लिए ऑन-फार्म भंडारण सुविधा/इनफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करना आवश्यक है। क्यूरड तम्बाकू प्राकृतिक रूप से आद्रता-ग्राही होती है और उत्पाद को बलिंग और भंडारण करने में उचित देखभाल नहीं करने पर बिंगड जाती है। इसलिए बोर्ड ने, प्रति यूनिट को ₹ 6,500/- से ₹ 16,000/- वित्तीय

सहायता, जो 350 स्कैयर फीट से 600 स्कैयर फीट प्लिंथ क्षेत्र से अधिक को वित्तीय सहायता और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा



आवश्यक वित्तीय सहायता व्यवस्थित करने के द्वारा ग्रोयरों को बलिंग शेडों को निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन कर रही है। आन्ध्र प्रदेश में 36 बल्क शेडों के निर्माण से संबंधित 36 ग्रोयरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की लेखा के अंतर्गत बोर्ड द्वारा खर्च किया गया कुल व्यय ₹ 5.11 लाख है।



(ग) पत्ता तम्बाकू में सीपीए (फसल संरक्षण एजेंट) अवशेषों की मोनिटरिंग और नियंत्रण :

कीटनाशियों की अव्यवस्थित उपयोग याने, कीटनाशियों को आवश्यकता से अधिक उपयोग, सिफारिश मात्राओं से अधिक मात्रा में उपयोग, कीटनाशियों की मिश्रण (एक से अधिक कीटनाशकों का मिश्रण) का उपयोग, तम्बाकू के लिए प्रतिबंधित कीटनाशियों का उपयोग या तम्बाकू के लिए नहीं सिफारिश कीटनाशियों की उपयोगिता आदि., जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की समस्या के लिए कारण होते हैं। क्यूरड तम्बाकू पत्ता में सीपीए अवशेषों की समस्या तम्बाकू की निर्यात संभावनों को प्रभावित करने वाली गंभीर आयाम माना जाता है, क्योंकि तम्बाकू निर्यात देशों, जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेष, जो वैधानिक अधिकतम अवशेष स्तर (एमआरएल) से नीचे होने के लिए कड़े शर्तें लगाये थे। हालांकि, भारतीय तम्बाकू कम सीपीए अवशेषों के लिए माना जाता है और तम्बाकू बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन - 2023 - 2024

सीपीए अवशेषों की भविष्य समस्याओं से निपटाने के लिए कौशल योजना और कार्यवाही योजना को विकसित करने के उद्देश्य से तम्बाकू बोर्ड अनेक उपायों को सक्रिय रूप से कार्यान्वयित कर रही हैं।

तम्बाकू बोर्ड समस्यात्मक गाँवों, जो सीपीए हॉटस्पॉट के होते हैं, को पहचान करने के लिए किसान स्तर नमूनाओं में तम्बाकू पत्ते में रहे सीपीए अवशेष परीक्षण को अपनाया है। विश्लेषण परिणामों के आधार पर, जीआरएल से ऊपर इस सीपीए अवशेष की पुनः घटना को प्रतिबंधित करने के लिए विशिष्ट केन्द्रित हॉटस्पॉट मध्यस्थिति को अपनाये गये।

फसल मौसम	राज्य	विश्लेषित नमूनाओं की संख्या	राशि (₹ लाख)
2022-23	आन्ध्र प्रदेश	169	14.26
2023-24	कर्नाटका	105	11.97
	कुल	274	26.23

(घ) निकोटिन, शक्कर और क्लोरैड के लिए तम्बाकू पत्ता का पत्ता रसायन विश्लेषण :

निकोटिन, शक्कर और क्लोरैड को निर्धारण करने के लिए तम्बाकू बोर्ड ने प्रत्येक फसल मौसम में तम्बाकू पत्तों को विश्लेषण भी कराती है, ताकि विशेष मौसम के दौरान उगाये गये पत्ता की गुणवत्ता का निर्धारण और फसल रसायन की स्थापना हो सके।

फसल मौसम	राज्य	विश्लेषित नमूनाओं की संख्या	राशि (₹ लाख)
2021-22	आन्ध्र प्रदेश	112	2.53
2022-23		106	2.40
2023-24	कर्नाटका	105	2.38
	कुल	323	7.31

VI) प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण :

किसानों से व्यक्तिगत संपर्कों, सामूहिक बैठकों, किसान प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट-सह-अध्ययन यात्रा, कार्यशाला, ऑन फार्म ट्रयलों / परिणाम प्रदर्शन और नमूना परियोजना क्षेत्र योजनाओं के द्वारा तम्बाकू बोर्ड नवीनतम प्रौद्योगिकी पर समय पर सूचनाओं को स्थानांतरण करने द्वारा तम्बाकू विकसित करने में मदद कर रही है।

(i) किसानों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम :

किसान समुदाय को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना विस्तार अभिकल्पना और योजना के सबसे बड़े महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इससे नवीनतम तकनीकी का ज्ञान, नेतृत्व का विकास और व्यवहार परिवर्तन आदि., का स्थानांतरण और उपयोग करने की अपार संभावनाएं प्राप्त होती हैं। प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और सतत आवश्यक प्रक्रिया है। यह प्रशिक्षण, तम्बाकू की खेती में अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) को लागू करने में किसानों को कुशल बनाती है, जिससे इथरता सुनिश्चित होती है। यह प्रशिक्षण विस्तार कर्मचारियों के लिए नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ क्षमता, व्यावसायिकता और सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत जरूरी है।

तम्बाकू बोर्ड ने 2023-24 फसल मौसम के दौरान, केंद्रीय & एनपीएचएस से विशेषज्ञों और व्यापारी वर्ग से कृषि वैज्ञानिकों/तकनीकी अधिकारियों को शामिल करते हुए सीड बेड की तैयारी से लेकर पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध तक होने वाली विभिन्न फसल चरणों में ग्रोयरों और क्षेत्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण दी थी।

- ❖ 2023-24 में आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों के सभी मिट्टी क्षेत्रों के किसानों को फसल वृद्धि की विभिन्न चरणों में 156 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 7,731 प्रतिभागियों (ग्रोयर/कर्मचारी) भाग लिये थे। दोनों राज्यों में ग्रोयर प्रशिक्षण कार्यक्रमों आयोजित करने के लिए ₹ 5.18 लाख की राशि खर्च हुई।



- ❖ एनआईपीएचएम, हैदराबाद के विशेषज्ञ उहमि और कहमि क्षेत्रों के नीलामी प्लैटफार्मों को विजिट किये थे और एफसीवी तम्बाकू खेती में जैव-कीटनाशकों, जैव-उर्वरकों को द्रव्यमान गुणन प्रक्रियाओं और जैव-कीटनाशकों और पोटाशियम रीलिजिंग जीवाणु (केआरबी) फार्मलैशन पर ग्रोयरों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया था। इस प्रदर्शनियों के लिए संदर्शन शुल्क के रूप में ₹ 0.48 लाख राशि भुगतान किया गया था। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

मिट्टी क्षेत्र	एनआईपीएचएम विशेषज्ञों के संदर्शन तारीख	अवधि
कर्नाटका में कहमि क्षेत्र	03/04/2023 & 04/04/2023	2 दिन
आन्ध्र प्रदेश में उहमि क्षेत्र	28/09/2023 & 29/09/2023	2 दिन



- ❖ दि. 20 और 21 अप्रैल-2023 तक येलवाल, मैसूर में एफसीवी तम्बाकू खेती/उत्तम कृषि प्रयासों में आधुनिक प्रगति और एफसीवी तम्बाकू फार्मिंग में सामना करने वाली समस्याओं पर आईटीसी अनुसंधान विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्र कर्मचारियों को दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।



- ❖ दि. 07/07/2023 को आईसीएआर - सीटीआरआई, राजमहेन्द्री में ‘मिट्टी उर्वरता स्थिति से संबंधित मिट्टी उर्वरता और स्वास्थ्य, उर्वरकों की सिफारिश’ पर तम्बाकू बोर्ड ने प्रबंधको, केंद्रीय संसद के विशेषज्ञों और आन्ध्र प्रदेश के सभी मिट्टी क्षेत्रों के ग्रोयरों प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श सत्र आयोजित किया गया था । इस विचार-विमर्श सत्र को आयोजित करने के लिए ₹ 0.22 लाख खर्च किया गया था ।
- ❖ दि. 19/07/2023 को कर्नाटका में कार्यरत् तकनीकी कर्मचारियों को और दि. 20/07/2023 को ग्रोयरों को नीलाम अधीक्षक का कार्यालय, चिलकुंदा में ‘‘एफसीवी तम्बाकू कृषि में समेकित पेस्ट प्रबंध (आईपीएम) & समेकित पोषकतत्व प्रबंध (आईएनएम) और पेस्ट तथा बीमारियों, पोषकतत्व कमी लक्षणों का पहचान और इसके प्रबंध प्रयासों’’ पर हैदराबाद से एनआईपीएचएम विशेषज्ञों द्वारा दो दिवसीय इन-हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था । इस कार्यक्रम के लिए ₹ 2.70 लाख राशि खर्च किया गया था ।



- ❖ दि. 14/11/2023 से 16 /11/2023 तक (i) सूखा अल्पीकरण अभिगमों & विधान (ii) समेकित पोषकतत्व प्रबंध (आईएनएम) और (iii) प्राकृतिक फार्मिंग व्यवहार/सेन्ड्रीय कृषि पर राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंध (एनआईपीएचएम), हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश के 15 तकनीकी कर्मचारियों (नीअ/वश्रेआ, क्षेअ और क्षेस) को ₹ 0.89 लाख व्यय खर्च करके 3 दिवसीय ऑन-काम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।



- ❖ श्री विरसा मुंडा जन्म दिवस की सुअवसर पर कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश दोनों राज्यों में अनुसूचित जनजाति के ग्रोयरों को शिक्षित करने उत्तम कृषि प्रयासों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे ।



- ❖ “एफसीवी तम्बाकू उत्पादन के लिए उत्तम कृषि व्यवहारों” पर तम्बाकू बोर्ड के क्षेत्र सहायकों को केतंअसं विशेषज्ञ अपने अनुसंधान केन्द्र, जीलुगुमिल्ली (10/01/2024) और कन्दुकुरु (18/01/2024) में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे । इस कार्यक्रम के लिए ₹ 2.56 लाख राशि खर्च किया गया था ।



- ❖ श्री खालीला विवेकानन्द की 161वीं जयंति के सुअवसर दि. 12/01/2024 को ओंगोल में “मेरा युव भारत के अन्तर्गत युव उद्योगपतियों (ड्रोन तकनीकी पर डेमो) के लिए समर्थता निर्माण कार्यक्रम” को आयोजित किया गया है, जिसमें कृषि उपयोग के लिए विशेषकर कीटनाशकों और उर्वरकों को छिड़काव के लिए ड्रोनों के प्रचालनों के बारे में इस कार्यक्रम में बताया गया ।



- ❖ तम्बाकू बोर्ड ने एफसीवी तम्बाकू फार्म श्रमिकों के बीच आयुष्मान कार्ड (पीएम-जे-एवाई खास्त्य कार्ड) पर एक बड़ा अभियान प्रारंभ किया । आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में लगभग 2,141 फार्म श्रमिकों इस अभियान में नामांकित किये गये थे ।



- ❖ दि.05/03/2024 और दि.06/03/2024 को कर्नाटका के एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को केंद्रांतरं के अनुसंधान केन्द्र, हुन्सूर द्वारा उत्तम कृषि व्यवहारों पर दो दिवसीय ऑन-काम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए ₹ 1.62 लाख राशि खर्च किया गया था।



- ❖ दि.07/03/2024 को सीआईएई, कोयंबत्तूर के विशेषज्ञों द्वारा केंद्रांतरं अनुसंधान केन्द्र, कन्दुकुरु में “एफसीवी तम्बाकू पत्ता स्ट्रिंगिंग मशीन” का प्रदर्शनी आयोजित किया गया था, जिसमें अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, निदेशक, केंद्रांतरं, प्रबंधक (विरतार), तम्बाकू बोर्ड, विशेषज्ञों, व्यापारी वर्ग और ग्रोयरों इसं कार्यक्रम में भाग लिये थे।



उहमि क्षेत्र में सीपीए अवशेष नियंत्रण से संबंधित अपनाये गये विस्तार कार्यक्रम-कार्यान्वित कार्यवाही योजना:

- ❖ बोर्ड ने तम्बाकू में कीटनाशी अवशेषों को पता लगाने नियमित अन्तरालों में उद्योग के सभी पण्धारियों याने., व्यापारी सदस्य, ग्रोयर और विशेषज्ञ, केंद्रांतरं, राजमहेन्द्रवरम के साथ बैठकें आयोजित की।
- ❖ 2023-24 फसल मौसम के लिए उहमि क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू में सीपीए अवशेष समस्या को नियंत्रण करने के लिए कार्यान्वित किये जाने वाली कार्यवाही पर उपाय निकालने के लिए तम्बाकू उद्योग के सभी पण्धारियों के साथ दि.21/02/2024 को मुख्य कार्यालय, गुण्ठूर में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में केंद्रांतरं के विशेषज्ञों, मुख्य कार्यालय के प्रबंधक, प्रादेशिक प्रबंधक, उहमि क्षेत्र, व्यापार वर्ग से प्रतिनिधियों, ग्रोयर प्रतिनिधियों, तम्बाकू बोर्ड पदाधिकारियों और कर्मचारी भाग लिये थे।

- ❖ नीलाम अधीक्षकों ने सीपीए गिरषयों पर संकेन्द्रित ग्रामीण स्तर के जानकारी बैठकें आयोजित किये थे ।
- ❖ तम्बाकू में कीटनाशक अवशेषों के दुष्प्रभावों पर और सिफारिश कीटनाशकों और विभिन्न पेरस्ट तथा बीमारियों के नियंत्रण के लिए डोसेजों के साथ नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में सूचना देने वाली विज्ञप्तियों (हान्ड बिलों) को तैयार किये गये और इसे ग्रोयरों को वितरित किये गये ।
- ❖ प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्रोयरों को तम्बाकू में सिफारिश न किये गये कीटनाशकों का उपयोग नहीं करने और कार्बोनिजम, डाइथियोकार्बोमेट और पेंडिमिथालीन को उपयोग करने से दूर रहने के लिए अपील किये गये थे ।
- ❖ प्रत्येक नीलाम प्लोर में और 90 पहचानित हॉट-स्पाट गॉवों में कार्बोनिजम, डाइथियोकार्बोमेट और पेंडिमिथालीन आदि., के उपयोग से दूर रहने प्लेक्सी द्वारा ग्रोयरों को अपील किये गये ।
- ❖ ग्रोयरों को सीपीए की प्रबंध पर पोर्टर/करपत्रों के रूप में, जिसमें कीट की आर्थिक अवसीमा (थ्रेशोल्ड) स्तर और पूर्व-पैदावार अन्तराल की अवधि आदि., पर प्रचार सामग्री को आपूर्ति किये गये ।
- ❖ कीट नियंत्रण उपायों को ग्रोयरों की एकत्रित स्थानों में सूचना पट्ट में प्रदर्शित किये गये ।
- ❖ केतंअसं द्वारा सिफारिश किये परिमाण मात्राओं सहित सिफारिश क्रिमिनाशकों और पेरस्ट नियंत्रण उपायों की सूचना को एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों के बीच विस्तृत प्रचार किया गया ।
- ❖ तम्बाकू ग्रोयरों को कीटनाशकों की विक्रियों पर निरन्तर निगरानी करना और कीटनाशक दुकानों में सिफारिश कीटनाशकों पर सूचना प्रदर्शित करना । कीटनाशक दुकानदारों को जानकारी बैठक/प्रशिक्षण आयोजित किये गये ।
- ❖ वैज्ञानिक नमूना प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए, पता तम्बाकू का परीक्षण सीपीए अवशेषों को पहचान करने के लिए किया गया था, ताकि उपज की स्थापना को पता लगा सके एतद्वारा उहमि क्षेत्र के एफसीवी तम्बाकू में सीपीए अवशेष समर्थ्या को कम करने के लिए आगे कदम उठाने के लिए अधिक जोखिम वाले गॉवों को पहचाह किया जा सके ।
- ❖ ग्रोयरों को उपायों जैसे., सिफारिश मात्राओं में सिफारिश कीटनाशकों का प्रयोग, झूठी परिपक्वता नियंत्रण के लिए कीटनाशकों की रसे से दूर रहना, सिफारिश परिमाणों से अधिकाधिक नैट्रोजेन उर्वरकों के उपयोग को सीमीत रखना, अपतृण नियंत्रण के लिए शाकनाशीयों के उपयोग से दूर रहना, कीट नियंत्रण के लिए प्राकृतिक संघटकों के साथ गाढ़ा (कानकोवशन) का प्रयोग आदि., पर शिक्षित कराना ।

(ii) कार्यशाला :

आन्ध्र प्रदेश में दि.03/11/2023 को केतंअसं - अनुसंधान केन्द्र, कन्दुकुरु और दि.07/11/2023 को कोयलगूडेम नीलाम प्लैटफार्म में ग्रोयरों, बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों को एफसीवी तम्बाकू में नवीनतम “उत्तम कृषि अभ्यासों (जीएपी)” पर दो कार्यशालाएँ और दि.16/05/2023 को मैसूर में और दि.02/06/2023 को पेरियपट्टन क्षेत्र में ग्रोयरों, बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों को एफसीवी तम्बाकू में नवीनतम “उत्तम कृषि अभ्यासों (जीएपी)” पर दो कार्यशालाएँ आयोजित किये गये थे । 4 कार्यशालाओं को आयोजित करने से संबंधित ₹ 2.41 लाख की राशि खर्च हुई थी ।



राज्य	मिट्टी शेत्र	व्यय (₹ लाखों में)
कर्नाटका	मैसूरु	0.50
	पेरियपट्टना	0.50
आन्ध्र प्रदेश	दहमि & दकामि	0.91
	उहमि	0.50
	कुल	2.41

(iii) आन्ध्र प्रदेश के ग्रोयरों को अध्ययन-यात्रा :

तम्बाकू बोर्ड ने प्लैटिनम जयन्ती समारोह के सुअवसर पर दि.13/12/2023 को आन्ध्र प्रदेश अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत सभी 16 नीलाम प्लैटफार्मों के 148 किसानों/कर्मचारियों को आईसीएआर-सीटीआरआई, राजमहेन्द्री को अध्ययन यात्रा आयोजित किया। ग्रोयर भी आईसीएआर - सीटीआरआई के स्टालों को विजिट किये और एफसीवी तम्बाकू खेती में उत्तम कृषि प्रक्रियाओं को प्रशंसा किये थे। दि.09/11/2023 & 10/11/2023 के दौरान सभी नवीनतम तकनीकियों को कवर करते हुए (प्रदर्शनी और सम्मेलन के द्वारा) तम्बाकू ग्रोयरों के हित के लिए कर्नाटका के अन्तर्गत सभी 10 नीलाम प्लैटफार्मों में 123 किसानों/कर्मचारियों को मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड, नंजनगुड के ग्रीन लीफ थ्रेशिंग प्लान्ट को अध्ययन यात्रा का आयोजित किया गया था। दि.29/12/2023 को कर्नाटका में विशेषकर महिला ग्रोयरों को शिक्षित करने एक अध्ययन यात्रा आयोजित किया गया था और थ्रेशिंग और पेंकिंग के समय गैर-तम्बाकू संबंधित सामाजिक निष्कासन पर नंजनगुड में तम्बाकू पत्ता थ्रेशिंग प्लान्ट को विजिट किया गया था।

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी मिट्टी क्षेत्रों से अध्ययन यात्रा से संबंधित उठाये गये व्यय विवरण नीचे दिये गये:

मिट्टी क्षेत्र	दौरा की तारीख	व्यय (₹ लाखों में)
कहमि - मैसूरु	09/11/2023	0.23
कहमि - पेरियपट्टना	10/11/2023	0.27
कहमि - महिला ग्रोयरों के लिए मैसूरु और पेरियपट्टना	29/12/2023	0.22
उहमि	13/12/2023	0.62
दकामि & दहमि	13/12/2023	0.84
	कुल	2.18



(iv) प्रचार सामग्री :

2023-24 फसल मौसम के दौरान एफरीवी तम्बाकू खेती में (क) ओरबान्धे नियंत्रण उपाय और हरित खाद और (ख) गैर-तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) आदि., प्रत्येक पर 17,000 करपत्रों के मुद्रण से संबंधित ₹ 0.87 लाख की राशि खर्च हुई और आन्ध्र प्रदेश के ग्रोयरों को वितरित किये गये थे।

(v) क्षेत्र मित्र दल :

तम्बाकू बोर्ड ने केंद्रअसं से विशेषज्ञों, प्यापारी वर्ग से क्षेत्र कार्यकारी दल और बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों के साथ 05 दलों को बनाने के द्वारा “क्षेत्र मित्रों” को कार्यान्वित किया था। यह क्षेत्र दल 2023-24 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में उन्हें निर्दिष्ट नीलाम प्लैटफार्मों में तम्बाकू उगाने वाले गॉवरों को विजिट किये और ग्रोयरों को फसल उत्पादन और संरक्षण, पैदावार, क्यूरिंग, पेरिटसाईडों का उपयोग को कम करना, टॉपिंग व डी-सक्करिंग, एनटीआरएम का निष्कासन, पूर्व पैदावार उत्पाद प्रबंध आदि., पर ग्रोयरों को सलाह दिया। इस कार्यान्वित करने के लिए ₹ 0.98 लाख राशि व्यय हुआ था।



VIII) ऑन-फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण :

2023-24 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू कृषि के प्राकृतिक खेती विधान का प्रभाव, मौजूदा किरमों की तुलना में नयी किरमों (आन्ध्र प्रदेश के दक्षिण & दहमि क्षेत्रों में एफसीआर-15 और कर्नाटका में एफसीएच-222) की क्षमता पर विभिन्न प्रकार परीक्षण और फसल गुणवत्ता और उपज पर केआरबी (पोटाशियम रीलिज जीवाणु) का प्रभाव पर ऑन-फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण को कार्यान्वित किया था। इस एफसीवी तम्बाकू की कृषि के प्राकृतिक खेती मोड में रसायनिक उर्वरुक और रसायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किये जाते हैं और ग्रोयर पेरिट्साईड मुक्त तम्बाकू को उत्पादित करते हैं। 2023-24 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों राज्यों में ग्रोयरों, जिन्होंने ट्रूयलों को अपनाये और ट्रूयलों के अन्तर्गत क्षेत्र विवरण इस प्रकार है :

परीक्षण का उद्देश्य	राज्य	ग्रोयरों की संख्या	परीक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र	
			(हेक्टारों में)	(एकड़ों में)
प्राकृतिक खेती	कर्नाटका	4	1.60	4.00
किरमवार (एफसीएच 222 किरम)		3	1.20	3.00
फसल गुणवत्ता और उत्पाद पर पोटाशियम रीलीजिंग जीवाणु (केआरबी) प्रयोग प्रभाव पर मूल्यांकन		3	2.20	5.50
	कुल	10	5.00	12.50
प्राकृतिक खेती	आन्ध्र प्रदेश	2	3.20	8.00
प्राकृतिक खेती और केआरबी		1	0.40	1.00
किरमवार ट्रूयल (दक्षिण & दहमि में एफसीआर-15 किरम)		9	11.30	28.25
फसल गुणवत्ता और उत्पाद पर केआरबी की प्रयोग का प्रभाव पर मूल्यांकन		4	7.70	19.25
	कुल	16	22.60	56.50
	महा योग	26	27.60	69.00

बोर्ड ने, इन परीक्षणों को अपने क्षेत्रों में आयोजित कराने के लिए प्रोत्साहन के रूप में और क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए भी ग्रोयरों को वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाने से संबंधित कर्नाटक में ₹ 1.64 लाख और आन्ध्र प्रदेश में ₹ 2.97 लाख राशि व्यय की थी। इस क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों में आन्ध्र प्रदेश में कुल 837 ग्रोयरों और कर्नाटक में 530 ग्रोयर भाग लिये थे और उन्हें प्राकृतिक फार्मिंग के अवधारणा, केआरबी उपयोग और नये किस्मों के बारे में शिक्षित किये गये।



VIII) नमूना परियोजना क्षेत्र :

बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश के 16 गाँवों में और कर्नाटक के 11 गाँवों में तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं को अपनाने इन गाँवों में रहे किसानों को प्रोत्साहित करने, एक केंद्रित तरीके से नमूना परियोजना क्षेत्र को कार्यान्वित की थी। इस योजना को कार्यान्वित करने ₹ 10.60 लाख की राशि खर्च हुई।



IX) अपने ईंधन को स्वयं पैदा करना :

किसान समुदाय को लकड़ी की पृष्ठि देने त्वरित पैदा होने वाली वृक्ष पौधों को (आगे-वनप्रांत बागान) को बढ़ाने और एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग में पर्यावरणीय महत्व को पता लगाने तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत ग्रोयरों, जिन्होंने अपने बरवार स्थलों, बंजर भूमि और क्षेत्र पुश्तों में ल्पानटेशन को अपनाने के लिए इच्छुक है, को त्वरित पैदा होने वाली पौधों को निःशुल्क आपूर्ति किये थे। नीलाम अधीक्षकों ने बैठक स्थलों में ग्रोयरों को नवजात पौधों को वितरित किये और किसान क्षेत्रों में प्लानटिंग में भी भाग लिये थे।



X) व्यापारी और केन्द्रीय सरकार अनुसंधान संस्थाओं के सौजन्य से तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये अनुसंधान परियोजनाएँ :

1. सौर्य थर्मल ऊर्जा आधारित एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग प्रणालियों का विकास और मूल्यांकन :

तम्बाकू बोर्ड ने व्यापार वर्ग (मेसर्स आईटीसी & जीपीआई लिमिटेड) के सहयोग से अनुसंधान परियोजना “सौर थर्मल ऊर्जा आधारित एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग प्रणालियों का विकास और मूल्यांकन” के निष्पादन के लिए आईसीएआर - केंद्रीय संसाधन विभाग से अनुसंधान प्रदान की है। केंद्रीय संसाधन विभाग ने इस परियोजना के लिए निम्नानुसार उल्लिखित कार्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की है:

- ❖ सौर थर्मल मध्यस्थितियों का समाकलन याने., पॉलीकार्बोनेट छत कक्ष, सौर गरम हवा संचारण, सौर गरम जल संचारण के संघटन के परिणामस्वरूप ईंधन लकड़ी का खर्च 33% तक कम हो गई।
- ❖ मौजूदा बखार के ऊपर सौर ताप ऊर्जा कलेकटर के रूप में पॉलीकार्बोनेट छत कक्ष की स्थापना से उहमि तम्बाकू में 21% तक ईंधन लकड़ी की व्यय को कम करने में सक्षम होगा।
- ❖ एलपीजी गैस अन्तर्वेशन को सिफारिश किया गया था।

2. एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग में लकड़ी ईंधन उपयोग को कम करने के लिए खुला-पत्ता बखार (एलएलबी) का मूल्यांकन

“खुला-पत्ता बखार का वैज्ञानिक मूल्यांकन और एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग में इसका प्रभाव” पर मेसर्स आईटीसी लिमिटेड के सौजन्य में तम्बाकू बोर्ड ने एक परियोजना केंद्रीय संसाधन विभाग से संबोधित की गयी थी। इस परियोजना के लिए तम्बाकू बोर्ड ने ₹ 1.96 लाख राशि दिया था। मेसर्स आईटीसी लिमिटेड ने केंद्रीय संसाधन विभाग के लिए एक बखार को निर्माण किया और सीटीआरआई इस अनुसंधान को पूरा करके अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। सिफारिश निम्नानुसार है:

- ❖ बखार (एलएलबी) में खुला पत्ता लोड करने से स्टिंगिंग और डी-स्टिंगिंग प्रक्रिया पूर्ण रूप से वर्जित रहा है।
- ❖ एलएलबी में स्टिंगिंग और डी-स्टिंगिंग प्रक्रिया में उठाये गये व्यय का बचत होता है।
- ❖ पारंपरिक बखार (4.68 कि.ग्रा.) की तुलना में खुला पत्ता बखार (2.96 कि.ग्रा.) में प्रति कि.ग्रा. क्यूरड पत्ता के लिए ईंधन की आवश्यकता कम है।
- ❖ एलएलबी में विजली और डीजिल के लिए उठाये जाने वाली अतिरिक्त व्यय पारंपरिक बखार में क्यूरिंग के लिए उपयोग किये जाने वाली अतिरिक्त ईंधन के लिए उठाये गये मूल्य द्वारा क्षतिपूरित किया जायेगा।
- ❖ क्यूरड पत्तों में धब्बा से दूर रहने क्यूरिंग प्रक्रिया का स्थायीकरण करने के लिए सुझाव।

❖ खुला पत्ता बखार में लकड़ी ईंधन के स्थान में सौर ऊर्जा और अन्य रोतों के समाकलन से प्लू-क्यूरिंग प्रक्रिया में पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकता है।

3. कहमि क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पोषकतत्व सम्पूरण, निमठोड़/नियंत्रण के लिए बयो-कनसार्टिंग का मूल्यांकन :

यह परियोजना 2022-23 & 2023-24 फसल मौसम के दौरान केंद्र-असं अनुसंधान केन्द्र, हुब्स्हर, कर्नाटका राज्य में आयोजित किया आया था। एफसीवी तम्बाकू क्षेत्र में बयो-कनसार्टिंग का प्रयोग से सिफारिश उर्वरकों का 25% मात्रा कम करने के साथ अत्यधिक उत्पादकता पैदा हुई। केंद्र-असं ने इन क्षेत्रों में मिट्टी और क्यूरड पत्ता विश्लेषण को अपनाये हैं और अंतिम परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इस परियोजना के लिए ₹4.56 लाख राशि दिया गया था।

4. एफसीवी तम्बाकू पत्ता स्ट्रिंगिंग मशीन का विकास और मूल्यांकन :

तम्बाकू बोर्ड ने, आईसीएआर - सीटीआरआई (केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था) और आईसीएआर - सीआईएआई (केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था) को ‘‘एफसीवी तम्बाकू पत्ते स्ट्रिंगिंग मशीन का विकास और मूल्यांकन’’ परियोजना दि. 09/11/2021 को सौंप दिया गया था। यह प्रस्तावित परियोजना के लिए लागत ₹ 11.055 लाख को व्यापारी वर्ग की सहायता से तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाया गया। बोर्ड का हिस्सा के रूप में ₹ 5.525 लाख की राशि व्यय हुई। निर्माणित आदर्श (फ्रटोटाईप) को पूरा किया गया था और दि. 07 मार्च, 2024 को उपज पत्तों को बाँधने के लिए मशीन की सुरक्षितता को लाने के लिए केंद्र-असं अनुसंधान केन्द्र, हुब्स्हर और कन्दुकुरु में कई बार परिक्षित किये गये थे। इसका प्रदर्शन केंद्र-असं, कन्दुकुरु में सीआईएआई, कोयंबत्तूर शाखा द्वारा आयोजित किया गया था और प्रतिभागियों द्वारा पत्ता को खयं-लोडिंग और बाँधने के लिए ट्रे के स्थान में वाहक पट्टा (कनवेयर बेल्ट) का निर्माण और लगाने के लिए सिफारिश किया गया है। इस की अंतिम प्रदर्शन और रिपोर्ट समापन होना बाकी है।

5. पत्ता होल्डिंग स्पाईक रॉड :

❖ तम्बाकू बोर्ड ने एफसीवी तम्बाकू पत्ता स्ट्रिंगिंग और डी-स्ट्रिंगिंग प्रचालनों में श्रामिकों श्री भागीदारी को कम करने के लिए कम लागत वाले जीआई स्टील पत्ता होल्डिंग स्पाईक रॉड और पत्ता लोडिंग के लिए मशीन का निर्माण करने का कार्य अपना लिया। 260 स्पाईक राडों को मशीन सहित प्राथमिक वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए आईसीएआर - केंद्र-असं को सौंप दिये गये थे और दि. 26/04/2023 को इस 260 स्पाईक राडों की सहायता से लोड किया गया था।



- ❖ इस पत्ता होलिंग कतित (विलपड) स्पाईक रॉडों की प्रभाव को जानकारी लेने जंगारेड्डी गूडेम नीलाम प्लैटफार्म क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रोयर बखार में प्रदर्शन को आयोजित किया गया था। इसे दि. 15/06/2023 को आईसीएआर - केंद्रांशं के अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा पृष्ठि किया गया और कृषि लागत को कम करने तम्बाकू बोर्ड की इस पहल को अनुमोदित किये थे। 2023-24 फसल मौसम के दौरान पत्ता होलिंग कतित (विलपड) स्पाईक रॉडों और प्रोसिंग टेबुल से संबंधित ₹ 2.09 लाख की राशि खर्च किया गया था।



2023-24 के दौरान विस्तार & विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय :

2023-24 के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ₹ 326.04 लाख कुल राशि व्यय खर्च की।

विस्तार योजनाएँ	व्यय (₹ लाखों में)
फार्म यांत्रिकीकरण	14.93
तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता की वृद्धि	125.83
क्यूरिंग प्रयासों की वृद्धि	100.26
एनटीआरएम का निष्कासन और उत्पाद अखंडता	40.04
पोर्ट-हार्वर्ट उत्पाद प्रबंध	5.11
किसानों और तकनीकी कमचारियों को प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम	20.10
ऑन-फार्म परीक्षा & प्रयोगात्मक परीक्षण	4.61
नमूना परियोजना क्षेत्र	10.60
रीसर्च प्राजेक्ट, सीआईएई-सीटीआरआई, राजमहेन्द्री	4.56
कुल	326.04

योजना वार भौतिक / वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ पृष्ठ सं. 57 से 61 में दिये गये।

**2023-24 फसल मौसम - विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ
भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ**

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों की संख्या			भौतिक उपलब्धि (संख्या/कि.ग्रा./लीटर)			वित्तीय उपलब्धि (₹ लाख)		
		आं.प्र	कर्नाटका	कुल	आं.प्र	कर्नाटका	कुल	आं.प्र	कर्नाटका	कुल
1	फार्म यांत्रिकीकरण									
क	पत्ता होल्डिंग स्पाईक रॉड							2.09		2.09
ख	एचडीपीई पाईप	291		291	5000		5000	12.84		12.84
	उप कुल	291		291	5000		5000	14.93	0.00	14.93
2	एफसीवी तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता वृद्धि करना									
क	हरित खाद बीज	523	1327	1850	10060	32940	43000	1.04	3.29	4.33
ख	नवधान्यालु	80		80	1040		1040	0.88		0.88
ग	पेस्टिसाईड और रासायनिक अंशीभूतों के लिए पत्ता विश्लेषण				387	210	597	19.19	14.34	33.53
	संघटित पेरस्ट प्रबंध पद्धतियाँ									
घ	फोरोमेन ट्राप	518	102	620	9475	810	10285	1.68	0.16	1.84
ङ	पीला चिपचिपा ट्राप	550	113	663	7914	802	8716	0.47	0.06	0.53
च	ट्रे और कोकोपिट की आपूर्ति	1432	5516	6948	673393	1143631	1817024	20.49	47.95	68.44
छ	कोकोपिट की आपूर्ति	294		294	172950		172950	2.23		2.23
ज	बयो-पेस्टिसाईडों की आपूर्ति	615	744	1359	2678	744	3422	2.94	0.84	3.78
झ	नरसरी रैंजिंग करने ग्रीन हॉउस/ पॉली हॉउस का निर्माण	272		272	287		287	1.35		1.35
ञ	गेंदा (मेरीगोल्ड) बीजों की आपूर्ति	2119	2229	4348	885000	232500	1117500	6.64	1.74	8.38
ट	जवार & बाजरा बीजों की आपूर्ति		746	746		1064	1064	0.00	0.54	0.54
	उप कुल	6403	10777	17180				56.91	68.93	125.83
3	क्यूरिंग पद्धतियों की वृद्धि - ऊर्जा संरक्षण उपाय									
क	ज्लास वूल छत पृथक्करण / पेढ़ी स्ट्रा इन्युलेशन	366	1177	1543	294	1196	1490	26.46	65.25	91.71
ख	वेन्टुरी फर्नेस का स्थापन	223		223	171		171	8.55		8.55
	उप कुल	589	1177	1766				35.01	65.25	100.26
4	एनटीआरएम का निष्कासन और टार्पलीनों (कान्वास) की आपूर्ति द्वारा उत्पाद अखंडता	3192	870	4062	3192	870	4062	32.56	7.48	40.04

**2023-24 फसल मौसम - विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ
भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ**

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों की संख्या			भौतिक उपलब्धि (संख्या/कि.ग्रा./लीटर)			वित्तीय उपलब्धि (₹ लाख)		
		आं.प्र	कर्नाटका	कुल	आं.प्र	कर्नाटका	कुल	आं.प्र	कर्नाटका	कुल
5	पीएचपीएम उपाय-बलिंग शेड/ मोडल भंडारण सुविधाओं का निर्माण	36		36	36		36	5.11		5.11
6	अन्य विकासात्मक कार्यक्रम किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण									
क	कार्यशाला	352	384	736	2	2	4	1.41	1.00	2.41
ख	नीलाम अधीक्षकों द्वारा ग्रोयरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम	4794	2937	7731	96	60	156	3.12	2.06	5.18
ज	एनआईपीएचएम/सीटीआरआई में अधिकारियों/कर्मचारी/ग्रोयरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम	190	386	576	6	6	12	3.84	4.64	8.48
घ	प्रचार & विस्तार साहित्य				34000		34000	0.87		0.87
ड.	अध्ययन यात्रा	148	123	271	16	10	26	1.46	0.72	2.18
च	क्षेत्र मित्र दल				6	2	8	0.75	0.23	0.98
	उप कुल	5484	3830	9314				11.45	8.65	20.10
7	ऑन-फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक									
क	ट्रयल	16	14	30	16	14	30	2.24	1.14	3.38
ख	क्षेत्र दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम	837	530	1367	16	10	26	0.73	0.50	1.23
8	नमूना परियोजना क्षेत्र (हे.)	885	544	1429	16	11	27	6.47	4.13	10.60
9	वैज्ञानिक तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान अध्ययन के लिए निधिकरण							4.56		4.56
	महा योग	17733	17742	35475				169.97	156.07	326.04

2023-24 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत
अ.जा/अ.जा/महिला & अन्य ग्रेयरों को कवरेज

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभांशोंगतीय			भौतिक उपलब्धि (सं/फि.ग्र./लीटर)			वित्तीय (अक्षियाँ ₹ में)			
		एस सी	एस ई	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस ई	महिला	अन्य	कुल
1	फार्म चार्ट्रिकीकरण										
क	पता होलिंग स्पाइकर रॉड										209000
ख	एचडीपीई पार्टीप	23	0	80	188	291	370	0	1408	3222	5000
	उप कुल	23	0	80	188	291	370	0	1408	3222	5000
2	एफसीवी तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता वृद्धि करना										
क	हरित खाद वीज	84	65	394	1307	1850	1880	1640	9410	30070	43000
ख	नवधान्यालू	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0
ग	पेटिटसाइड और रासायनिक अंशीभूतों के लिए पता विश्लेषण								597		3353626
	संघटित पेटिट प्रबंध पद्धतियाँ										
घ	फोरोमेन ट्राप	15	10	149	446	620	263	344	2660	7018	10285
इ	पीला चिपचिपा ट्राप	22	15	169	457	663	281	355	2418	5662	8716
च	द्रैंगे और कोकोपिट की आपूर्ति	346	215	1632	4755	6948	78444	53564	469628	1213388	1817024
छ	कोकोपिट की आपूर्ति	2	79	213	294	1200	48150	123600	172950	2164	312955
ज	बयो-पेटिटसाइडों की आपूर्ति	30	49	318	962	1359	52	185	892	2293.00	3422.00
झ	नरसुई ऐंजिंग करने ग्रीन हॉउस/पॉली हॉउस का निर्माण	1	74	197	272	1	79.5	206.5	287	469	37285
											96849
											134603



**2023-24 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत
अ.जा/अ.ज.जा/महिला & अन्य ग्रेयरों को कवरेज**

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभांशोंगियाँ			भौतिक उपलब्धि (सं/कि.ग्रा./लीटर)			वित्तीय (सख्ती ₹ में)			
		एस सी	एस ई	महिला	अन्य	कुल	एस सी	कुल	एस सी	महिला	अन्य
अ	गेंद (मेरीगोड़) बीजों की आपूर्ति	263	424	896	2765	4348	36480	109982	242723	728315	1117500
इ	जवार & बाजरा बीजों की आपूर्ति	32	23	176	515	746	38	27	242	757	1064
	उप कुल	795	801	3887	11617	17180					514205.5
३	कच्छिंग पद्धतियों की वृद्धि - ऊर्जा संरक्षण उपाय										441292.5
क	गलास फूल छत पृथकरण / पेही रसा इन्युलेशन	53	44	373	1073	1543	51	45	361.88	1032.12	1490
ख	वेंडुरी फर्नेस का स्थापन	7	0	64	152	223	4.25	0	52.75	114	171
	उप कुल	60	44	437	1225	1766					323750
४	एनटीआरएम का निष्कासन और टापलीनों (काच्चास) की आपूर्ति बारा उत्पाद असंडता										235000
५	पीएचपीएम उपाय - बलिंग शेड/ मोडल भंडारण सुविधाओं का निर्माण	213	79	819	2951	4062	213	79	819	2951	4062
											281600
											101000
											786200
											2836000
											4004800
											466500
											511500

2023-24 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत
अ.जा/अ.ज.जा/महिला & अन्य ग्रेयरों को कवरेज

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभक्रीड़ों				भौतिक उपलब्धि (सं/कि.ग्रा./लीटर)				वित्तीय (लखियाँ ₹ में)						
		एस सी	एस ई	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस ई	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस ई	महिला	अन्य	कुल
6	अन्य विकासात्मक कार्यक्रम किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण															
क	कार्यशाला		736								4					241337
ख	नीलाम अधीक्षकों द्वारा ग्रेयरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम															517571
ग	एनआईएचएम / सीटीआरआई में अधिकारियों/कर्मचारी / ग्रेयरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम															
घ	प्रचार & विस्तार साहित्य										12					847857
इ.	अध्ययन यात्रा															86716
च	क्षेत्र मित्र दल															218453
	उप कुल															97724
																2009658
7	अंतं-फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक															
क	द्रव्याल										30					337566
ख	क्षेत्र दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम															122270
8	नवमृता परियोजना क्षेत्र (हे.)															
9	ऐजानिक तकनीकी और आधिक अनुसंधान अध्ययन के लिए निधिकरण															1060356
	महा योग	1091	924	5226	16014	35475					0					456000
																32604195
																16977950
																5914951
																16977950



तम्बाकू बोर्ड पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समर्थता निर्माण (प्रशिक्षण) कार्यक्रम :

- 1) तम्बाकू बोर्ड, गुण्ठूर में आईआईएसटीडी, नई दिल्ली के संकाय द्वारा दि.10/07/2023 से दि.14/07/2023 तक और दि.07/09/2023 से दि.09/09/2023 तक आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में 95 पदाधिकारियों / कर्मचारियों को (46+49) को जीएसटी और वित्तीय नियमों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।



- 2) विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोटर (डीआर व पदोन्नती) का रखरखाव पर दि.15/09/2023 को नई दिल्ली में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में श्री पी. रविशंकर, लेखाकार, का.प्र. अनुभाग, मुख्य कार्यालय, गुण्ठूर को नामित किया गया था ।
- 3) श्री जी. दामोदर, प्रबंधक (विस्तार) को दि.18/10/2023 को तम्बाकू वैंडर लाईसेन्सिंग का कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय ऑनलाईन परामर्श को नामित किया गया था ।
- 4) दि.07/02/2024 से दि.13/02/2024 तक तम्बाकू बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रसार कौशल/व्यवहार विकास पर आन्ध्र प्रदेश में कार्यरत् 115 बाहरी-स्रोत क्षेत्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।



- 5) दि.26/03/2024 से दि.28/03/2024 तक आईएसटीएम, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अभिलेख प्रबंध - सूचना का प्राधिकार पर आयोजित ऑन-लाईन प्रशिक्षण में 06 तम्बाकू बोर्ड के पदाधिकारियों भाग लिये थे ।

ग्रोयर कल्याण पहलू (सूत्रपात)

I) तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि :

तम्बाकू बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना & ओडिषा राज्यों में लगभग 76,600 तन्बाकू ग्रोयरों और उनके परिवार के सदस्यों के समग्र कल्याण को निश्चित करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की रवीकृति के साथ 2009-10 में “तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण योजनाएँ” प्रारंभ करने के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी उपायों को अपनायी है।

यह कल्याण योजना द्वारा प्राकृतिक और दुर्घटना मृत्यु के लिए मृत सदस्यों को मृत्यु अनुदान के रूप में और बालिका विवाह, सदस्य बच्चों की शिक्षा, प्रथान बीमारियों/दुर्घटना मामलों का इलाज, जो शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है, को और प्राकृतिक आपत्तियों/अग्नि दुर्घटनाओं के कारण डामेज हुए बखारों को मरम्मत आदि., के लिए व्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रावधान करती है। तम्बाकू बोर्ड इस योजना के प्रारंभ होने से लेकर दि.31/03/2024 तक अनुदान और ऋणों के शब्दों के रूप में 21,760 सदस्यों को ₹ 82.96 करोड वित्तीय सहायता (₹ 68.76 करोड मूल्य के अनुदान 16,730 लाभभोगियों को मंजूर किये गये तथा 5,030 ग्रोयरों को ₹ 14.20 करोड मूल्य के व्याज मुक्त ऋण) मंजूर किये गये। 2023-24 के अंत तक, तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि में ₹ 69.94 करोड की राशि उपलब्ध रही।

वर्ष 2023-24 के दौरान, अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र दि.02/01/2024, सं 2/3/2022-ईपी (अग्नि-VI) द्वारा वाणिज्य मंत्रालय की अनुमति से अनुदानों के रूप में ₹ 5.73 करोड की राशि और व्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹ 0.81 करोड की राशि कुल मिलाकर ₹ 6.54 करोड राशि और विशेष व्याज मुक्त फसल डामेज ऋण के रूप में ₹ 3.47 की राशि 3,470 ग्रोयर सदस्यों को, जिनका फसल आन्ध्र प्रदेश में ‘मिचांग’ चक्रवात के कारण डामेज हुआ था, को मंजूर किया गया था।

योजना प्रारंभ से दि. 31/03/2024 तक मंजूर किये गये अनुदान / व्याज मुकत क्रहणों के रूप में वित्तीय सहायता को दर्शानेवाला विवरण

योजना का संबंध	योजना का प्रारंभ से 31/03/2024 तक				2023-24 के दौरान (01/04/2023 से 31/03/2024 तक)			
	आन्ध्र प्रदेश-	कर्णाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्णाटका	कुल	आन्ध्र-भोगियों की संख्या लाखों में	राशि (₹) की संख्या लाखों में
मुल्य अनुदान								
सहज मृत्यु	9852	3268.50	5261	2653.62	15113	5922.12	440	220.00
दुर्घटना मृत्यु	359	245	136	135.50	495	380.50	13	13.00
कुल अनुदान (क)	10211	3513.50	5397	2789.12	15608	6302.62	453	233.00
व्याज मुकत क्रण								
(क) बालिका विवह	588	153.75	1194	589.25	1782	743.00	1	0.50
(ख) प्रधान बीमारी	95	30.15	20	9.74	115	39.89	0	0.00
(ग) बलार ऋण	2224	260.85	320	148.51	2544	409.36	0	0.00
(ग) बलार ऋण	287	79.74	138	67.85	425	147.59	2	1.00
(इ) विशेष व्याज मुकत फर्यल डामेज ऋण	10882	1088.20	0	0.00	10882	1088.20	3470	347.00
कुल ऋण (ख)	14076	1612.69	1672	815.35	15748	2428.04	3473	348.50
महायोग (क + ख)	24287	5126.19	7069	3604.47	31556	8730.66	3926	581.50
							830	419.50
							4756	1001.00

नीलामकार की सेवाएँ

तम्बाकू बोर्ड ने, क्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने, ग्रोयरों को सही भुगतान तथा तम्बाकू के लिए ठीक तौलन को सुनिश्चित करने के द्वारा तम्बाकू ग्रोयरों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने कर्नाटका में सन् 1984 में तथा आन्ध्र प्रदेश में 1985 को एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम प्रणाली को शुरू की है। कई वर्षों से बोर्ड एफसीवी तम्बाकू बिक्री के लिए नीलामी प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर रही हैं, जिससे सभी हितधारकों को संतुष्टि मिली है।

बोर्ड ने वर्ष 2012 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी में प्रगति को उपयोग करने हुए, मान्युफ्ल नीलामी प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली में बदलकर नीलाम प्रणाली को मजबूत बना दिया। यह इलेक्ट्रॉनिक नीलाम प्रणाली नीलाम प्रणाली में संपूर्ण पारदर्शिता को लाती है और प्रत्येक विवरण को डिजिटल फार्मेट में दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती है।



एफसीवी तम्बाकू का ई-नीलाम दृश्य

I. आन्ध्र प्रदेश में 2022-23 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम :

(क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

तम्बाकू बोर्ड ने 2022-23 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश के लिए 142 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया था।

इस वर्ष के दौरान, दहमि & दकामि क्षेत्रों में 'मान्दूस' चक्रवात के कारण 23,000 हे. के क्षेत्र में ट्रान्सप्लानटेशन प्रभावित हुए थे और कुछ किसानों पूरा री-प्लानटेशन को अपनाये थे। फसल, जो चक्रवात को सामना की, गलत तरीके से पकी और निम्न श्रेणी तम्बाकू की वृद्धि हुई। गलत पकने के कारण, दक्षिणी क्षेत्र के किसान अतिरिक्त व्यय को खर्च करके क्यूरिंग के लिए अधिक बखारों को किराया पर लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी, फसल की गुणता बहुत अच्छी रही थी।

(ख) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

आन्ध्र प्रदेश में 16 नीलाम प्लैटफार्मों में 2022-23 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 3 दशाओं में प्रारंभ हुए। प्रथम दशा में दहमि और दकामि क्षेत्रों के 4 नीलाम प्लैटफार्मों में दि. 24/02/2023 को, दूसरी दशा में दहमि & दकामि क्षेत्रों के बाकी 7 नीलामी प्लैटफार्मों में नीलामियाँ दि. 09/03/2023 को और तीसरी दशा में उहमि क्षेत्र के सभी 5 नीलामी प्लैटफार्मों में दि. 23/03/2023 को नीलामियाँ आरंभ हुए।

(ग) श्रेणी आऊटटर्न :

पिछले वर्ष के दौरान रहे 52% : 26% : 22% श्रेणी आऊटटर्न की तुलना में चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणियों के लिए प्रतिशतता के शब्दों में क्रमशः 50% : 30% : 20% श्रेणी आऊट टर्न दर्ज किये गये ।

मिट्टी क्षेत्र वार चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणी प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दिये गये :

क्षेत्र	2022-23 मौसम			2021-22 मौसम		
	चमकीला %	मध्य %	निम्न %	चमकीला %	मध्य %	निम्न %
उहमि	45	26	29	48	20	32
दकामि	38	39	23	45	33	22
दहमि	67	25	8	61	28	11
समग्र	50	30	20	52	26	22

(घ) परिमाण एवं मूल्य :

आन्ध्र प्रदेश में 2022-23 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 2022-23 वित्तीय वर्ष में दि. 24/02/2023 को प्रारंभ हुए और समाप्त 2023-24 वित्तीय वर्ष में दि. 30/08/2023 को समाप्त हुए । नीलाम मौसम के अंत तक ₹ 225.73 प्रति किलो औसत मूल्य में कुल 181.02 मि.कि.ग्रा. विपणन हुआ था, जिसमें दि. 01/04/2023 से 30/08/2023 तक याने., 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 229.40 प्रति कि.ग्रा औसत मूल्य में 160.73 मि.कि.ग्रा. तम्बाकू परिमाण का विपणन हुआ था । दि. 01/04/2023 से 30/08/2023 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य अनुलग्नक-1 में दिये गये ।

(ड) बाजार प्रवृत्तियाँ :

2022-23 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ दि. 24/02/2023 को प्रारंभ हुए और दि. 30/08/2023 तक 148 नीलाम दिनों में समाप्त हुई । 2022-23 फसल, जो निर्धारित कुल फसल परिमाण याने., 142 मिलियन कि.ग्रा. के लिए ₹ 225.73 प्रति किलो औसत मूल्य में कुल 181.02 मिलियन कि.ग्रा. परिमाण का विपणन हुआ था । 2022-23 मौसम के दौरान प्राप्त औसत मूल्य ₹ 225.73 प्रति कि.ग्रा, जो पूर्व वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य की तुलना में ₹ 46.56 प्रति कि.ग्रा. अधिक दर्ज किया था । 2022-23 मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू नीलामियों में दर्ज किये ₹ 225.73 औसत मूल्य और दर्ज किये उच्चतम बिड ₹ 289.00 प्रति कि.ग्रा., जो आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के इतिहास में उच्चतम रिकार्ड रही थी । कुल मिलाकर, पूर्व वर्ष की 112 दिनों की तुलना में 2022-23 नीलाम मौसम के दौरान 148 नीलाम दिनों में नीलाम समाप्त हुए ।

चालू नीलामियों के दौरान प्राप्त मिट्टी क्षेत्र वार औसत मूल्य पूर्व वर्ष की तुलना में नीचे दिये हैं :


मिट्टी क्षेत्र	श्रेणी	2022-23 नीलाम (अंतिम)		2021-22 नीलाम (अंतिम)		2021-22 नीलाम की तुलना में 2022-23 के औसत मूल्य में अन्तर (₹/कि.ग्रा.)
		विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	
दकामि (दक्षिण काली मिट्टियाँ)	चमकीला	29.94	227.61	20.39	184.10	+43.51
	मध्यम	17.15	219.86	8.34	177.01	+42.85
	निम्न	18.79	199.84	13.81	152.39	+47.45
	कुल	65.88	217.67	42.54	172.41	+45.26
दहमि (दक्षिण हल्की मिट्टियाँ)	चमकीला	21.62	220.26	15.31	184.00	+36.26
	मध्यम	22.45	219.41	11.07	177.28	+42.13
	निम्न	13.16	197.44	7.64	142.96	+54.48
	कुल	57.23	214.68	34.02	172.60	+42.08
उहमि (उत्तरी हल्की मिट्टियाँ)	चमकीला	38.67	261.83	27.00	205.39	+56.44
	मध्यम	14.30	221.17	12.55	179.32	+41.85
	निम्न	4.94	191.62	4.88	138.35	+53.27
	कुल	57.91	245.81	44.43	190.67	+55.14
सभी क्षेत्र	चमकीला	90.23	240.52	62.70	193.24	+47.28
	मध्यम	53.90	220.02	31.96	178.01	+42.01
	निम्न	36.89	197.88	26.33	147.06	+50.82
	कुल	181.02	225.73	120.99	179.17	+46.56

च) क्रेता निष्पादन :

पूर्व वर्ष में भाग लिये 41 क्रेताओं के लिए 2022-23 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में कुल 56 क्रेता भाग लिये। निर्माणकर्ता, निर्यातकों तथा डीलरों के संवर्गों द्वारा क्रयित तम्बाकू परिमाण और क्रेताओं द्वारा औसत प्रदत्त मूल्य पूर्व वर्ष की क्रयों की तुलना में नीचे दिये :

क्र. सं.	संवर्ग	2022-23 नीलामियाँ			2021-22 नीलामियाँ		
		परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
1	निर्माणकर्ता	94.49	52.20	223.46	67.28	55.61	180.06
2	निर्यातक	72.78	40.20	225.70	45.14	37.31	178.97
3	डीलर	13.75	7.60	241.48	8.57	7.08	173.22
	कुल	181.02	100.00	225.73	120.99	100.00	179.17

2022-23 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान क्रेताओं द्वारा क्रय विवरण निम्नानुसार रहे हैं:
(परिमाण मि.कि.ग्रा. में)



छ) कुल विपणित एफसीवी तम्बाकू मूल्य :

2022-23 फसल मौसम के दौरान, नालीमी बिक्रियों में विपणित और ग्रोयरों द्वारा प्राप्त किये तम्बाकू फसल के कुल मूल्य ₹ 4,086.04 करोड था।

ज) नीलामियों में भाग लिये ग्रोयरों की संख्या :

क्र सं.	ग्रोयरों का संर्वग	ग्रोयरों की संख्या	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल (₹/किलो)
1.	पंजीकृत ग्रोयर	42,208	18,09,80,696.30	225.71
2.	अपंजीकृत ग्रोयर	18	36,840.60	274.74

II. कर्नाटका में 2023-24 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

तम्बाकू बोर्ड ने, 2023-24 फसल मौसम के लिए कर्नाटका के लिए 100 मि.कि.ग्रा. की एफसीवी तम्बाकू का फसल परिमाण को निर्धारित किया। इस वर्ष किसान पहले ही ट्रान्सप्लानेशन को अपनाये थे। प्रारंभ स्थितियों में फसल सूखापन को सामना करना पड़ा और जून महीने की द्वितीय पक्ष में वर्षा की प्राप्ति से फसल की स्थिति अच्छी हुई। वर्षा की प्राप्ति के बाद पत्ता की पठल का विस्तार भी बहुत अच्छा रही थी। कुल मिलाकर, फसल की गुणवत्ता अच्छी थी और कुल उत्पादन 88.86 मि.कि.ग्रा. था।

ख) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

2023-24 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए कर्नाटका में नीलामियाँ 10 नीलाम प्लैटफार्म में दि.25/09/2023 को प्रारंभ हुए थे ।

ग) श्रेणी आऊट-टर्न :

चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणी प्रतिशत के संदर्भ में पूर्व वर्ष रहे 34% : 43% : 23% की तुलना में 2023-24 फसल के लिए 31% : 45% : 24% श्रेणी आऊट टर्न दर्ज हुए थे।

घ) विपणित परिमाण और प्राप्त मूल्य :

कर्नाटका में 2023-24 एफसीवी तम्बाकू के लिए नीलामियाँ दि.25/09/2023 को प्रारंभ हुई और दि.14/03/2024 को समाप्त हुई । 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 257.46 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में कुल मिलाकर 88.86 मि.कि.ग्रा. तम्बाकू का विपणन किया गया था । दि.25/09/2023 से दि.14/03/2024 की अवधि के दौरान नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य विवरण अनुलग्नक-I में दिये गये हैं ।


ङ) बाजार प्रवृत्तियाँ :

कर्नाटका में 2023-24 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ दि.25/09/2023 को प्रारंभ होकर 125 नीलाम दिनों में याने., दि.14/03/2024 को समाप्त हुए थे । कुल 88.86 मि.कि.ग्रा. का तम्बाकू का विपणन ₹ 257.46 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में किया गया था । 2023-24 मौसम के दौरान प्राप्त औसत मूल्य ₹ 257.46 प्रति कि.ग्रा., जो पूर्व वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य से ₹ 29.45 प्रति कि.ग्रा. अधिक रहा था । 2023-24 मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के लिए दर्ज हुई औसत मूल्य याने., ₹ 257.46 प्रति कि.ग्रा., और दर्ज हुई उच्चतम बिड ₹ 290/- प्रति कि.ग्रा., जो भारत में एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के इतिहास में एक उच्चतम रिकार्ड रहा था ।

2023-24 नीलाम मौसम के दौरान चमकीला, मध्यम & निम्न श्रेणी तम्बाकू के विपणित तम्बाकू परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य विवरण पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दिये थे :

क्र. सं.	श्रेणी	2023-24 नीलाम (अंतिम)		2022-23 नीलाम (अंतिम)		2022-23 नीलाम की तुलना में 2023-24 के औसत मूल्य में अन्तर
		विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	
1	चमकीला	27.32	269.30	20.32	234.10	+ 35.20
2	मध्य	40.53	259.20	25.58	232.38	+ 26.82
3	निम्न	21.01	238.70	14.08	211.27	+ 27.43
	कुल	88.86	257.46	59.98	228.01	+ 29.45

इ) पूर्व 10 वर्षों के लिए कर्नाटका नीलामियों में ग्रोवरों को प्राप्त औसत मूल्य :




च) खरीददार का निष्पादन :

2023-24 कर्नाटका नीलामियों में पूर्व वर्ष में भाग लिये 46 क्रेताओं की तुलमा में कुल 56 क्रेता लोग भाग लिये थे। निर्माणकर्ता, निर्यातकों तथा डीलरों के संवर्गों में क्रयित तम्बाकू परिमाण और क्रेताओं द्वारा औसत मूल्य पद्धति, जो उनके पूर्व वर्ष की खरीदी विवरण नीचे दिये गये :

क्र. सं.	संवर्ग	2023-24 नीलामियाँ			2022-23 नीलामियाँ		
		परिमाण (मि.कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1	निर्माणकर्ता	35.98	40.49	260.53	28.83	48.07	233.06
2	निर्यातक	38.30	43.10	255.17	26.67	44.46	223.25
3	डीलर	14.58	16.41	255.91	4.48	7.47	223.77
	कुल	88.86	100.00	257.46	59.98	100.00	228.01

2023-24 कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान क्रेताओं के क्रय विवरण नीचे दिये :
(परिमाण मि.कि.ग्रा.)



2023-24 कर्नाटका नीलामियों के दौरान नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और उच्चतम बिड़ दर्शानेवाले विवरण अनुलग्नक-III में दिये गये ।

ज) विपणित एफसीवी तम्बाकू का कुल मूल्य :

2023-24 कर्नाटका मौसम के दौरान नीलाम बिक्रियों में विपणित और ग्रोयरों द्वारा प्रदत्त एफसीवी तम्बाकू का मूल्य ₹ 2,287.70 करोड़ था ।

छ) नीलामियों में भाग लिये ग्रोयरों की संख्या :

क्रमांक	ग्रोयरों का संवर्ग	ग्रोयरों की संख्या	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/किलो)
1.	पंजीकृत ग्रोयर	37,995	7,88,62,843.0	255.22
2.	अपंजीकृत ग्रोयर	12,321	99,93,658.5	275.21

III. आन्ध्र प्रदेश में 2023-24 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

क) निर्धारित फसल परिमाण और फसल स्थिति :

2023-24 फसल मौसम के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के लिए 142 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया है ।

2023-24 फसल मौसम के दौरान, ट्रान्सप्लानेटशन समय लम्बा सूखा रिथ्ति, जिससे ट्रान्सप्लानेटशन देरी हुई। फसल की प्रधान विकास अवधि में 'मिचांग' चक्रवात फसल को प्रभावित किया और यह रिथ्ति उहमि क्षेत्र में गम्भीर रहा था । किसान, जहाँ स्थायी फसल डामेज हुआ था, वहाँ पुनः प्लानटेशन को अपनाये थे । दहमि & दकामि क्षेत्रों में ओरबान्खे का खतरा को देखा गया । कठिनाईयों की बावजूद भी, किसानों गुणवत्ता वाले तम्बाकू को उत्पादन किया और इसका उत्पादन 201.10 मि.कि.ग्रा. होने का अनुमान था ।

2023-24 के दौरान मिट्टी क्षेत्र वार लक्षित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन नीचे दिये गये :

क्र. सं.	मिट्टी क्षेत्र	लक्षित फसल (मि.कि.ग्रा.)	अनुमानित उत्पादन (मि.कि.ग्रा.)
1	दकामि क्षेत्र	46.62	72.80
2	दहमि क्षेत्र	43.36	60.97
3	उहमि क्षेत्र	52.02	67.33
	महा योग	142.00	201.10

नोट : उहमि क्षेत्र में उकामि क्षेत्र के लक्षित 2.16 मि.कि.ग्रा. परिमाण और आकलित फसल 2.16 मि.कि.ग्रा. शामिल था ।

2022-23 फसल की तुलना में 2023-24 फसल में चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणी की प्रतिशतता का मिट्टी क्षेत्र वार अनुमानित उत्पादन नीचे दिये गये :

क्षेत्र	2023-24 मौसम (आकलित)			2022-23 मौसम		
	चमकीला %	मध्यम %	निम्न %	चमकीला %	मध्यम %	निम्न %
द का मि	49	30	21	45	26	29
द ह मि	51	28	21	38	39	23
उ ह मि	56	30	14	67	25	8
कुल	49	30	21	50	30	20

ख) नीलामी बिक्रियों का प्रारंभ :

2023-24 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 16 नीलाम प्लैटफार्मों में 2 दशाओं में प्रारंभ हुए। प्रथम दशा में दकामि क्षेत्र में 2 नीलाम प्लैटफार्मों में दि.29/02/2024 को और दूसरी दशा में दहमि, दकामि & उहमि क्षेत्रों में बाकी 14 नीलाम प्लैटफार्मों में दि.06/03/2024 को प्रारंभ हुए ।


ग) विपणित परिमाण और प्राप्त मूल्य :

नीलामियाँ सभी नीलाम प्लैटफार्मों में सकारात्मक नोट के साथ प्रारंभ हुए । दि.31/03/2024 तक ₹ 236.06 प्रति कि.ग्रा. के औसत मूल्य में 13.60 मि.कि.ग्रा. परिमाण का विपणन हुआ था । 2023-24 नीलामियों के दौरान प्राप्त औसत मूल्य ₹ 230.06 प्रति किलो, जो अनुरूप मात्रा में विपणन के लिए पूर्व वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य से ₹ 32.61 प्रति कि.ग्रा. अधिक रही थी ।

दि.31/03/2024 तक मिट्टी क्षेत्र वार प्राप्त औसत मूल्य के पूर्व वर्ष में विपणित अनुरूप परिमाणों की तुलना में नीचे दिये गये थे :

मिट्टी क्षेत्र	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	प्राप्त औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)		पिछले वर्ष की तुलना में औसत मूल्य में अंतर (₹/कि.ग्रा.)
		2023-24	2023-24	
दकामि	6.36	228.38	197.04	+ 31.34
दहमि	5.35	228.72	198.10	+ 30.62
उहमि	1.89	239.51	198.39	+ 41.12
कुल	13.60	230.06	197.45	+ 32.61

घ) पिछले 10 वर्षों से आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में ग्रोयरों को प्राप्त औसत मूल्य नीचे दिये थे :



ड.) दि. 31/03/2024 तक चमकीला, माध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए प्राप्त औसत मूल्य पूर्व वर्ष विपणित अनुरूप परिमाणों की तुलना में निम्नानुसार है :

श्रेणी	विपणित परिमाण (मि.कि.गा.) 2023-24	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)		पिछले वर्ष की औसत मूल्य में अन्तर (₹/कि.ग्रा.)
		2023-24	2022-23	
चमकीला	4.55	232.02	197.96	+ 34.06
माध्यम	3.68	231.68	194.05	+ 37.63
निम्न	5.37	227.28	181.73	+ 45.55
कुल	13.60	230.06	197.45	+ 32.61

दि. 31/03/2024 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और दर्ज उच्चतम बिड अनुलग्नक-II में दिये गये ।

IV) 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण :

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों नीलाम प्लैटफार्मों में दि. 01/04/2023 से 31/03/2024 तक की अवधि के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण 263.18 मि.कि.ग्रा. था तथा उपार्जित औसत मूल्य ₹ 238.91 प्रति कि.ग्रा.म रहा था । नीलाम प्लैटफार्म वार विवरण अनुलग्नक-I में दिये गये ।

आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका दोनों में दि. 01/04/2023 से 31/03/2024 तक की अवधि के दौरान निर्माणकर्ता, निर्यातिक और डीलरों द्वारा क्रयित तम्बाकू परिमाण और प्रदत्त औसत मूल्य के विवरण अनुलग्नक-IV में दिये गये ।

**01/04/2023 से 31/03/2024 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका
में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण**

अनुलग्नक-I

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	2022-23 आन्ध्र प्रदेश नीलामियाँ 01/04/2023 से 30/08/2023	2023-24 आन्ध्र प्रदेश नीलामियाँ 29/02/2024 से 31/03/2024	01/04/2023 से 31/03/2024 अवधि के दौरान कुल विपणित परिमाण		
		अवधि के दौरान विपणित परिमाण विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)

I. आन्ध्र प्रदेश

1	ओंगोल-I	12409823.4	224.42	1628539.3	228.32	14038362.7	224.87
2	ओंगोल-II	9365326.2	219.20	1067733.1	228.29	10433059.3	220.13
3	ठंगुटूर-I	12160898.7	224.40	1170706.6	228.22	13331605.3	224.74
4	कोडेपी	11598403.0	222.53	1612409.5	229.00	13210812.5	223.32
5	वेल्लमपल्ली-II	10054600.7	216.56	884473.3	227.65	10939074.0	217.46
कुल (दकामि)		55589052.0	221.72	6363861.8	228.38	61952913.8	222.40
6	पोदिली-I	10831347.1	217.15	647978.9	229.25	11479326.0	217.83
7	कन्दुकुरु-I	11642633.7	225.69	1176660.9	228.75	12819294.6	225.97
8	कन्दुकुरु-II	9882116.6	221.37	1172049.5	228.88	11054166.1	222.17
9	कलिगिरी	4330409.0	207.85	673356.3	228.51	5003765.3	210.63
10	डी.सी. पल्ली	6787496.1	211.25	1037132.9	228.60	7824629.0	213.55
11	कनिगिरी	5750244.8	209.80	641616.8	228.27	6391861.6	211.65
कुल (दहमि)		49224247.3	217.53	5348795.3	228.72	54573042.6	218.62
12	देवरपल्ली	9313664.2	240.98	111300.4	239.58	9424964.6	240.96
13	जे.आर. गूडेम-I	12274327.6	248.09	561033.2	239.50	12835360.8	247.71
14	कोख्यलगूडेम	12435940.7	247.69	400313.7	239.56	12836254.4	247.44
15	जे.आर. गूडेम-II	11563614.4	250.03	515108.2	239.50	12078722.6	249.58
16	गोपालपुरम	10326621.3	249.61	298871.2	239.44	10625492.5	249.32
कुल (उहमि)		55914168.2	247.50	1886626.7	239.51	57800794.9	247.24
उप कुल		160727467.5	229.40	13599283.8	230.06	174326751.3	229.45

**01/04/2023 से 31/03/2024 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका
में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण**

अनुलग्नक-I

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	2022-23 कर्नाटका नीलामियाँ 01/04/2023 से 31/03/2024 अवधि के दौरान विपणित परिमाण		2023-24 कर्नाटका नीलामियाँ 25/09/2023 से 14/03/2024 अवधि के दौरान विपणित परिमाण		01/04/2023 से 31/03/2024 अवधि के दौरान कुल विपणित परिमाण	
		विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
II. कर्नाटका							
1	एच.डी. कोटे	0.0	0.00	8503224.2	254.40	8503224.2	254.40
2	हुन्सूर-I	0.0	0.00	8630605.0	258.16	8630605.0	258.16
3	हुन्सूर-II	0.0	0.00	7814737.4	257.44	7814737.4	257.44
4	पेरियपट्टना-I	0.0	0.00	8861949.3	257.29	8861949.3	257.29
5	पेरियपट्टना-II	0.0	0.00	11424333.7	261.62	11424333.7	261.62
6	पेरियपट्टना-III	0.0	0.00	9698169.5	258.22	9698169.5	258.22
7	रामनाथपुरा-I	0.0	0.00	8074823.0	255.02	8074823.0	255.02
8	चिलकुंदा	0.0	0.00	13581023.0	259.26	13581023.0	259.26
9	रामनाथपुरा-II	0.0	0.00	6566868.5	253.47	6566868.5	253.47
10	हुन्सूर-III	0.0	0.00	5700767.9	255.38	5700767.9	255.38
उप कुल		0.0	0.00	88856501.5	257.46	88856501.5	257.46
महा योग (आं.प्र. & क.)		160727467.5	229.40	102455785.3	253.82	263183252.8	238.91

**2023-24 आन्ध्र प्रदेश नीलाम - दि.31/03/2024 तक नीलाम किये
एफसीवी तम्बाकू का नीलाम प्लैटफार्म वार विवरण**

अनुलग्नक-II

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	नी. प्लै. सं.	लक्षित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	अनुमानित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	प्रारंभ की तारीख	बिक्रित बेलों की संख्या	दर्ज किये उत्तम बोली (रुकि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	विपणित तम्बाकू मूल्य (₹)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1	ओंगोल-I	20	9.82	16.00	29/02/2024	12841	250.00	1628539.3	371827691.40	228.32
2	ओंगोल-II	23	8.00	12.50	06/03/2024	8457	232.00	1067733.1	243757145.10	228.29
3	ठंगुदूर-I	24	10.07	15.00	06/03/2024	9329	232.00	1170706.6	267180004.00	228.22
4	कोडेपी	25	10.19	14.80	29/02/2024	12468	232.00	1612409.5	369249222.20	229.00
5	वेल्लमपल्ली-II	31	8.54	14.50	06/03/2024	7126	233.00	884473.3	201351376.70	227.65
कुल (दकानि)			46.62	72.80		50221	250.00	6363861.8	1453365439.40	228.38
6	पोदिली-I	22	10.21	11.47	06/03/2024	4932	232.00	647978.9	148547325.50	229.25
7	कन्दुकुरु-I	26	9.16	15.00	06/03/2024	9190	232.00	1176660.9	269156350.10	228.75
8	कन्दुकुरु-II	27	7.89	12.50	06/03/2024	9196	232.00	1172049.5	268254214.60	228.88
9	कलिगिरि	28	4.88	7.00	06/03/2024	5490	233.00	673356.3	153870121.40	228.51
10	डी.सी. पल्ली	29	6.43	9.00	06/03/2024	8177	230.00	1037132.9	237083696.70	228.60
11	कनिगिरि	35	4.79	6.00	06/03/2024	5017	232.00	641616.8	146460255.70	228.27
कुल (दहमि)			43.36	60.97		42002	233.00	5348795.3	1223371964.00	228.72
12	देवरपल्ली	17	9.83	10.33	06/03/2024	913	241.00	111300.4	26665187.20	239.58
13	जे.आर.गूडेम-I	18	10.6	15.00	06/03/2024	4713	241.00	561033.2	134367358.20	239.50
14	कोय्यलगूडेम	30	10.55	15.00	06/03/2024	3387	241.00	400313.7	95900065.50	239.56
15	जे.आर.गूडेम-II	32	10.84	14.50	06/03/2024	4261	241.00	515108.2	123367537.00	239.50
16	गोपालपुरम	33	10.2	12.50	06/03/2024	2545	245.00	298871.2	71560494.10	239.44
कुल (उहमि)			52.02	67.33		15819	245.00	1886626.7	451860642.00	239.51
महा योग			142.00	201.10		108042	250.00	13599283.8	3128598045.40	230.06

2023-24 कर्तिका बीलाम - दि. 31/03/2024 तक बीलाम प्लैटफार्म वार बीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण

अनुलग्नक-III

क्र. सं.	बीलाम प्लैटफार्म का नाम	नी. प्लै. सं.	लक्षित परिमाण (कि.कि.ग्रा)	अनुमतिलिपि परिमाण (कि.कि.ग्रा)	प्रारंभ की तारीख	बिक्रित बेतों की संख्या	दर्ज किये उत्तम बोली (₹/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	विपणित तम्बाकू मूल्य (₹)	ओसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1	एच.डी. कोटे	1	10.11	7.50	25-09-2023	81034	290.00	8503224.2	2163185615.00	254.40
2	हुन्सूर-Ⅰ	2	7.77	7.80	25-09-2023	81590	290.00	8630605.0	22228116583.70	258.16
3	हुन्सूर-Ⅱ	3	7.00	7.13	25-09-2023	73772	290.00	7814737.4	2011851694.80	257.44
4	पेरियपट्टना-I	4	13.02	8.28	25-09-2023	82312	290.00	8861949.3	2280099568.20	257.29
5	पेरियपट्टना-II	5	11.53	10.69	25-09-2023	101096	290.00	11424333.7	2988850667.80	261.62
6	पेरियपट्टना-III	6	11.90	9.33	25-09-2023	90302	290.00	96998169.5	2504297989.80	258.22
7	रामनाथपुरा-I	7	10.05	6.87	25-09-2023	77943	290.00	8074823.0	2059244511.30	255.02
8	चितकुंदा	62	14.04	12.23	25-09-2023	126968	290.00	13581023.0	3521047917.10	259.26
9	रामनाथपुरा-II	63	8.55	5.84	25-09-2023	63858	290.00	65666868.5	1664474137.00	253.47
10	हुन्सूर-III	64	6.03	5.55	25-09-2023	54443	290.00	5700767.9	1455889163.70	255.38
महा योग			100.00	81.22		833318	290.00	88856501.5	22877057848.40	257.46



दि. 01/04/2023 से 31/03/2024 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका नीलामियों में कंपेनी पर

एफसीवी तम्बाकू क्रेता वार क्रय विवरण

अनुलग्नक-IV

क्र. सं.	क्रेता का नाम	2022-23 आं.प्र. फसल		2023-24 आं.प्र. फसल		2023-24 कर्नाटका फसल		कुल	
		दि. 29/02/2024 से 31/03/2024 तक		दि. 25/09/2023 से 14/03/2024 तक				(दि. 01/04/2023 से 31/03/2024 तक)	
		परिमाण (कि.ग्रा)	औसत.दर (%)	परिमाण (कि.ग्रा)	औसत.दर (%)	परिमाण (कि.ग्रा)	औसत.दर (%)	परिमाण (कि.ग्रा)	औसत.दर (%) हिस्सा
निर्माणकर्ता									
1	आईटीसी लिमिटेड	65725570.9	228.27	40.89	3077317.5	231.13	22.63	29741563.1	260.25
2	गाइक फिलिप्स इंडिया लिमिटेड	14396684.8	228.66	8.96	1722194.3	230.45	12.66	6232628.2	261.84
	उप-कुल	80122255.7	228.33	49.85	4799511.8	230.89	35.29	35974191.3	260.53
नियांतक									
3	पोलिशेट्टि सोमसुंदरम	18237387.0	223.34	11.35				5801846.0	259.95
4	दवकन तम्बाकू एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड	9504529.8	234.38	5.91	957999.3	229.39	7.04	7995966.2	255.49
5	एनिएन्स वन इंडिया प्रा.लि.	12778652.6	217.43	7.95	1612130.0	230.38	11.85	1879230.8	250.41
6	प्रीमियर टुबोको पेकर्स प्रा. लिमिटेड	6953466.2	215.52	4.33	1506236.6	226.96	11.08	383062.5	234.70
7	मिट्टपळी एगो प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड	245855.9	211.54	0.15					0.43
8	प्रजाति टोबेको ट्रेडर्स इ. प्रा. लिमिटेड	3599270.3	242.86	2.24	1538636.5	228.51	11.31	3356072.9	253.57
9	सोहम्मद एं.प्रा.लिमिटेड	19605556.1	255.25	1.22	112414.8	233.15	0.83	2188619.8	265.43
10	मिट्टपळी आदिनारायण एं.प्रा.लिमिटेड	579704.0	184.05	0.36	9282.3	231.76	0.07	895345.3	223.48

**दि. 01/04/2023 से 31/03/2024 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका बीलामियों में कंपेनी वार
एफसीवी तम्बाकू क्रेवा वार क्रय विवरण**

अनुलग्नक-IV

क्र. सं.	क्रेवा का नाम	2022-23 आं.प्र. फसल		2023-24 आं.प्र. फसल		2023-24 कर्नाटका फसल		कुल	
		दि. 01/04/2023 से 30/08/2023 तक	दि. 29/02/2024 से 31/03/2024 तक	दि. 25/09/2023 से 14/03/2024 तक	% परिमाण (कि.ग्रा)	औसत.दर (रु/कि.ग्रा) हिस्सा	परिमाण (कि.ग्रा)	औसत.दर (रु/कि.ग्रा) हिस्सा	% परिमाण (कि.ग्रा)
11	षेक मरतान साहेब टोबेको एंटरप्रेजेस (हैंड) प्रा.लिमिटेड	1174765.0	208.29	0.73	436615.5	230.01	3.21	2692211.5	259.44
12	के.एस.सुब्बाया पिलेझेको				174293.6	229.15	1.28		
13	यार्लग्यू एप्पलेर्स प्र. लिमिटेड	1001054.1	225.29	0.62	122634.8	232.03	0.90	602299.3	257.57
14	महि लक्ष्मण्य &कं. प्र.लि.	964177.2	253.57	0.60				666328.7	233.77
15	वाणी टोबाको	31367.2	199.24	0.02				463633.4	269.52
16	तेज टोबाको ट्रेडर्स	536165.7	247.68	0.33	1314.6	230.00	0.01	1088886.6	258.22
17	आलि एंटरप्रेजेस	733808.7	214.34	0.46	187405.6	231.68	1.38	2166946.6	255.97
18	अग्निशा टोबेकोस	209472.6	233.73	0.13	71869.6	230.86	0.53	156278.6	256.64
19	कार्टल टोबाको	511332.0	266.28	0.32	24553.1	240.01	0.18	193170.5	249.16
20	पंचज्या टोबेको एक्सपोर्ट्स	15327.7	232.62	0.01	25607.9	230.76	0.19	57221.5	266.91
21	मोडल राग एक्सपोर्ट्स				112281.4	235.52	0.83	1097071.1	259.01
22	प्रपत्ता आग्रोस लिमिटेड	209440.8	210.61	0.13				119731.3	247.89
23	प्रकाशम एंटरप्रेजेस	1289957.8	245.66	0.80	5599.8	230.02	0.04	542371.9	245.44
24	के.के. मोहन एंटरप्रेजेस	165030.8	267.10	0.10	10093.1	232.54	0.07		
25	अंजि बाबू एंटरप्रेजेस	6042.6	272.69	0.004					
26	श्री हनुमा एंटरप्रेजेस	331688.8	264.78	0.21					
27	के.आर. & कं.				47358.3	230.13	0.35	1091374.6	256.37

दि. 01/04/2023 से 31/03/2024 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका नीलामियों में कंपेनी वार

अनुलग्नक-IV

एफसीवी तम्बाकू केता वार क्रय विवरण

क्र. सं.	केता का नाम	2022-23 आं.प्र. फसल		2023-24 आं.प्र. फसल		2023-24 कर्नाटका फसल		कुल	
		दि. 01/04/2023 से 30/08/2023 तक	दि. 29/02/2024 से 31/03/2024 तक	दि. 25/09/2023 से 14/03/2024 तक	दि. 01/04/2023 से 31/03/2024 तक	परिमाण (कि.ग्रा)	औसत.दर % (राफि.ग्रा) हिस्सा	परिमाण (कि.ग्रा)	औसत.दर % (राफि.ग्रा) हिस्सा
28	एलेट लीफ टोबाको कंपेनी	101069.9	253.23	0.06	6331.3	240.19	0.05	421367.0	259.07
29	बोम्मडाला एंटरप्रैजेस प्रा.लिमिटेड	4752258.6	250.32	2.96	111675.6	239.93	0.82	448.9	230.00
30	एम.एल. एक्सपोर्ट्स	653499.3	218.87	0.41	84242.9	232.78	0.62	507353.1	246.08
31	प्लाइटिम टोबाको							217379.8	236.68
32	बोम्मडाला ब्रदर्स							1413194.7	264.20
33	वेंकट सुरेश एंटरप्रैजेस							6561.9	229.75
34	यशोदा टोबाकोस							13103.1	258.06
35	श्री विजयकृष्णा एंटरप्रैजेस							38929.0	218.28
36	किंक्स इंपीरियल इंडस्ट्रीज							5877.4	286.15
37	वेंकट साई टोबाको प्रा.लिमिटेड	655367.2	244.92	0.41	102105.5	230.06	0.75	1995094.6	248.60
	उप कुल	67201247.9	228.03	41.81	7267244.0	229.50	53.44	38300733.3	255.17
	अन्य (ईलर)	13403963.9	242.66	8.34	1532528.0	230.12	11.27	14581576.9	255.91
	कुल योग	160727467.5	229.41	100.00	13599283.8	230.06	100.00	88856501.5	257.46
								100.00	263183252.8
									238.91 100.00

व्यापार संक्षेप

भारत सरकार ने अपने प्रचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ रुपयों की मार्जिन रशि के साथ 1984 में व्यापार संक्षेप को सृजन किया। दि. 31/03/2024 तक ₹ 29.91 करोड़ की मार्जिन राशि बोर्ड के साथ उपलब्ध रही है। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 20-क के अनुसार, यदि ऐसा करना उचित है, तो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों में नीलाम प्लैटफार्म में ग्रोयरों से वर्जीनिया तम्बाकू खरीदना या भारत में अथवा विदेशों में उसे बेचना व्यापार संक्षेप का उद्देश्य है। 2023-24 के दौरान तम्बाकू बोर्ड के व्यापार संक्षेप द्वारा कोई मूल्य समर्थन प्रचालन नहीं किये थे, जो कि बाजार उल्लासी और ग्रोयरों उत्तम मूल्य प्राप्त किये थे।

प्रोसेसर / निर्माणकर्ता / वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक ग्रेडों / तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के निर्यातिक / पैकरों / तम्बाकू के डीलरों के रूप में पंजीकरण :

कोई भी व्यक्ति, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 11 क, 11 ख (i) एवं 12 के अन्तर्गत वर्जीनिया तम्बाकू की प्रोसेस, वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादों का निर्माण, वाणिज्य प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू से संबंधित ग्रेडिंग कार्य अपनाना, तम्बाकू अथवा अन्य किसी तम्बाकू उत्पादों को निर्यात, तम्बाकू के पैकर, नीलामकार अथवा तम्बाकू डीलर के रूप में कार्य, जो इस अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुसार बोर्ड में अपने - आप को पंजीकृत कर लिये बिना, नहीं कर सकता। व्यक्तिगत रूप में, फर्म अथवा कम्पनियों के द्वारा, प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग तौर पर तम्बाकू बोर्ड से पंजीकरण / पंजीकरण के नवीकरण प्राप्त करने के पश्चात् ही उपर्युक्त प्रचालनों को करना होगा। तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रदत्त पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण, एक कैलेण्डर वर्ष के लिए मान्य है।

वर्ष 2023 के लिए तथा वर्ष 2024 के लिए (दि. 31/03/2024 तक) व्यापारियों के विभिन्न संवर्गों को मंजूर किये गये पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	संवर्ग	पंजीकृत कंपनियों की संख्या	
		2023	2024*
1	वर्जीनिया तम्बाकू प्रोसेसर	14	09
2	वर्जीनिया तम्बाकू निर्माणकर्ता	35	14
3	तम्बाकू निर्यातिक	211	193
4	तम्बाकू उत्पादों के निर्यातिक	576	428
5	तम्बाकू डीलर	346	310
6	तम्बाकू पैकर	21	12
7	वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता	19	02
कुल		1,222	968

* दि. 31/03/2024 तक


‘डिजिटल इंप्रिंट्स’ पर भारत सरकार की प्रेरणा की दिशा में तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू व्यापारीवर्ग को पारदर्शी एवं समकालीनात्मक इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए आवेदनों को ई-फैलिंग करने के लिए ऑनलाईन प्रणाली को प्रारंभ किया। सभी संवर्गों के व्यापारियों द्वारा राजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण को प्राप्त करने पोर्टल www.tobaccoboard.in द्वारा आवेदनों को ई-फैलिंग करना अनिवार्य कर दिया गया था।

तम्बाकू बोर्ड नूतन निवेशकों/व्यापारियों के लिए दि. 22/09/2021 से नेशनल सिंगल विंडो प्रणाली से जुड़ गया है। यह एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड के साथ पंजीकरण के लिए निवेशकों के लिए उपलब्ध रहा है।

भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात

भारतीय अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात 2023-24 के दौरान ₹ 12,005.89 करोड़ और 1,449.54 मिलियन यूएसडी की उत्तुंग निर्यात रिकार्ड दर्ज किये हैं।

भारत अनिर्मित तम्बाकू में विश्व में दूसरा बड़ा उत्पादक और पाँचवीं बड़ा निर्यातक है। (स्रोत : एफएओ सांख्यिकी डेटा, 2022, आईटीरी ट्रेडमॉप, 2022). भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यातों में अनिर्मित तम्बाकू और अखीकृत तम्बाकू (एचएस कोड : 2401 - कुल निर्यातों के मूल्य में 72.57% शामिल है।) जिसमें फ्लू क्यूरड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू और नॉन-एफसीवी तम्बाकू जैसे., बर्ली, एचडीवीआरजी, सन क्यूरड देशी (नादू) (एससीसी), लाल चोपडिया, रास्टिका, डार्क फायर क्यूरड तम्बाकू, ओरियंटल आदि., शामिल है। तम्बाकू के सिगार, चिरट्स, सिगरिल्लोस और सिगरेट या तम्बाकू के अनुकल्प (एचएस कोड : 2402 - कुल निर्यातों के मूल्य में 6.87% है), अन्य निर्मित तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू अनुकल्प, समयुग्म या पुनःसंस्थापित तम्बाकू, तम्बाकू सार और तत्व (एचएस कोड : 2403 - कुल निर्यातों के मूल्य में 20.11% है) याने., चर्वण तम्बाकू, कट तम्बाकू, हुक्का तम्बाकू पेस्ट, स्नफ और बीड़ी आदि., तम्बाकू उत्पाद, पुनःसंघटित तम्बाकू, निकोटिन या तम्बाकू या निकोटिन अनुकल्प, जो दहन के बिना सांस लेने वाले उत्पाद, मानव शरीर में निकोटिन के सेवन के लिए लक्षित पदार्थ (एचएस कोड : 2404 - कुल निर्यातों के मूल्य में 0.45% है) अर्थात् निकोटिन और ओरल अनुप्रयोग युक्त अन्य इसमें शामिल है।



डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

1. भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण :

1.1 भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के समग्र निर्यात निष्पादन :

2023-24 के दौरान, भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात क्रमशः मूल्य के शब्दों में ₹ 12,005.89 करोड़ (1,449.54 मिलियन यूएस डालरों) के साथ 3,15,511.96 मि.टन के क्रम में रहे थे। वर्ष 2023-24 के दौरान निर्यात, जो 2022-23 के दौरान किये गये निर्यातों की तुलना में परिमाण, मूल्य रूपये और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 8%, 23% और 19% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज किये थे।

संवर्ग	अप्रैल 2023 से मार्च 2024			अप्रैल 2022 से मार्च 2023		
	परिमाण (मे.टनों में)	मूल्य (₹ करोड़ों में)	मूल्य.मि. (यू एस \$ में)	परिमाण (मे.टनों में)	मूल्य (₹ करोड़ों में)	मूल्य.मि. (यू एस \$ में)
अनिर्भित तम्बाकू, तम्बाकू अस्वीकृत (एचएस कोड : 2401)*						
एफसीवी तम्बाकू	143316.89	5932.09	716.15	134891.54	4535.07	565.27
नॉन-एफसीवी तम्बाकू	105372.25	2603.33	314.42	91749.91	1928.26	239.94
तम्बाकू अस्वीकृत	29764.53	177.90	21.47	29551.40	136.98	17.01
उप कुल	278453.66	8713.32	1052.04	256192.84	6600.32	822.23
तम्बाकू उत्पाद (एचएस कोड : 2402, 2403 & 2404)						
एचएस कोड : 2402 [#]	8465.78	824.45	99.55	10188.66	778.22	96.98
एचएस कोड : 2403 [@]	28454.65	2414.69	291.50	24790.35	2357.82	293.75
एचएस कोड : 2404 [^]	137.88	53.43	6.44	9.88	3.40	0.42
उप कुल	37058.30	3292.57	397.50	34988.90	3139.43	391.14
महा योग	315511.96	12005.89	1449.54	291181.74	9739.75	1213.37
% परिवर्तन (+/-)	8	23	19	29	42	31


स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

एचएस कोड-2401* : अनिर्भित तम्बाकू और तम्बाकू अस्वीकृत

एचएस कोड-2402[#] : तम्बाकू या तम्बाकू के अनुकल्प सिंगार, चिरूट्स, सिंगारेल्लोस और सिंगरेट

एचएस कोड-2403[@] : अन्य निर्भित तम्बाकू और तम्बाकू अनुकल्प, होमोजेनेजड् या पुनःघटित तम्बाकू, तम्बाकू सार और तत्व


एचएस कोड-2404[^] : तम्बाकू, पुनःसंघटित तम्बाकू, निकोटिन या तम्बाकू या निकोटिन अनुकल्प उत्पाद, जो दहन के बिना सॉस लेने वाले उत्पाद और अन्य निकोटिन वाले उत्पाद, जो मानव शरीर में निकोटिन सेवन के लक्षित पदार्थ



डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

1.2 अनिर्मित तम्बाकू निर्यात (एच एस कोड 2401)

वर्ष 2023-24 के दौरान, अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात, जो परिमाण के शब्दों में ₹ 2,78,453.66 मेट्रिक टनों से 9%, मूल्य रूपये के शब्दों में ₹ 8,713.32 करोड़ से 32% तथा डालरों के शब्दों में 1,052.04 मिलियन यूएस \$ से 28% तक वृद्धि प्राप्त किये, जो यह 2022-23 के दौरान ₹ 6,600.32 करोड़ या यूएस \$ 822.23 मिलियन मूल्य में निर्यातित 2,56,192.84 मेट्रिक टनों के अनिर्मित तम्बाकू के विपरीत रही है।



डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता


1.2.1 अनिर्मित तम्बाकू के किसी वार निर्यात : तम्बाकू अस्थीकृत (एचएस कोड : 2401)

2023-24 के दौरान, भारतीय अनिर्मित तम्बाकू के कुल निर्यातों में से परिमाण के शब्दों में 51.47% शेयर के साथ एफसीवी तम्बाकू और नॉन-एफसीवी तम्बाकू का हिसाब 37.84% शेयर और तिरस्कृत तम्बाकू का हिसाब 10.69% का रहा है। नॉन-एफसीवी तम्बाकू में 22.06% शेयर से बर्ली इसके अनुगमन में सन क्यूरड देशी (नाटू) (2.49%), सन क्यूरड वर्जीनिया (0.50%), चर्वण तम्बाकू (0.38%) और हुक्का तम्बाकू (0.11%) हिसाब रहा है। मूल्य के शब्दों में, कुल अनिर्मित तम्बाकू निर्यातों में से एफसीवी तम्बाकू निर्यात 68.08%, नॉन-एफसीवी तम्बाकू निर्यात 29.88% और तिरस्कृत तम्बाकू का 2.04% का हिसाब रहा है।

तम्बाकू प्रकार	2023-24			2022-23		
	परिमाण (मे.टनों में)	% परिवर्तन व-द-व	मूल्य (₹ करोड़)	परिमाण (मे.टनों में)	% परिवर्तन व-द-व	मूल्य (₹ करोड़)
एफसीवी तम्बाकू	143316.89	6.25	5932.09	30.80	134891.54	4535.07
नॉन-एफसीवी तम्बाकू						
बीडी	65.85	1009.71	0.18	90.24	5.93	0.09
बर्ली	63087.35	8.56	1685.03	30.62	58115.47	1290.02
चर्वण तम्बाकू	1064.56	139.80	14.65	172.82	443.94	5.37
सिंगार	52.88		0.38		0.00	0.00
हुक्का तम्बाकू	306.60	178.45	12.23	204.07	110.11	4.02
एससीएन	6931.90	19.55	156.40	22.02	5798.28	128.18
एससीवी	1396.05	65.64	41.01	124.30	842.81	18.29
अन्य तम्बाकू	32467.07	22.83	693.45	43.78	26433.38	482.30
उप-कुल (नॉन-एफसीवी प्रकार)	105372.25	14.85	2603.33	35.01	91749.91	1928.26
तम्बाकू तिरस्कृत	29764.53	0.72	177.90	29.87	29551.40	136.98
महा योग	278453.66	8.69	8713.32	32.01	256192.84	6600.32

डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

किसी वार अनिर्भित तम्बाकू निर्यात मूल्य (₹ करोड़ों में)



डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 2022-23 के दौरान किये 1,34,891.54 मेट्रिक टन का निर्यात मूल्य ₹ 4,535.07 करोड़ (565.27 मिलियन यूएस \$) के लिए 2023-24 के दौरान 1,43,316.89 मेट्रिक टन, जिसका मूल्य ₹ 5,932.09 करोड़ (716.15 मिलियन यूएस \$) के क्रम में रहे थे। 2022-23 के दौरान एफसीवी तम्बाकू के निर्यात पिछले वर्षों की समरूप अवधि के दौरान किये निर्यातों की तुलना में परिमाण, मूल्य और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 6%, 31% और 27% बढ़ गये।

वर्ष	एफसीवी तम्बाकू के निर्यात			व-द-व मूल्य (₹ करोड) में परिवर्तन %
	परिमाण (मेट्रिक टनों में)	मूल्य (₹ करोड में)	मूल्य मिलियन (यूएस \$ में)	
2019-20	92026.01	2538.89	353.83	-9
2020-21	93456.85	2619.63	352.85	3
2021-22	105209.58	2909.99	390.51	11
2022-23	134891.54	4535.07	565.27	56
2023-24	143316.89	5932.09	716.15	31

स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

गत पाँच वर्षों से याने., 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के लिए एफसीवी तम्बाकू का निर्यात परिमाण, मूल्य रूपयों में और डालरों के शब्दों में क्रमशः 55.74%, 133.65% और 102.40% वृद्धि हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान परिमाण, मूल्य रूपयों में और डालरों के शब्दों में निर्यात 2022-23 के दौरान किये गये निर्यातों की तुलना में क्रमशः 8%, 23%, 19% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज किये थे।

नॉन-एफसीवी तम्बाकू के निर्यात पूर्व वर्ष की 91,749.92 मेट्रिक टन के लिए मूल्य ₹ 1,928.27 करोड (239.93 मिलियन यूएसडी) के लिए 2023-24 के दौरान, 1,05,372.25 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था, जिसका मूल्य ₹ 2,603.93 करोड (314.42 मिलियन यूएस \$) था। 2023-24 के दौरान, नॉन-एफसीवी तम्बाकू के निर्यात, पूर्व 2022-23 वर्ष की तुलना में परिमाण, मूल्य रूपयों और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 15%, 35% और 31% की वृद्धि हुई है।


1.2.2 अनिर्भित तम्बाकू के क्षेत्र वार निर्यात : तम्बाकू तिरस्कृत (एचएस कोड : 2401)

2022-23 के दौरान किये निर्यातों की तुलना में 2023-24 के दौरान सीआईएस & आफ्रिका क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में धनात्मक वृद्धि दर्ज किये हैं। यूरोप, जो कुल निर्यातों में मूल्य के शब्दों में लगभग 44.39% हिस्सा के साथ भारतीय अनिर्भित तम्बाकू के लिए प्रधान गन्तव्य स्थान बना हुआ है। गत वर्ष की तुलना में यूरोप क्षेत्र को निर्यातों में 25.38% की वृद्धि हुई है। डब्ल्यूएनए, एशियन, एनईए, दक्षिण एशिया, नापटा, एलएसी और ओशियानिया को 2022-23 के दौरान किये गये निर्यातों की तुलना में 2023-24 के दौरान क्रमशः 141%, 68.79%, 10.74%, 1.60%, 13.04%, 11.19% & 54.65% की वृद्धि दर्ज हुई है। फिर भी, आफ्रिका (-68.01%) और सीआईएस (-6.75%) क्षेत्र में गिरावट की स्थिति देखी गयी।

क्षेत्र	2023-24				2022-23				% परिवर्तन (मूल्य)
	परिमाण (मे. टनों में)	% शेयर	मूल्य (₹ करोड़)	% शेयर	परिमाण (मे. टनों में)	% शेयर	मूल्य (₹ करोड़)	% शेयर	
यूरोप	117948.60	42.36	3865.99	44.37	109901.36	42.90	3083.50	46.72	25.38
डब्ल्यूएएनए	71120.58	25.54	2023.41	23.22	42338.74	16.53	839.29	12.72	141.09
एशियन	32748.70	11.76	1053.57	12.09	25430.14	9.93	624.17	9.46	68.79
सीआईएस	21207.98	7.62	795.68	9.13	29690.38	11.59	853.24	12.93	-6.75
एनईए	9283.78	3.33	332.56	3.82	9773.27	3.81	300.31	4.55	10.74
दक्षिण एशिया	9277.75	3.33	226.06	2.59	10536.06	4.11	222.49	3.37	1.60
नाफ्टा	5906.49	2.12	121.23	1.39	8335.61	3.25	107.24	1.62	13.04
एलएसी	5872.45	2.11	157.52	1.81	7175.88	2.80	141.68	2.15	11.19
अफ्रीका	5082.33	1.83	137.00	1.57	13005.65	5.08	428.19	6.49	-68.01
ओशेनिया	5.00	0.00	0.30	0.00	5.75	0.00	0.19	0.00	54.65
महा योग	278453.66	100.00	8713.32	100.00	256192.84	100.00	6600.32	100.00	32.01

स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

अनिर्भित तम्बाकू का क्षेत्र वार निर्यात (मूल्य ₹ करोड़ में)



1.2.3 अनिर्भित तम्बाकू का देश वार निर्यात : तम्बाकू तिरस्कृत (एचएसकोड : 2401) (शीर्ष 10 बाजार) :

क्र. सं.	देश का नाम	अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक		अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक		₹ करोड़ों के शब्दों में % मूल्य परिवर्तन
		परिमाण (मे. टनों में)	मूल्य (₹ करोड़ों में)	परिमाण (मे. टनों में)	मूल्य (₹ करोड़ों में)	
1	बेलजियम	67886.41	2230.76	66582.39	1948.90	14.46
2	यूएई	34531.11	1209.18	15716.48	360.27	235.63
3	इंडोनेशिया	21693.21	724.73	8484.40	269.25	169.17
4	इंजिएट एआरपी	21303.67	398.71	12503.57	178.96	122.80
5	रूस	15633.87	586.86	18422.77	553.35	6.06
6	कोरिया आरपी	8778.98	309.38	9628.26	298.87	3.52
7	फिलिप्पिन्स	8102.10	252.47	14491.40	317.34	-20.44
8	नेपाल	7829.01	209.55	8925.23	214.01	-2.08
9	येमन रिपब्लिक	7137.57	158.15	6294.46	111.48	41.87
10	नेथरलान्ड	6769.50	215.93	1965.45	60.30	258.10
शीर्ष-10 देश कुल		199665.42	6295.71	163014.40	4312.72	45.98
अन्य देश कुल		78788.24	2417.61	93178.44	2287.60	5.68
महा योग		278453.66	8713.32	256192.84	6600.32	32.01

डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

बेलजियम, जो शीषरथ आयातक देश है, को निर्यात 2023-24 के दौरान मूल्य रूपये के शब्दों में 14.46% की वृद्धि दर्ज किये हैं। अन्य प्रधान निर्यात बाजार याने., नेथरलान्ड (258.10%), यूएई (235.63%), इंडोनेशिया (169.17%) और इंजिएट (122.80%) जो सुख्खष्ट वृद्धि दर्ज किये हैं। अन्य प्रधान निर्यात बाजारों में फिलिप्पिन्स (-20.44%) और नेपाल (-2.08%), जो गिरावट देखी गयी।

1.3 तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड : 2402, 2403 & 2404) :

कुल तम्बाकू उत्पादों (एचएस कोड : 2402, 2403 & 2404) के निर्यात 2022-23 की निर्यातों की तुलना में 2023-24 के दौरान परिमाण, मूल्य रूपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 6%, 5% और 2% की वृद्धि दिखायी गयी।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 2022-23 के दौरान निर्यातित 10,188.66 मेट्रिक टन के मूल्य ₹ 778.22 करोड (यूएस \$ 96.98 मिलियन) के लिए सिगरेट और सिगार (एचएस कोड : 2402) के निर्यात मूल्य रूपये और डालरों के शब्दों में, जो परिमाण के शब्दों में नकारात्मक वृद्धि को दर्शाने पर भी मूल्य रूपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 6% और 3% धनात्मक वृद्धि के साथ 8,465.78 मेट्रिक टन के मूल्य ₹ 824.45 करोड (यूएस \$ 99.55 मिलियन) के क्रम में रहे थे।

अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड : 2403), जो 2022-23 के दौरान निर्यातित ₹ 2,357.82 करोड (यूएस \$ 293.75 मिलियन) मूल्य में निर्यातित 24,790.35 मेट्रिक टनों की तुलना में 2023-24 के दौरान

₹ 2,414.69 करोड (यूएस \$ 291.50 मिलियन) के 28,454.65 मेट्रिक टन के क्रम में निर्यात रहे थे। अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड: 2403) परिमाण, मूल्य रूपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 15%, 2% और 0.7% के साथ धनात्मक वृद्धि दर्ज किये थे।

तम्बाकू या निकोटिन अनुकूल्प वाले अन्य उत्पादों, जो बिना दहन के साँस लेने के लिए निर्दिष्ट हैं और अन्य निकोटिन युक्त उत्पाद (एचएस कोड : 2404), जो मानव शरीर में निकोटिन सेवन के लिए निर्दिष्ट है, के निर्यात 2023-24 के दौरान 137.88 मेट्रिक टनों के क्रम में थे, जिनका मूल्य ₹ 53.43 करोड (यूएस \$ 6.44 मिलियन) थी।

उत्पाद का सिगमेंट	2023-24				2022-23	
	परिमाण (मे.टानों में)	%परिवर्तन व-द-व	मूल्य (₹ करोडों में)	%परिवर्तन व-द-व	परिमाण (मे.टानों में)	मूल्य (₹ करोडों में)
एचएस कोड : 2402[#]						
तम्बाकू अन्तर्विष्ट सिगरेट	8422.83	-16.40	812.02	5.26	10075.10	771.42
तम्बाकू अनुकूल्पों के सिगरेट/सिगरिल्लोस	3.78	2787.79	0.08	86.57	0.13	0.04
सिगार, चिरुट्स और सिगरिल्लोस	39.05	-65.17	12.32	87.10	112.09	6.59
अन्य तम्बाकू उत्पाद	0.11	-91.49	0.03	-82.37	1.34	0.17
उप कुल	8465.78	-16.91	824.45	5.94	10188.66	778.22
एचएस कोड : 2403[@]						
चर्वण तम्बाकू	11633.25	4.08	1040.00	15.60	11177.45	899.62
कट तम्बाकू	3723.81	24.56	112.23	52.52	2989.47	73.58
पुनः घटित तम्बाकू	1105.18	12.77	18.92	10.78	980.03	17.08
स्मोकिंग तम्बाकू	230.32	-47.84	38.93	-83.40	441.54	234.45
स्नफ तम्बाकू	124.52	-19.70	4.01	-15.84	155.08	4.76
तम्बाकू सार और तत्व	9706.22	42.23	1112.11	9.41	6824.35	1016.42
वाटर पाईप तम्बाकू - हुक्का	1881.60	-14.48	87.05	-21.78	2200.11	111.30
वाटर पाईप तम्बाकू - अन्य	49.73	122.63	1.44	135.51	22.34	0.61
उप कुल	28454.65	14.78	2414.69	2.41	24790.35	2357.82
एचएस कोड : 2404[^]						
दहन के बिना इनहिलेशन	0.01	-97.06	0.00	-99.96	0.34	0.20
मानव शरीर में निकोटिन का इनटेक	137.87	1344.74	53.43	1573.98	9.54	3.19
उप कुल	137.88	1295.14	53.43	1473.61	9.88	3.40
महायोग	37058.30	5.91	3292.57	1481.96	34988.90	3139.43


व्याख्यात्मक नोट :

एचएस कोड-2402[#] : तम्बाकू या तम्बाकू अनुकूलपों के सिगार, चिरूट्स, सिगरिल्लोस और सिगरेट

एचएस कोड-2403[@] : अन्य निर्मित तम्बाकू और तम्बाकू अनुकल्प, होमोजेनैजड या पुनः घटित तम्बाकू, तम्बाकू सार और तत्व

एचएस कोड-2404[^] : तम्बाकू अन्तर्विष्ट उत्पाद, पुनः घटित तम्बाकू, निकोटिन या तम्बाकू या निकोटिन अनुकल्प, जो दहन के बिना सॉस लेने वाले उत्पाद, अन्य निकोटिन अन्तर्विष्ट उत्पाद, जो मानव शरीर में निकोटिन सेवन के लक्षित पदार्थ

तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (मूल्य ₹ करोड में)



डेटा स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकत्ता

2. निर्यात उन्नयन गतिविधियाँ :

2.1. तम्बाकू व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना :

तम्बाकू बोर्ड प्रति वर्ष भारतीय अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है। 2023-24 के दौरान तम्बाकू दो विशिष्ट तम्बाकू अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया था।

क्र. सं.	प्रदर्शनी का नाम	प्रांत & अवधि	स्टाल का परिमाण	प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों
1	इंटर टोबाक/ इंटर सप्लाई 2023	डार्टमंड, जर्मनी 14-16 सितंबर, 2023	12 मी ²	डॉ. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक श्री जी. बुल्लि सुब्बाराव, प्रादेशिक प्रबंधक (प्रभारी) श्री अभिमन्यु कुमार, भा.प्र.से., उप सचिव, वाणिज्य विभाग से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप भाग लिये।
2	विश्व तम्बाकू मध्य पूर्वी, 2023	दुबाई, यूएई 27 से 28 नवंबर, 2023	18 मी ²	डॉ. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक श्री ए. जीवन कुमार, क्षेत्र अधिकारी विपणन & निर्यात अनुभाग श्री रंजन शर्मा, उप निदेशक, वाणिज्य विभाग से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिये।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में तम्बाकू बोर्ड स्टॉलों के झलकें (छायाचित्र)



हंटरटबाक/हंटरसप्लाई 2023 में तम्बाकू बोर्ड का स्टॉल



विश्व तम्बाकू मध्य पूर्व 2023 में तम्बाकू बोर्ड का स्टॉल

2.2 तम्बाकू व्यापारी प्रतिनिधि-मण्डली का विजिट :

2023-24 वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा कोई व्यापारी प्रतिनिधि मण्डलियों को नहीं अपनाये गये ।

2.3 तम्बाकू बोर्ड द्वारा निर्यातकों के साथ बैठकों को व्यवस्थित करना :

- I. दि.18/01/2024 को तम्बाकू बोर्ड में इंटोनेशिया व्यापार प्रमोशन केन्द्र (आईटीपीसी), चेन्नई, वाणिज्य मंत्रालय - इंडोनेशिया गणराज्य से पदाधिकारियों और मेसर्स. पीटी पुतेरा जयशक्ति परकास से पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित किया गया था और भारत से तम्बाकू निर्यात से संबंधित विचार-विमर्श किया था ।



- II. दि.22/02/2024 को मेसर्स. केपिटल टोबाको, बलगेरिया से व्यापारी/निर्यातक तम्बाकू बोर्ड को विजिट किये और भारत से तम्बाकू निर्यात से संबंधित विचार-विमर्श किये थे ।
- III. श्री बाबूलाल परिहार, अध्यक्ष, भारतीय व्यापार चाम्बर - कम्बोडिया (आईबीसीसी), कम्बोडिया ने भारत और कंबोडिया के बीच सहयोग अवसरों को अन्वेषण करने दि.19/03/2024 को वर्चुवल विधान में बैठक में उपस्थित हुए थे ।

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा कार्यान्वयन

रिपोर्टार्धीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए हर प्रकर के कदम उठाये गये।

राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उठाये गये कदम :

- हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये गये।
- सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- ‘क’ क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ पत्र - व्यावहार हिन्दी में किया गया। ‘ख’ & ‘ग’ क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को कुछ पत्र द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- बोर्ड की प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टों, जिनको संसद के सामने रखना है, को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करके प्रस्तुत किया गया।
- बोर्ड के विभिन्न अनुभागों के, फार्मों एवं आवेदन पत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया।
- मानक मुद्रण लेखन-सामग्री याने., - लिफाफे, मिसिल फोल्डरों, पत्र शीर्षों आदि., को द्विभाषिक रूप में मुद्रित किया गया।
- सारे रबड़ मोहरें, द्विभाषिक रूप में बनायी गयी तथा सभी नाम-पट्टु त्रिभाषिक/ द्विभाषिक रूप में बनाये गये।
- ‘क’ क्षेत्र में स्थित मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों को भेजे गये लिफाफों पर पते हिन्दी में मुद्रित किये गये तथा ‘ग’ क्षेत्र के लिए द्विभाषिक रूप में मुद्रित किये गये।

हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यक्रम :

बोर्ड के अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के ऑन-लाईन हिन्दी कक्षाओं के लिए नामित किया गया। जनवरी-मई, 2023 सत्र के दौरान क्रमशः प्रबोध (08), प्राज्ञ (12) और पारंगत (02) कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना, सिक्किंदराबाद द्वारा आयोजित ऑन-लाईन कक्षाओं के लिए नामित किये गये।

“हर दिन एक शब्द सीखो” हिन्दी योजना का प्रचार :

प्रति दिन एक हिन्दी शब्द, उसके अंग्रेजी अर्थ के साथ प्रेसटोसाइन बोर्ड पर कार्यालय के प्रवेश - द्वारा पर प्रदर्शित किया गया। हिन्दी प्रचार से संबंधित प्रसिद्ध नेताओं एवं चिन्तकों के उद्धरणों को कार्यालय की मुख्य जगहों में प्रदर्शित किया गया।

हिन्दी सप्ताह :

तम्बाकू बोर्ड में 14 से 21 सितम्बर, 2023 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस समारोह में दि. 15 & 18 सितम्बर, 2023 तक दो मेज कार्यशालाएँ (दो अनुभाग), जो हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों में कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आयोजित किये गये और हिन्दी स्मृति, हिन्दी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिताएँ हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित किये गये।

हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तकालय :

सम्प्रति, बोर्ड में कुछ हिन्दी पत्रिकाओं के साथ एक हिन्दी दैनिक ‘‘हिन्दी मिलाप’’ अखबार उपलब्ध किया गया। कुछ हिन्दी पुस्तकें, उपन्यास और रामायण, महाभारत आदि., जैसे महाकाव्य, लघु - कथा पुस्तकें विभिन्न शब्द कोष, शब्दावलियाँ आदि, ग्रन्थालय में उपलब्ध किये गये।

कम्प्यूटरों में हिन्दी :

सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी साफ्टवेयर से व्यवस्थित किया गया तथा उनका उपयोग किये जा रहे हैं।

हिन्दी कार्यशाला :

इस अवधि के दौरान दो (02 दिन - प्रतिदिन 01 अनुभाग) मेज हिन्दी कार्यशालाएँ, जो हिन्दी सप्ताह के दौरान याने., दि. 15 सितम्बर, 2023 & 18 सितम्बर, 2023 को आयोजित की गई। यह मेज कार्यशाला तम्बाकू बोर्ड के हिन्दी विभाग द्वारा प्रारूपित एक नवीनतम कल्पना है, जहाँ हिन्दी रसाफ (प्रत्येक) कर्मचारी के मेज के पास (व्यक्तिगत रूप से) जाकर उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं, जिससे हिन्दी कार्य प्रभावी रूप से कार्यान्वयित किया जा सकता है।

रिपोर्टर्डीन वर्ष के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

वित्त एवं लेखा

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुदानों और उधारों के तौर पर तम्बाकू बोर्ड को निधियों का संदाय कर सकेगी। तम्बाकू बोर्ड 1991-92 से केन्द्रीय सरकार से बजट व्यय और योजनाओं के लिए किसी प्रकार की अनुदान या ऋण नहीं लिया। तम्बाकू बोर्ड द्वारा जेनरेट आंतरिक साधन, अधिनियम के अनुसार अपने गतिविधियों को जारी करने इसके व्यय को पूरा करने और वेतन, भत्ता और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के अन्य मेहनताना उठाने के लिए पर्याप्त है।

I) आंतरिक संपत्तियाँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14-क के प्रावधानों के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड अपने नीलाम प्लैटफार्मों पर विपणित तम्बाकू के मूल्य पर, प्रदत्त सेवाओं के लिए “सेवा प्रभार” के रूप में 2% के हिसाब से शुल्क लगाता है। इस प्रकार लगाये गये सेवा प्रभार को ग्रोयर के द्वारा बेचे गये तथा क्रेताओं के द्वारा खरीदे गये तम्बाकू के मूल्य पर उत्पादक एवं क्रेता-प्रत्येक से @1% के दर पर, समान्य रूप से, वसूल किया जाता है। साथ-साथ तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) विनियम, 1984 के नियम 13(2) के अनुसार, नीलामियों में भाग लेने वाले क्रेताओं से बोर्ड, “प्राधिकार शुल्क” को वसूल करता है। इसके अतिरिक्त ग्रोयरों, बखार प्रचालकों, नर्सरीमेन, डीलरों, निर्यातकों, पैकरों, प्रोसेसरों एवं निर्माताओं से बोर्ड पंजीकरण शुल्क वसूल करती है।

बोर्ड ने, पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर राजपत्र अधिसूचना द्वारा प्रति वर्ष सरकार द्वारा निर्धारितानुसार जुर्मानाएँ लगायेगी। 2022 के दौरान कर्नाटका और 2023 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों के दौरान कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री प्रोसीडों से कोई अंशदान नहीं लगायी है।

II) बजट आकलन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करता है और सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले तारीखों में अथवा उसके पहले केन्द्र सरकार की स्वीकृती के लिए उन्हें प्रस्तुत करेगा।

बजट प्राप्तियाँ याने., सेवा प्रभार, क्रेता प्राधिकरण शुल्क, व्यापारियों & ग्रोयरों से रजिस्ट्रेशन शुल्क, मियादी जमाओं पर ब्याज और डेमोरेज प्रभारों के विविध रसीदें और विलंबित भुगतानों पर ब्याज आदि., बोर्ड के आन्तरिक स्रोत शामिल हैं।

बजट व्यय को आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलाम प्लैटफार्मों में इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ प्रदान करने पूँजीगत व्यय के रूप में और नीलामियों और विस्तार एवं विकास योजनाओं के कल्याण योजनाओं, उत्पादन योजनाओं और व्यापार संकंध योजनाओं आदि., को आयोजित करने के लिए स्थापना और प्रशासनिक पर राजरव व्यय के रूप में व्यय किया जाता है।

तदनुसार, 2023-24 के लिए बजट प्रस्तावों को तैयार करके सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये। बजट आकलन और संशोधित आकलन क्रमशः प्राप्तियों के लिए ₹ 8,130.00 लाख और ₹ 14,719.10 लाख और व्यय के लिए ₹ 17,105.50 लाख और ₹ 17,056.50 लाख हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बजट प्रावधान की ₹ 14,719.10 लाख के लिए आन्तरिक संसाधनों के रूप में ₹18,361 लाख की राशि वसूल हुई और बजट आउटले के ₹ 17,056.50 लाख के लिए व्यय के रूप में ₹9,907 लाख राशि खर्च किये गये हैं।

2011-12 से 2023-24 तक योजना तथा गैर - योजना के अंतर्गत वास्तविक निधियों की गति को दर्शानेवाली तालिका पृष्ठ सं. 135 में दी गई है।

वर्ष 2023-24 के तम्बाकू बोर्ड के तम्बाकू निधि के लेखाओं के लिये तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा और तम्बाकू निधि लेखा की प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण, जिसमें वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार संबंध को सहायता अनुदान), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नथा पेंशन योजना (ट्रैयर-1), तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि की एरमार्क निधि लेखाओं के वित्तीय विवरणियों के लेखाओं पर नोट के साथ वर्ष 2023-24 के लिए बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करके रिपोर्ट में संलग्न की गई है।

**दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं
महालेखाकार की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

हमने, दि. 31 मार्च, 2024 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के साथ संलग्न तुलन पत्र, उसी दिन को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा की, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 19(2) के साथ पढ़े जाने पर, नियंत्रक एवं महालेखाकार (कर्तव्य अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत, लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में सभी नीलाम प्लैटफार्म, संपर्क एवं प्रादेशिक कार्यालयों तथा नीलाम निदेशालय, बेंगलूर के लेखों शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणियाँ, तम्बाकू बोर्ड प्रबंध की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर एक राय प्रकट करना हमारा दायित्व है।

2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्धतियों के अनुसरण, लेखाकरण मानकों तथा उद्घोषण नार्म आदि., के संबंध में, लेखाकरण उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। व्याय, नियम एवं विनियम (सम्पति एवं नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा मन्त्रव्यों, यदि कोई हो तो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा अलग तौर पर रिपोर्ट की जाती है।
3. हमने, भारत में आम तौर पर माने गये लेखीकरण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा चलाई है। इन मानक के अनुसार, हमें इस प्रकार योजना बनाकर लेखापरीक्षा चलाई है, ताकि वित्तीय अश्वासन प्राप्त हो सके। लेखा-परीक्षा के तहत परीक्षण पद्धति पर जाँच, रकमों के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणियों में उद्घोषणाएँ शामिल हैं। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन के द्वारा अपनाये गये लेखाकरण सिद्धांत तथा प्रबंधन के द्वारा किये गये उल्लेखनीय आकलन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी राय के लिए हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट उचित आधार का प्रावधान करती है।
4. लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निवेदन करते हैं कि :
 - (i) हमने, अपने सर्वोत्तम एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी जानकारी एवं विवरणियों को प्राप्त किया है।
 - (ii) इस रिपोर्ट में (चर्चित) तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा / प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित (एक-रूप) लेखा फार्मेट में तैयार किया है।
 - (iii) हमारी राय में जहाँ तक ऐसी बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के साथ पढ़े जाने पर, तम्बाकू बोर्ड नियम, 1975 की धारा 19(1) के तहत अपेक्षितानुसार तम्बाकू बोर्ड द्वारा समुचित लेखा बहियों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया है।
 - (iv) हम आगे यह निवेदन करते हैं कि :



क) लेखाओं पर टिप्पणियाँ :

क.1) आय और व्यय लेखा :

व्यय

अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21) : ₹ 2,545 लाख

क.1.1. कर्नाटका राज्य में स्थित तीन नीलामी प्लैटफार्मों से संबंधित देय संपत्ति कर को शामिल नहीं करने के कारण ₹393.37 लाख राशि को न्यूनोक्ति बताया गया है।

तम्बाकू बोर्ड ने कर्नाटका राज्य के नीलामी प्लैटफार्मों के लिए प्राप्त संपत्ति कर डिमाण्ड नोट के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया, यद्यपि इसमें आन्ध्र प्रदेश नीलामी प्लैटफार्मों के संबंध में प्रावधान किया गया था। ग्राम पंचायत के मुख्य अधिकारी, एच.डी. कोटे, कर्नाटका ने स्पष्ट किया था कि तम्बाकू बोर्ड को संपत्ति कर भुगतान से धूट नहीं है। अतः कर्नाटका के नीलामी प्लैटफार्मों के लिए प्राप्त डिमाण्ड के लिए आवश्यक प्रावधान बनाया जाना चाहिए।

जैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप “बकाया देनदारियों (राजस्व)” की न्यूनोक्ति के साथ-साथ ₹393.37 लाख तक “अन्य प्रशासनिक व्यय” की न्यूनोक्ति बताया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक “व्ययोपरि आय की अधिकता” की अत्युक्ति बताया गया।

क.1.2. तम्बाकू बोर्ड द्वारा देय सेवा कर को शामिल न करने के कारण उक्त ₹ 16.96 करोड़ राशि को न्यूनोक्ति बतायी गयी है।

इस विषय में बोर्ड द्वारा अपीलेट प्राधिकारी, तिरुपति के साथ एक अपील (अप्रैल, 2023) दर्ज की गई, जो अन्त में विवादास्पद ₹23.38 करोड़ राशि के लिए ₹16.96 करोड़ की राशि को निर्धारित (फरवरी, 2024) किया और इसकी पुष्टि की। वर्ष 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक लेखाओं की अनुमोदन की तारीख तक बोर्ड ने अपीलेट प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपीलेट व्यायाधीकरण (ट्रिब्यूनल) के सम्मुख कोई अपील नहीं की थी। इस ₹16.96 करोड़ राशि की देनदारी को लेखाओं में प्रावधान करना होगा।

जैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप, प्रावधानों में न्यूनोक्ति और ₹16.96 करोड़ राशि की व्ययों में न्यूनोक्ति बताया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक “व्ययोपरि आय की अधिकता” की अत्युक्ति बतायी गयी है।

ख) सामान्य

क. लेखाओं को प्रस्तुत करने में समय-सीमा का पालन न करना :

सदन के पट्टल पर रखे जाने वाली कागजातों की समिति (सीओपीएलओटी) ने अपनी पहली रिपोर्ट (5वीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश किया था कि, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक खायत्त निकाय को तीन महीनों की अवधि के अंदर अपने लेखाओं को पूरा करना होगा और उन्हें लेखा-परीक्षा के लिए उपलब्ध करना होगा।

पिछले दो वर्षों से (2021-22 और 2022-23) के लिए बोर्ड द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में देरी हुई थी। लेखाओं को समय पर प्रस्तुतीकरण के लिए पूर्व वर्षों में प्रबंध द्वारा दिये अश्वासन के बावजूद, वर्ष 2023-24 के अनुमोदित लेखाओं बोर्ड द्वारा देरी से दि. 23 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत किये गये थे।

ग) प्रबंध पत्र

- कमियों, जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं किया गया है, को उपचार/सुधारात्मक कार्यवाही के लिए, अलग रूप से जारी किये गये प्रबंध पत्र के द्वारा अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, गुणदूर के ध्यान में लाया गया ।
- (v) पूर्वगामी अनुच्छेदों में हमारे मन्तव्यों को, बशर्ते कि हम यह निवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट में चर्चित तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं ।
- (vi) हमारी राय में तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों, लेखीकरण नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर, तथा ऊपर बताये गये उल्लेखनीय शर्तों और इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित बातों को, बशर्ते कि, भारत में आम तौर पर माने जाने वाली लेखाकरण सिद्धातों के अनुसरण में एक सच्चा और तटरथ दृश्य देते हैं :
- (क) जहाँ तक तुलन-पत्र के संबंध है, दि 31 मार्च, 2024 के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड के मामलों की स्थिति का, तथा
- (ख) जहाँ तक आय & व्यय लेखे का संबंध है उसी तारीख को समाप्त वर्ष की कमी का है ।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
की तरफ से
ह/- xx xx xx
(वी.एम.वी. नावल किशोर)
प्रधान निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 08 नवंबर, 2024

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
हैदराबाद

अनुलग्नक

1. आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :

तम्बाकू बोर्ड के आन्तरिक लेखा-परीक्षा विंग के लिए कोई अलग मंजूर पद नहीं है। फिर भी, तम्बाकू बोर्ड ने सहायक प्रबंधक (लेखा) की नेवृत्त में कार्यालय कर्मचारियों के साथ आन्तरिक लेखा-परीक्षा विंग का गठन किया था। बोर्ड के 33 कार्यालय (आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्थित 26 नीलाम प्लैटफार्म, ऑंगोल-1, ऑंगोल-2, राजमहेन्द्री, मैसूर और पेरियपट्टना में 5 प्रादेशिक कार्यालय, बैंगलूर में एक निदेशालय और गुण्टूर में मुख्य कार्यालय) हैं। वर्ष 2023-24 के लिए सभी नीलाम प्लैटफार्मों और प्रादेशिक कार्यालयों के लिए आन्तरिक लेखा-परीक्षा आयोजित की गयी थी। फिर भी, मौजूदा आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली बोर्ड के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति से पर्याप्त और अनुरूप नहीं हैं।

2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

तम्बाकू बोर्ड के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली निम्न लिखित टिप्पणियों की वृष्टि में अपूर्ण है :

- (i) नीलाम प्लैटफार्मों पर एकत्रित तम्बाकू रसीपिंगों की बिक्री से प्राप्त बिक्री प्रोसीडों के शेयर पर तम्बाकू बोर्ड और भारतीय तम्बाकू संघ (भा तं सं) के बीच करारनामा (अप्रैल, 2018) के अनुसार, बोर्ड ने बिक्री प्रोसीडों में ग्रोयरों की हिस्सा और तम्बाकू बोर्ड की हिस्सा को गणना नहीं की लेकिन पूरी राशि को चालू देयताओं के अन्तर्गत प्रकट किया था। फलस्वरूप, ग्रोयरों की हिस्सा को ग्रोयर कल्याण निधि में जमा नहीं किया गया। प्रबंधकगण तम्बाकू रसीपिंगों का समाधान (रीकन्फीलियेशन) को पूरा नहीं कर सका और करारनामा के अनुसार राशि को संविभाजन नहीं कर सका।
- (ii) तम्बाकू बोर्ड ने, अपनी बोर्ड की बैठक में तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(2) के अनुसार 1977 चक्रवात ऋण के लिए ग्रोयरों से देय राशि को माफ करने के लिए अनुमति (जुलाई, 2007) दी और मंत्रालय को प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था। फिर भी, ₹ 16.02 लाख की ऋण राशि, जो 45 सालों से बकाया है, को रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- (iii) संपत्तियों की पूँजीकरण को संपत्ति को उपयोग करने की तारीख से करने के बजाय सीपीडब्लूडी/राईट्स से फार्म-65 की प्राप्ति की तारीख से किया गया है।
- (iv) वार्षिक लेखाओं को संकलन के लिए बोर्ड एमएस-एक्सेल का उपयोग कर रहा है। इस एमएस-एक्सेल, जो पर्याप्त प्राधिकरण/एक्सेस नियंत्रण नहीं है, वित्तीय विवरणियों की तैयारी में निगरानी मेकानिजम की कमी है, जिससे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों में भौतिक कमी भी हो सकती है।

3. अचर परिसम्पत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन विशेष दलों को गठन करने के द्वारा कार्यालय के संबंधित नियंत्रण अधिकारियों और मुख्य कार्यालय द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने 33 कार्यालय/नीलाम प्लैटफार्मों/प्रादेशिक कार्यालयों में से 13 के लिए भौतिक सत्यापन को आयोजित किया है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा यह अवलोकन किया कि :

- भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में दर्ज किये भूमि के क्षेत्र, जो वेल्लमपल्ली-II (नी.प्लै-31), चिलकुंदा (नी.प्लै-62), पेरियपट्टना-II (नी.प्लै-05), रामनाथपुरा (नी.प्लै-63) और रामनाथपुरा (नी.प्लै-07) आदि., के पाँच नीलाम प्लैटफार्मों के संबंध में भूमि अभिलेखों में दर्शाये गये क्षेत्र से बेमेल (मिसमैच) हो रहा था। इस बेमेल (मिसमैच) का समाधान नहीं किया गया था।

- भौतिक सत्यापन के दौरान, कुछ वस्तुएँ पूर्ण रूप से/मरम्मत के लिए अयोग्य/काम करने की स्थिति में नहीं आदि., के रूप में पाये गये थे। फिर भी, संपत्तियों की क्षति के लिए वित्तीय विवरणियों में अप्रयुक्त वस्तुओं के लिए कोई उद्घाटन (डिसक्लोसर) नहीं किया गया था।

4. वस्तुसूची की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

तम्बाकू बोर्ड के पास कोई वस्तुसूची (इनवेंटरी) नहीं है, लेकिन लेखन-सामग्री और उपभोज्य वस्तुओं को वस्तुसूची (इनवेंटरी) के रूप में माना जाता है। बोर्ड ने प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख के अंत में लागत के आधार पर लेखन-सामग्री की अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया। इस प्रकार, बोर्ड की वस्तुसूची (इनवेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली पर्याप्त है।

5. सांविधिक देय राशियों की अदायगी में नियमितता :

बोर्ड ने, पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के क.1.1 और क.1.2 के लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अधीन सांविधिक देय राशियों को निर्धारित तारिख के अंदर प्रेषित (भुगतान) किया।

ह/- xx xx xx
(वी.एम.वी. नावल किशोर)
प्रधान निदेशक

तम्बाकू बोर्ड

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्टूर

तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

दि. 31/03/2024 तक तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

विवरण	अनु-सूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
कार्पस / पूँजी निधि और देयताएँ			
1. कार्पस / पूँजी निधि	1	78473	70019
2. आरक्षण और उपरी	2	0	0
3. उद्दिष्ट / धर्मरक्षण निधियाँ	3	3191 1046 8495 24 6994	2987 1206 10470 22 6632
क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता)			
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि			
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि			
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना			
ड) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना			
4. सुरक्षित ऋण और उधार	4	0	0
5. असुरक्षित ऋण और उधार	5	0	0
6. अस्थागित ऋण देयताएँ	6	0	0
7. वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	11962	12050
कुल		110185	103386
संपत्तियाँ			
1. स्थिर संपत्तियाँ	8	11618	11170
2. उद्दिष्ट / धर्मरक्षण निधियाँ से निवेश	9		
क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता)			
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि			
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि			
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना			
ड) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना			
3. निवेश : अन्य	10	0	0
4. वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि,	11	78817	70899
5. विविध व्यय		0	0
कुल		110185	103386
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ	24	अनुसुचियों में रखा गया	
आकस्मिक देयताएँ और लेखाओं पर नोट्स (टिप्पणी)	25	अनुसुचियों में रखा गया	

ह/- XX XX XX

(डी. वेणुगोपाल)

सचिव (प्रभारी)

ह/- XX XX XX

(डॉ. अदंकि श्रीधर बाबू)

कार्यपालक निदेशक

तम्बाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
भारत सरकार, गुण्टूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ
दि. 31/03/2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

(₹ लाखों में)

		विवरण	अनु-सूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. आय					
I	बिक्रियों / सेवाओं से आय	12	12867	7678	
II	अनुदान / आर्थिक सहायता	13	0	0	
III	शुल्क / चन्दे	14	519	774	
IV	निवेशों से आय (उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियों से निधियों को अन्तरित)	15	21	17	
V	रॉयलटी, प्रकाशनों आदि, से आय	16	4	5	
VI	अर्जित व्याज	17	4494	3270	
VII	अन्य आय	18	456	1036	
VIII	संपूर्ण वस्तुओं के स्टाकों में बढ़ती/(घटती) एवं कार्यों में प्रगति	19	0	0	
कुल			18361	12780	
2. व्यय					
I	स्थापना खर्च	20	6850	6241	
II	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2545	2041	
III	अनुदान, सब्सिडी आदि., पर व्यय	22	0	0	
IV	व्याज	23	0	0	
V	मूल्हास (वर्षान्त में निवल योग - अनुसूची - 8 के समरूप)	8	512	481	
कुल			9907	8763	
3. व्ययोपरि आय के अतिरेक के रूप में शेष (1-2)			8454	4017	
I	विशेष राजस्व का स्थानांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		0	0	
II	सामान्य रिजर्व का अन्तरण		0	0	
III	पूर्व वर्षों के भुगतान		0	0	
4.	कार्पस / पूंजी निधि को ले गये उपरि / घाटे के रूप में शेष			8454	4017
5.	उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ	24	अनुसुचियों में रखा गया		
6.	चालू देयताएँ और लेखों पर टिप्पणि	25	अनुसुचियों में रखा गया		

ह/- XX XX XX

(डी. वेणुगोपाल)

सचिव (प्रभारी)

ह/- XX XX XX

(डॉ. अद्वितीय श्रीधर बाबू)

कार्यपालक निदेशक

उद्दिष्ट निधियों की निधि शेष (तुलन पत्र)

1. वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार रक्ध को अनुदान सहायता) लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	2,986.92	2,820.88
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बबैं खाता पर व्याज)	203.95	166.05
	ख) प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	घ) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	घटाये :		
	क) निकासी	0.00	0.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क+ख)	3190.87	2986.93
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	क) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ख) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल भुगतान (ग)	0	0
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	3190.87	2986.93

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	1,206.38	1,519.63
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बबैं खाता पर व्याज)	65.22	77.25
	ख) अंशदान	311.41	366.22
	ग) साभनि आग्रम की वसूली	0.20	
	घटाये :		
	क) निकासी	-537.17	-756.72
	ख) भुगतानित अग्रिम	-0.50	0.00
	कुल (क+ख)	1045.54	1206.38
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	क) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ख) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	1045.54	1206.38

3 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	10,469.91	13,466.00
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (एलआईसी & बबै खाता के साथ जमा पर व्याज)	700.76	831.95
	ख) पेंशन निधि अंशदान	1040.00	1840.00
	घटाये :	0.00	
	क) भा जी बी नि द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी	-3715.32	-5667.62
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	8495.35	10470.33
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	8495.35	10470.33

4 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	21.96	27.16
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बबै खाता पर व्याज)	1.61	1.12
	ख) पेंशन निधि अंशदान	244.56	229.36
	घटाये :		
	क) एनएसडीएल, मुंबई को प्रेषित पेंशन अंशदान (पेंशन अंशदान)	-244.56	-235.69
	ख) अन्य भुगतान (बैंक प्रभार)	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	23.57	21.95
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	23.57	21.95

5 तम्बाकू गोयर कल्याण निधि योजना लेखा :

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)			पूर्व वर्ष (₹)	
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटिका
क	अधरेष्व	4143.32	2488.69	6632.01	3968.83	2447.88
ख	निधि लेखा को जोड़ :					
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्वे आता पर व्याज)	292.78	144.21	436.99	154.45	112.06
	ख) गोयर अंशदान	24.19	14.76	38.95	17.56	17.27
	ग) तम्बाकू बोर्ड का अंशदान	40.00	29.52	69.52	35.12	34.54
	घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण	170.23	198.28	368.51	175.14	202.15
	ड) रिपिंगों का ग्रेयर का थेयर	0.00	5.89	5.89	25.25	8.70
	च) जुम्मानाँ	0.23	0.00	0.23	0.13	0.01
	छ) ऋणों पर व्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ज) विविध भुगतान	0.04	1.77	1.81	0.03	2.76
	अ. गोयर अंशदान (ब्रेक इन एजिस्ट्रेशन)	6.74	5.17	11.91	5.47	6.37
	घटाये :					
	क) ग्रोयरों को मृत्यु याहन	-232.80	-339.10	-571.90	-238.65	-343.05
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	4444.74	2549.19	6993.92	4143.34	2488.69
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोग/व्यय					
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	4444.74	2549.19	6993.92	4143.34	2488.69
						6632.02

₹/- ₹ ₹ ₹ ₹

(एम. रत्नबालान्ना)
प्रबंधक (वित्त व लेखा) (प्रभारी)

तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, आरत सरकार, गुण्टूर तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I.	अथशेष :			I. स्थापना खर्च		
क)	बैंक शेष			1. वेतन और मजदूरी	4348.80	4271.52
1.	चालू खाताएँ	6341.85	4571.30	2. भते और बोनस	33.09	29.22
2.	जमा खाताएँ	61467.13	59531.40	3. भविष्य निधि को अंशदान	0.00	0.00
3.	बचत खाताएँ	0.00	0.00	4. पेंशन निधि को अंशदान	1040.00	1840.00
ख)	उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ			5. पेंशन निधि को अंशदान (न में यो)	146.75	137.34
1.	चालू खाताएँ			6. कर्मचारी कल्याण खर्च	0.00	0.00
i)	गा.प्रचलनों के लिए मार्जिन धन (व्यापार संकेत को अनुदान)	0.10	0.10	7. सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ	864.93	1378.83
				8. अन्य :		
2.	जमा खाताएँ	0.00	0.00	क) छुट्टी वेतन & पेंशन अंशदान	3.87	3.52
3.	बचत खाताएँ	0.00	0.00	घ) चिकित्या दावे (अधिकारीगण व स्टाफ)	32.51	44.23
i)	तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी यामान्य भविष्य निधि	5.57	21.84	ग) छुटिया दावे	5.45	4.74
ii)	तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन फंड	5.20	5.03	घ) स्टाफ को वर्द्ध	11.55	1.85
iii)	तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन योजना	0.27	3.57	II. अन्य प्रशासनिक व्यय		
iv)	तम्बाकू गोप्यर कल्याण निधि योजना	138.13	206.00	1. कर्मचारियों को ओ.टि.ए	0.00	0.00
II.	प्राप्त अनुदान			2. अधिकारियों और कर्मचारियों केलिए या.भ.	149.43	155.62
III.	निवेश और जमा			3. बोर्ड के सदस्यों के लिए या.भ.	3.35	5.81
क)	उद्दिष्ट राजस्व निधि (एक ही अर			4. प्रशासनिक भवन/कर्टर्स/नी. प्लैफर्म का रखरखाव	31.95	64.38
				5. भवनों का किराया	82.28	83.41
				6. मुद्रण और स्टेशनरी (कंप्यूटर तेलर सामग्री को मिलाकर)	78.64	69.81

तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्दूर तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
i) वा. प्रयालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार रक्कम को सहायता अद्दाना)	2848.51	2744.52	7. विद्युत शुल्क	128.86	110.23
ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	1527.82	1454.90	8. डाक और टेलीफोन शुल्क 9. बैठकों पर व्यय	44.67	42.11
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेशन निधि	10464.71	13460.55	10. विविध व्यय 11. मनोरंजन व्यय	10.33	10.84
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेशन निधि	21.62	23.53	12. पत्रिकाओं के लिए सदस्यता	104.26	100.76
v) तम्बाकू उत्पादक कल्याण निधि योजना	6185.25	5808.01	13. फर्नीचर और अन्य सापेक्षयों की मरम्मत 14. परिचहन प्रभार	5.54	9.52
x) निजी निधि			15. कार्यशालाएँ और सेमिनार 16. दौरे और कर	0.00	3.07
IV. निवेश पर आय			17. बैंक शुल्क 18. कानूनी शुल्क	25.45	21.65
क) उद्दिष्ट राजस्व निधि			19. वाहनों का आड़ा 20. वाहनों का उखरखाव	0.13	4.54
i) वा. प्रयालनों के लिए मार्जिन धन (ट्रैडिंग टिंग के लिए अनुदान)	142.67	103.99	21. बीमा	5.20	4.54
ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	399.69	428.43	22. लेखा-परीक्षा शुल्क	115.37	107.72
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेशन निधि	1740.76	1671.95	23. सा. भ. नि. को लाज योगदान	34.33	38.71
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेशन निधि	246.17	230.48	24. अन्य संगठनों के साथ सदस्यता	12.42	10.92
v) तम्बाकू गोयर कल्याण निधि योजना	2042.19	934.59	25. ऋण वसूली व्यय 26. पुस्तकालय कित्ताबें 27. कंप्यूटर का उखरखाव 28. बोर्डिंग स्केल के लिए सेवा शुल्क	10.66	15.98
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.04	0.06
				23.85	15.13
				23.25	20.91



तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्डू तम्बाकू निधि लेस्या - वित्तीय विवरणियाँ

दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अ) निजी निधि	0.00	0.00	29. मुट्ठा श्रामिक शुल्क	590.08	343.79
ग) किराया	20.34	16.42	30. अस्थायी संरचनाओं का निर्माण	0.00	0.00
ि) पट्टा परिसर पर किराया			31. मानव संसाधन विकास	8.74	7.03
V. प्राप्त किया व्याज			32. ई-जीलामी प्रणाली का कार्यन्वयन	528.54	328.78
1. बैंक में जमा राशि	3672.64	3079.34	33. कार्यालय का स्वचालन (एमआईएस) औनलाइन	2.97	2.87
2. ऋण और अग्रिम (अधिकारी)	0.26	0.10	34. स्वच्छ भारत लाय	4.02	3.84
VI. अन्य आय			35. रिटेल ऑफ लॉसेस	0.00	0.00
1. गोयर पंजीकरण शुल्क (केंद्र, बार्न ऑपरेटर और नर्सरीमेन)	442.27	691.07	36. एफशीवी तम्बाकू का विनियमन और विकास	3.06	2.60
2. नियांतकों के पंजीकरण शुल्क	18.29	16.35	37. वैज्ञानिक, तकनीकी & अनुसंधान	20.02	25.00
3. उत्पाद पंजीकरण शुल्क	34.18	34.22	38. विपणन सुविधाओं का कार्यान्वयन & रखरखाव	0.20	0.43
4. डीलर पंजीकरण शुल्क	9.50	10.44	39. ग्रेयरों को वित्तीय यहत (फ्रॉसल/बखार डामेज)	0.00	0.00
5. पैकर्स पंजीकरण शुल्क	0.54	0.66	40. किसान अधिकारण टूर : विदेश	0.00	0.00
6. प्रोसेसर पंजीकरण शुल्क	0.85	3.63	निर्यात ग्रोत्साहन	0.00	0.00
7. वाणिज्यिक ग्रेडर्स पंजीकरण शुल्क	0.34	0.28	41. बाजार का सर्वेक्षण	0.00	0.00
8. निर्माणकर्ता पंजीकरण शुल्क	5.88	9.93	42. व्यापार प्रतिनिधि कंडल : (विदेश)	0.00	0.00
9. सल्वतान प्रकाशनों की विक्री (सैन्यपीठीएस)	4.13	4.61	43. मेले और प्रदर्शनी (विदेश)	21.27	37.64
10. विविध आय	455.89	365.93	अन्य		
11. एफशीवी तम्बाकू पर सेवा शुल्क	12987.11	7566.27	44. प्रसार और प्रचार	5.11	4.74
12. पंजीकृत ग्रेयरों से @ 4% अंशदान	0.00	602.43	45. फार्म मशीनीकरण	10.20	0.30
13. अपंजीकृत & पंजीकरण ग्रेयरों से अंशदान ₹ @ 9%	0.00	0.00	46. एफशीवी तम्बाकू की उपज & गुणवत्ता की वृद्धि	121.40	228.33
14. पंजीकृत & अपंजीकृत ग्रेयरों से एक किलो को अंशदान ₹ 2/-	0.00	0.00	47. कस्टर्टिंग प्रथाओं में सुधार	104.99	111.55
15. पंजीकृत & अपंजीकृत ग्रेयरों से एक किलो को अंशदान ₹ 1/-	0.00	0.00	48. एनटीआरएम और उत्पाद-अखंडता का उन्मूलन	40.05	17.46
			49. वीहेचपिएम उपाय-वर्तिका ऐड/नमूना भंडारण सुविधाएँ	5.12	1.97
			50. अन्य विस्तार कार्यक्रम	19.44	15.41
			51. ऑन-फार्म टेस्ट और प्रायोगिक परीक्षण	4.60	14.92
			52. नमूना परियोजना क्षेत्र	10.60	10.00

तम्बाकू बोर्ड, वार्षिक एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्दूर तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
16. खरीदारों की प्राधिकरण शुल्क	7.42	6.22	53. तम्बाकू गोदार कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा)	69.52	69.66
17. कर्मचारियों के लिए ऋण और अधिन्यात्मक कृषकों को ऋण & अधिन्यात्मक उधार ली गई राशि	5.49	1.71	54. वाणिज्यिक दंड और व्याज	0.00	0.00
18. कृषकों को ऋण & अधिन्यात्मक उधार ली गई राशि	0.00	0.00	55. सेवा कर, जुर्माना और व्याज	10.13	13.6
VII. उधार ली गई राशि	0.00	0.00	III. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि के क्षितात्क किए गए भुगतान	0.00	0.00
VIII. कोई अन्य रसीदों			IV. अनुदान और सख्तियों पर व्यय		
1. अन्य देवदारियाँ	2021.23	2613.32	V. निवेश और जमा	0.00	0.00
2. एसोटिओं और अन्य के साथ जमा	138.98	9.80	1. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ :		
			क) नियत जमा		
			i) वा. प्रयालों के लिए मार्जिन धन (व्यापार रक्षण के लिए अनुदान)	2991.18	2848.51
			ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	1394.12	1142.88
			iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेशन निधि	8489.97	10464.71
			iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेशन फंड	23.13	21.62
			v) तम्बाकू उत्पादक कल्याण निधि योजना	7059.76	5072.67

तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्दूर तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

दि. 31 जार्च, 2024 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अ) अन्य भुगतान					
i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (ड्रेंगिंग विंग के लिए अनुदान)			0.00		0.00
ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी समान्य भविष्य निधि			537.67	756.72	
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि			3715.32	5667.62	
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि			244.56	235.69	
v) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना 2. निजी निधि			1000.40	1737.8	
V. निश्चित संपत्ति पर व्यय & प्रगताधीम कार्य			0.00	0.00	
1. निश्चित संपत्तियों की खरीद			50.58	14.64	
2. अधिन के रूप में :					
क) सीपीडब्ल्यूडी			1428.89	606.24	
ख) ऐट्स			0.00	0.00	
3. प्रगताधीन केपिटल कार्यों पर व्यय			0.00	0.00	
VI. अधिशेष धन/क्रण की वापसी			0.00	0.00	
VII. वित्तीय थ्रुल्क (व्याज)			0.00	0.00	
VIII. अन्य भुगतान :					
1) कर्मचारियों को क्रण और अधिन			25.00	0.14	
2) किसानों को क्रण और अधिन			0.00	0.00	
3) अन्य देनदारियाँ			2540.11	836.45	
4) परिस्थितों और अन्य के साथ जमा			0.00	88.6	

तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्टूर तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
			I(X. अन्तर्शेष क) बैंक शेष		
			1. चालू आताएँ 6341.85 2. जमा आताएँ 61467.13 3. बचत आताएँ 0.00	5749.52 68854.75 0.00	6341.85 61467.13 0.00
			ख) उद्दिष्ट / राजस्व निधि		
			1. चालू आताएँ 0.00 i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (ट्रेडिंग टिंग के लिए अनुदान) 0.10 2. जमा आताएँ 0.00 3. बचत आताएँ 0.00	0.00 0.10 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
			ii) तम्बाकू गोई के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि 1.29 iii) तम्बाकू गोई कर्मचारी पेंशन निधि 5.38 iv) तम्बाकू गोयर कल्याण नई पेंशन निधि 0.37 निधि योजना 305.40	5.57 5.20 0.27 138.13	
			कुल 113402.97	107313.50	कुल 113402.97
					ह/- XXX XXX (डॉ. अद्वितीय श्रीधर बाबू)
					कार्यपालक निदेशक

ह/- XXX XXX
(डॉ. वेणुगोपाल)
सचिव (प्रभारी)

ह/- XXX XXX

1. वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार रकम को अनुदान सहायता) लेखा
(₹ लाखों में)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष क) बैंक में नकद (चालू खाता) (एस बि आई, गुण्डूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	0.10	0.10
ख.	प्राप्तियाँ क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बैंक खाता पर व्याज) ख) प्राप्त अनुदान ग) अन्य प्राप्तियाँ	2848.51 142.67 0.00 0.00	2744.52 103.99 0.00 0.00
	कुल प्राप्तियाँ(क + ख)	2991.28	2848.61
ग.	भुगतान क) निकासी ख) अन्य भुगतान	0.00 0.00	0.00 0.00
घ.	अन्तशेष क. निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक में नकद (चालू खाता) (एस बि आई, गुण्डूर)	2991.18 0.10	2848.51 0.10
	कुल भुगतान (ग + घ)	2991.28	2848.61

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा
(₹ लाखों में)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई, गुण्डूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	5.57 1527.82	21.84 1454.90
ख.	प्राप्तियाँ क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बैंक खाता पर व्याज) ख) अंशदान ग) सा भ नि अग्रिम की वसूली	88.09 311.41 0.20	62.21 366.22 0.00
	कुल प्राप्तियाँ(क + ख)	1933.08	1905.17
ग.	भुगतान क) निकासी ख) भुगतानित अग्रिम	537.17 0.50	756.72 0.00
घ.	अन्तशेष क) निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक के नगद (बचत खाता) (एस बि आई - गुण्डूर)	1394.12 1.29	1142.88 5.57
	कुल भुगतान (ग + घ)	1933.08	1905.17

3. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

(₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद (बचत खाता (एस बि आई, गुण्डूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	5.20 10464.71	5.03 13460.55
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (जीवीनि & बैंक लेखा के साथ जमा पर व्याज) ख) पेंशन निधि अंशदान	700.76 1040.00	831.95 1840.00
	कुल प्राप्तियाँ (क+ख)	12210.67	16137.53
ग.	भुगतान		
	क) एल आई सी द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी ख) बैंक प्रभार	3715.32 0.00	5667.62 0.00
घ.	अन्तशेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई, गुण्डूर)	8489.97 5.38	10464.71 5.20
	कुल भुगतान (ग+घ)	12210.67	16137.53

4. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

(₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई, गुण्डूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	0.27 21.62	3.57 23.53
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बैंक खाता पर व्याज) ख) पेंशन निधि अंशदान	1.61 244.56	1.12 229.36
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	268.05	257.58
ग.	भुगतान		
	क) एनएसडिएल, मुंबई को प्रोषित राशि (पेंशन अंशदान) ख) अन्य भुगतान (एनपीएस पदाधिकारियों को रिफन्ड)	244.56 0.00	235.69 0.00
घ.	अन्त शेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई, गुण्डूर)	23.13 0.37	21.62 0.27
	कुल भुगतान (ग + घ)	268.05	257.58

5. तम्बाकू ग्रोवर कल्याण निधि योजना लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (₹)			पूर्व वर्ष (₹)		
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल
क.	अथशेष क) बैंक में नकद (बचत आता) (एस वि आई गुण्डू) (एस बी एम, बैंगलूरु) ख) निवेश (मीआदी जमा) य.) प्राप्तियाँ :	30.70 4059.10	107.43 2126.15	138.13 6185.25	28.03 3816.67	177.97 1991.34	206.00 5808.01
ख.	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बैंबै खाता पर व्यापा) ख) ग्रोवर अंशदान ग) तम्बाकू बोर्ड का अंशदान घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण ड) रवीपिंग का ग्रोवर का शेयर च) जुमानिया छ) ऋणों पर व्याज ज) विविध भुगतान झ) ग्रोवर अंशदान (ब्रेक इन रिजिस्ट्रेशन) ज) विवाह ऋण ट) शिक्षा ऋण ठ) प्रथान वीमारी ऋण ड) बखार डामेज ऋण ढ) क्राप डामेज ऋण	208.14 24.19 40.00 170.23 0.00 0.23 0.00 0.04 6.74 1.25 1.04 1.10 0.10	129.42 14.76 29.52 198.28 5.89 0.00 0.00 1.77 5.17 80.83 7.77 8.81 1.40 26.13 0.00	337.56 38.95 69.52 368.51 5.89 0.23 0.00 1.81 11.91 82.08 2.25 3.16 2.50 26.23 0.00	195.17 17.56 35.12 175.14 25.25 0.13 0.00 0.03 5.47 90.17 5.75 1.50 0.00	104.96 17.27 34.54 202.15 8.70 0.01 0.00 2.76 6.37 90.17 5.75 0.70 0.43	300.13 34.83 69.66 377.29 33.95 0.14 0.00 2.79 11.84 92.42 8.91 2.20 0.43
	कुल रसीद (क + ख)	5631.05	2734.51	7277.37	4305.48	2643.12	6948.60
ग.	भुगतान क) ग्रोवरों को मृत्यु गहत ख) विवाह ऋण ग) शिक्षा ऋण घ) प्रधान वीमारी ऋण ड) बखार डामेज ऋण च). घ.	232.80 0.50 1.00 0.00 0.00 347.00	339.10 51.50 13.50 1.00 14.00 0.00	571.90 52.00 14.50 1.00 14.00 347.00	238.65 0.00 0.50 0.50 0.40 1088.20	343.05 54.00 12.00 0.50 0.00 0.00	581.70 54.00 12.50 1.00 0.40 1088.20
	क) निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक में नकद (एसबीआई, गुण्डू) (एसबीएम, बैंगलूरु)	4977.80	2081.97	7059.76	2946.52	2126.15	5072.67
	कुल भुगतान (ग + ख)	5631.05	2734.51	8365.57	4305.47	2643.13	6948.60

अनुसूची - 24 :

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण प्रथा :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के अनुसार बोर्ड के लेखे निम्नलिखित प्रकार हैं :

1. बोर्ड, प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं व्यय के सभी लेखाओं का रखरखाव करेगा।
2. खास वर्ष में लगे व्यय को अलग शीर्षों एवं उप-शीर्षों के तहत दिखाया जाएगा।
3. अथशेष, अगर कोई हो तो, अलग रूप से दिखाया जाएगा।
4. वर्ष के इतिशेष को व्यय पक्ष में प्राप्तियाँ और भुगतान लेखाओं को अलग से दिखाया जाएगा। (प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण को व्यय पक्ष में दिखाया गया।)
5. रिजर्व एवं निवेशों के विवरणों के साथ संपत्तियों एवं देयताओं के विवरण लाने के लिए उपार्जन पद्धति पर तैयार किये गये वार्षिक प्रोफार्मा लेखा।

2. वस्तुसूची मूल्यांकन :

चालू वर्ष में उपलब्ध लेखन - सामाजी एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन वस्तुओं के वास्तविक खरीद दाम पर मूल्यांकित किया गया है और इसे तुलन-पत्र के अन्तिम स्टॉक लेखों के तहत दिखाया गया। लेखन सामाजी और उपभोक्त वस्तुओं का मूल्य आगामी वर्ष के लिए अथशेष के रूप में दिखाया जाता है।

3. निवेश :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 की नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार -

1. बोर्ड के चालू व्यय के लिये अपेक्षित धन को, खुदरा रोकड़ के सिवाय, और अधिशेष धन जिला खजाने या उप-खजाने में वैयक्तिक खाता लेखा में अथवा भारतीय स्टेट बैंक* (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक) या उसके समनुषंगी बैंकों में से किसी में चालू खाते में रखा जाएगा।
2. चालू व्यय के लिये अपेक्षित न की गई किन्हीं निधियों को केन्द्रीय सरकार के पास लोक लेखा खाते में या भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा उसकी समनुषंगियों में से किसी में नियतकालिक निक्षेपों में रखा जा सकेगा।

परन्तु बोर्ड की पेंशन निधियाँ भविष्य निधि में की उन निधियों को, जो चालू व्यय के लिये अपेक्षित न हों, न्यासी प्रतिभूतियों या दस वर्षीय खजाना बचत निक्षेप पत्रों या राष्ट्रीय रक्षा पत्रों में अनुज्ञेय विस्तार तक, अथवा भारतीय स्टेट बैंक में अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या उसके समनुषंगी बैंकों में आवधिक निक्षेप में, अथवा यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए तो किसी अन्य अनुसूचित बैंक में विनिहित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : उप नियम (1) तथा इस उप नियम के उद्देश्य में 'राष्ट्रीयकृत बैंक', जो बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण तथा उद्योग स्थानांतरण) नियम, 1970 (1970 के 5) में उल्लिखितानुसार सदृश्य नया बैंक से अभिप्रेत है।

3. बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से संदाय नकद या बोर्ड के चालू खाते के प्रति काटे गये चेक द्वारा किया जाएगा।

4. उत्पाद शुल्क : शून्य

5. स्थिर संपत्तियाँ :

तम्बाकू बोर्ड भूमि & भवनों की उपार्जन तथा अन्य संपत्तियाँ जैसे., फर्निचर & उपस्कार, कार्यालय उपकरण, बिजली उपकरण, मोटार वाहन, वेइंग स्केल, ट्रालियाँ, कंप्यूटर और साईकिल आदि., को केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार लागत के आधार पर लिये जाते हैं। इस अप्रयोज्य परिसंपत्तियों को उनके डिस्पोजल / बिक्री पर परिसंपत्तियों से हटाया जाता है।

तम्बाकू बोर्ड के सिविल एवं बिजली कार्य सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स जैसे., सरकारी अभिकरणों के द्वारा अपनाया जाता है। निर्माण कार्य से संबंधित हमारे प्रस्ताव के लिए अभिकरणों से आकलन प्राप्ति के बाद, नियमों के अनुसार विभिन्न दशाओं में कार्य समापन होने तक निधि (राशि) रीलीज बोर्ड द्वारा किया जाता है। फार्म-65 में समापन कार्यों के लिए या प्रगताधीन कार्यों से संबंधित व्यय विवरण प्राप्त होने के बाद इसे पूँजी व्यय के रूप में कैपटलैज किया जाता है।

6. मूल्यहास :

मूल्यहास की पद्धति, जो एसएलएम पद्धति के अंतर्गत और कंपेनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित दरों के अनुसार संपत्तियों पर अपनाया जाता है। यह मूल्यहास परिसंपत्ति की कुल मूल्य में, जो संपत्ति पर 95% तक मूल्यहास का प्रावधान के साथ-साथ इस (संपत्ति) की डिस्पोजल/बिक्री की अवशेष (रिसिड्युल) मूल्य के रूप में परिसंपत्ति मूल्य 5% को रखने के द्वारा मूल्यहास को, जिसमें पट्टे पर लिये भूमि और भवन, ट्रालियाँ, अग्नि शामक और कौपियर मशीन आदि., को छोड़कर परिकलित किया जाता है। पट्टे पर भूमि और भवनों को लीज अवधि के आधार पर और ट्रालियों, अग्निशामकों तथा कौपियर मशीन के लिए परिसंपत्ति का उपयोग और अवधि के आधार पर मूल्यहास परिकलित किया जाता है। निर्माण कार्यों के संबंध में, पिछले वर्ष के मूल्यहास को भी परिगणना किया जाता है। प्रत्येक परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास दरों को नियत परिसंपत्ति तालिका की अनुसूची - 8 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया।

7. विविध व्यय :

तम्बाकू बोर्ड में कोई आस्थगित राजस्व व्यय नहीं हैं, जो 5 वर्ष की अवधि से अधिक लिपिबद्ध किया जाना है। आवृत्ति प्रकृति वाले (वस्तु) पर उठाये गये व्यय को जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, विद्युत मरम्मत & ट्रॉलाईट & लाईट आदि., विभिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत और स्वीपिंग के अंतर्गत और उपभोज्य वस्तु जैसे., ट्रैन, निशान स्याई, टवल और बकेट आदि., व्यय, जो नियत लेखा शीर्षों के अंतर्गत नहीं कवर होता है, को विविध व्यय के अंतर्गत रखा जाता है।

8. बिक्री के लिए लेखा :

क) बिक्रियाँ :

तम्बाकू बोर्ड में कोई सीधा बिक्री प्रचालन का विधान नहीं हैं। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार तम्बाकू ग्रोयरों द्वारा लाया गया और व्यापारियों द्वारा क्रयित एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लैटफार्मों में तम्बाकू बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है।

ख) सेवाएँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क लगाने की शक्तियाँ निम्नानुसार हैं :

क) धारा 14 - क (1) के अंतर्गत - इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा संस्थापित किसी नीलाम मंच पर वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री किया जाता है, यह बोर्ड के लिए सक्षम होगा अथवा इस बिक्री से संबंधित

बोर्ड के द्वारा की गयी सेवाओं के लिए शुल्क लगाने के लिए बोर्ड द्वारा किसी अधिकारी को प्राधिकृत, ऐसी बिक्री संबंधित बोर्ड द्वारा की सेवाओं के लिए ऐसी बिक्री के लिए दो प्रतिशत से ज्यादा ऐसी दर नहीं, ऐसे केन्द्र सरकार समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूना द्वारा, विनिर्धारित;

छ) धारा 14 (2) के अंतर्गत - उप-धारा (1) के अधीन लगाये शुल्क को बोर्ड या ऐसे अधिकारी वर्जीनिया तम्बाकू के बेचनेवाले के समान और यथानिर्धारित ऐसे मामले में ऐसे तम्बाकू के क्रयकर्ता द्वारा संग्रह किया जाएगा ।

14-क के अंतर्गत क्रेता पर आरोप्य शुल्क :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 42 के अनुसार, अधिनियम की धारा 14क के अधीन विक्रेता पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म के पास विक्रित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत तक शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा।

विक्रेता से शुल्क वसूली विधान :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 43 के अनुसार धारा 14 - क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, विक्रेता, जिसके द्वारा सुपुर्दगी किये गये तम्बाकू की बिक्री प्रोसीड़ों से इसे कटौती करने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है ।

धारा 14-क के अधीन खरीददार पर शुल्क आरोप्य :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 44 के अनुसार, धारा 14-क के अधीन, खरीददार पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म पर क्रयित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा ।

खरीददार से शुल्क वसूली विधान :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 45 के अनुसार, धारा 14-क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, उनके द्वारा क्रयित तम्बाकू के मूल्य में इसे जोड़ने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है ।

उक्त को ध्यान रखते हुए, बोर्ड ने ग्रोयर द्वारा विक्रित और क्रेता द्वारा खरीद किये तम्बाकू के मूल्य पर ग्रोयर और क्रेता से प्रत्येक से @ 1% से समान रूप से सेवा प्रभार वसूल करता है । यह सेवा प्रभारों को आय और व्यय लेखा की अनुसूची-12 के अंतर्गत वसूली तारीख के अनुसार और संभूति (अक्रूयल) के आधार पर प्राप्तियाँ भुगतन विवरणी में लिया जायेगा ।

आगे, बोर्ड ने तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के नियम/विनिमय के प्रावधानों के अनुसार ग्रोयर, बखार प्रचालक, नर्सरीमेन के रूप में रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण को प्रदान करने और व्यापारियों से तम्बाकू के निर्यातक, तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक, तम्बाकू डीलर, तम्बाकू पैकर, तम्बाकू प्रोसेसर, तम्बाकू निर्माणकर्ता और तम्बाकू वाणिज्यक श्रेणीकरण कर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन को प्रदान करने व्यापारियों से और नीलामियों में भाग लेने क्रेता प्राधिकरण शुल्क वसूल करता है । इसे आय और व्यय लेखा की अनुसूची 14 के अंतर्गत शुल्क/अंशदान के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है ।

सावधिक जमाओं पर, जो तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 23 के अनुसार निवेश किया जाता है, से आर्जित व्याज को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 17 के अंतर्गत आर्जित व्याज के आय के रूप में दिखाया गया है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत/अपंजीकृत ग्रोयरों से अधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू बिक्री के लिए बिक्री प्रोसीडों की अंशदानों को अन्य आय के रूप में लिया जाता है। विविध रसीदें, डेमरेज प्रभार आदि., को भी बोर्ड के अन्य आय के रूप में लिया जाता है। यह विवरणों को आय और व्यय खाते की अनुसूची 18 के अंतर्गत अन्य आय के रूप में लिये जाते हैं।

कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में 2022 और 2023 नीलामियों के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत / अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री के लिए 1% साधारण सेवा प्रभार लगाया है और कोई अंशदान नहीं लगाया है।

भारत सरकार ने दि.04/07/2023 और 23/01/2024 को जारी राजपत्र अधिसूचनाओं में घोषित किया कि 2022-23 और 2023-24 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में उक्त अधिनियम की धारा 14-क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (1) के प्रावधानों के संचालन को सार्वजनिक हित के लिए सरकार ने रिलाक्ष कर देती है और पंजीकृत ग्रोयरों के आधिक्य फ्लू क्यूरड वर्जीनिया तम्बाकू फसल और तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलाम प्लैटफार्मों में अपंजीकृत ग्रोयरों के अप्राधिकृत फ्लू क्यूरड वर्जीनिया तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए अनुमति दी है। अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत/अपंजीकृत ग्रोयरों से आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री प्रोसीडों का कोई अंशदान नहीं होता है। विविध रसीदें, डेमरेज प्रभार आदि., को भी बोर्ड के अन्य आय के रूप में लिया जाता है। इन विवरणों को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 18 के अंतर्गत अन्य आय के रूप में लिया जाता है।

तम्बाकू बोर्ड का प्रधान व्यय, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की 8 के अंतर्गत स्थापना और प्रशासनिक प्रकृति वाले प्रकार्यों को मीट करने के लिए है, जिसमें आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लैटफार्मों पर नीलामियों के द्वारा एफसीवी तम्बाकू की बिक्री भी शामिल हैं। यह व्यय को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 20 और 21 के अंतर्गत स्थापना और अन्य प्रशासनिक व्ययों के रूप में लिये जाते हैं।

पूँजी व्यय को बोर्ड की मौजूदा परिसरों में नीलामियों को निर्विच्छ आयोजित करने इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किया जाता है। विस्तार एवं विकास योजनाओं के अंतर्गत तम्बाकू की गुणता & उपज की वृद्धि, ईधन, क्यूरिंग लागत & समय का बचत और तम्बाकू की खेती में विभिन्न तकनीकी उपकरणों को अपनाना आदि., विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय के रूप में लिया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों के लिए विस्तार & विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत किये गये व्यय को, जो यह व्यय मुख्य कार्यालय, गुण्टूर द्वारा किया गया हो, को भी अलग से दिखाये गये हैं।

9. सरकारी अनुदान / सब्सिडी :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अंतर्गत रहे प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार प्राप्त करेगा - केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी, जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।



10. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(4) के अनुसार बोर्ड भारत के बाहर किसी एक मद पर पन्द्रह हजार रुपये से अधिक व्यय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उपगत नहीं करेगी ।

भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के ब्राण्ड प्रचार के अंतर्गत विदेशी पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रभार और विदेशी और भारत में मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए यात्रा व आवास व्यय, निर्यातों को बढ़ावा देने विदेशों को व्यापारी प्रतिनिधि मंडलियों को भेजने से संबंधित आवेष्टित विदेशी मुद्रा लेन-देन पर उठाये गये व्यय को भारत सरकार की पूर्व मंजूरी से खर्च करेगी ।

11. लीज :

बोर्ड ने, क्षेत्र स्तर क्रियाकलायों और एफ सी वी तम्बाकू की विक्रियों को आयोजित करने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में जीएफआर के साधारण प्रावधानों को अनुसरण करते हुए परिसर / कार्यालय भवनों को लीज पर लेती है।

12. सेवा निवृत्ति सुविधाएँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 5 के अनुसार अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते का तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में सेवा की ऐसी शर्तों का हकदार होगा जैसी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(3) के अनुसार कार्यपालक निदेशक तथा सचिव ऐसे वेतन और भत्तों के तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि और अन्य मामलों के बारे में सेवा की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत किया जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(4) के अनुसार ऐसे नियन्त्रण निवंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए (जिनके अन्तर्गत तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शर्तें भी उस दशा में हैं, जिसमें कि उक्त परिषद का परिसमापन किया जाए), जिन्हें विहित किया जाए, बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों।

तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तें :

तम्बाकू बोर्ड (साधारण) विनियम, 1984 के विनियम 13 (1) के अनुसार बोर्ड के नियोजित या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की बाबत वेतन और भत्ता, छुट्टी, पेंशन और सेवा निवृत्ति प्रसुविधा, भविष्य निधि, अनुशासिक कार्यवाहियों और शासित का अधिरोपण, सेवा की अन्य शर्तें, जिसके अंतर्गत अधिवार्षिता की आयु और अन्य सुविधायें जैसे वेतन का अग्रिम, सवारी क्रय करने का अग्रिम, मकान का संश्निर्माण और अन्य बातें हैं, यदि इस विनियम में कोई उपबंध अलग से नहीं किया गया है, तो ऐसा नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगा, जो तत्समय उन स्थानों पर कार्य कर रहे तत्समान श्रेणी या प्रास्थिति के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं।

अनुसूची - 25

दि.31, मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देयताएँ और लेखाओं पर टिप्पणी :

1. आकस्मिक देयताएँ :

1.1 संस्था के खिलाफ ऋणों के रूप में खीकृत नहीं किये गये दावाएँ शून्य हैं। (पूर्व वर्ष में शून्य)

1.2 के संबंध में :

- संस्था के पक्ष में / दी गई बैंक गारंटी - ₹शून्य (पूर्व वर्ष ₹शून्य)
- संस्था के पक्ष में बैंक द्वारा प्रारंभ किये साथ पत्र - ₹शून्य (पूर्व वर्ष ₹शून्य)
- बैंकों के साथ रियायती बिल ₹शून्य (पूर्व वर्ष ₹शून्य)

1.3 विवादास्पद माँगों के संबंध में :

आयकर ₹शून्य (पूर्व वर्ष ₹शून्य)

बिक्री कर ₹शून्य (पूर्व वर्ष ₹शून्य)

निगम कर ₹शून्य (पूर्व वर्ष ₹शून्य)

ग्रामीण क्षेत्रों में खामित वाले भवनों के लिए संपत्ति कर के संबंध में, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में संबंधित ग्राम पंचायत प्राधिकारियों द्वारा संपत्ति कर भुगतान के लिए नोटीस जारी किये गये थे। इस संबंध में, तम्बाकू बोर्ड भवनों के लिए संपत्ति कर भुगतान से छूट देने के लिए आयुक्त, पंचायत राज & ग्रामीण विकास, आन्ध्र प्रदेश सरकार, विजयवाडा को और कर्नाटका में संबंधित प्रधान कार्यकारी अधिकारियों, जिला पंचायतों को पत्र भेजे गये थे। मामले को निपटाने के संबंध में उत्तर की प्रतीक्षा में हैं।

अब, संपत्ति कर की सीधित राशि ₹ 76,19,277 को वर्ष 2023-24 के लिए दर और करों के अन्तर्गत बकाया देयता राशि के लिया जाता है।

1.4 आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए पार्टियों के दावाओं के संबंध में, लेकिन वर्तमान और पूर्व वर्ष के लिए निम्नानुसार संस्था द्वारा विरोध किया गया के संबंध में :

क) याचिका-दाता श्री वलवला वेंकट श्रीधर, राजमहेन्द्री द्वारा तम्बाकू बोर्ड के खिलाफ आन्ध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में अपील, जो तम्बाकू बोर्ड द्वारा गोपालपुरम नीलाम प्लैटफार्म को पट्टे पर लिया गया था, के परिसर को निष्कासन करने के लिए एक दावा अपील किया गया था और ₹ 1,10,66,618.00 के मूल्य के लिए डामेज के लिए अपील किया था। यह मामला सूचीबद्ध किया जाना बाकी है।

ख) श्री के.वि. श्रीमन्नारायण, मंडुववारीपालेम द्वारा बोर्ड के खिलाफ माननीय जिला जज न्यायालय, ओंगोल में एक अपील फैल की गई थी। यह याचिका-दाता बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिये परिसर को करारनामा में रहे समय के विरुद्ध जल्दी खाली करने के लिए किराये के लिए दावा किया है। दि. 31/12/2015 से 18% व्याज को और अन्य लीगल प्रभार को मिलाकर दावा किया राशि ₹ 13,37,776.00 रहा है।

- ग) मेसर्स एसालिट सिरटम्स लिमिटेड ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18(2) के अनुसार निपाटारा प्रक्रिया को समाप्त करने और एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार मध्यस्थत कार्यवाई की सूचना और ₹ 1,38,36,400.50 राशि को दावा करते हुए पश्चिम बंगाल के राज्य सूक्ष्म & लघु उद्यम सुविधा परिषद् से संपर्क किया था। कोई सर्वसम्मति की इथिति नहीं बनी थी, इसलिए निपाटारा प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और 2018 के मामला सं. 128 द्वारा डब्ल्यूबी एसएमसीएसई में मध्यस्थता कार्यवाही को शुरू कर दिया गया था और यह मामला लंबित है।
- घ) अतिरिक्त महानिदेशक, जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), चेन्नई जोनल यूनिट, चेन्नई ने ₹ 183,83,73,622/- मूल्य के अतिरिक्त सेवा प्रभार/जुर्माना के कर योग्य मूल्य पर ₹ 24,86,69,972/- की सेवा कर को भुगतान करने के लिए तम्बाकू बोर्ड को अपने पत्र सं. फा.सं. आईएनवी/डीजीजीएसटीआई/सीजडयू/एसटी/31/2018, दि.19/04/2019 द्वारा शोकॉज नोटीस सं. 20/2019 को जारी किया है और सतर्कता मामलों पर जुर्मानाओं के कर योग्य मूल्य पर ₹ 129,98,928/- सेवा कर राशि को वित्त अधिनियम, 1994 के अनुसार 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए ₹ 9,98,83,002/- राशि को विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत दर्शाये गये।

इस संबंध में, बोर्ड ने वित्त अधिनियम/सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों/नियमों के अनुसार ग्रोयरों से वसूल किये अतिरिक्त सेवा प्रभार/जुर्मानाओं पर सेवा कर की अनुपयोग्य के लिए आयुक्त (अपील), वस्तु और सेवा कर, गुण्टूर के समक्ष एक अपील फैल किया था। इस मामला को आयुक्त केन्द्रीय कर, गुण्टूर द्वारा समाप्त कर दिया गया था और शो-कॉज नोटीस में लगाये गये कर मॉग और ₹ 26.17 करोड़ की जुर्माना राशि को पुष्टि करते हुए आर्डर-इन-ओरिजिनल सं.गुण्टूर-एक्सेस-000-सीयूएम-026/19-20-से. कर, दि.13/12/2019 को जारी किया था।

आगे, बोर्ड ने आर्डर-इन-ओरिजिनल के खिलाफ, सीईएमटीएटी, हैदराबाद द्वारा अपील को स्वीकार करने माननीय केन्द्रीय कर अपीलेट ट्रिब्यूनल, प्रादेशिक कार्यालय, हैदराबाद के सामने ओआईओ में उल्लिखितानुसार ₹ 1,96,25,168/- की पूर्व जमा राशि के साथ एक अपील फैल की थी। आगे, आयुक्त (अपील) ने अप्रैल, 2023 के दौरान याने., 27/04/2023 तक मामला के शीघ्र निपराने के लिए सीईएसटीएटी, हैदराबाद के सामने एक अपील को दायर की है और सीईएसटीएटी द्वारा बाद में इस मामले को उठाने के लिए सुनवाई अपील को डिस्पोज किया गया था।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसर पंजीकृत/अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त/अप्राधिकृत तम्बाकू के लिए ग्रोयरों द्वारा स्वेच्छा से की गई बिक्री प्रोसीडों के अंशदानों पर तम्बाकू बोर्ड की कोई दायित्व नहीं होने के कारण 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए खाता बहियों में कोई आकस्मिक देयता नहीं है। अंशदान की कोई रसीद को सेवा कर नहीं लगेगा और ग्रोयरों से सेवा कर वसूल करने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है।

अब, उप सहायक आयुक्त (एसटी), गुण्टूर ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए कर भुगतानों पर अभिलेख और डेटा मांगते हुए दि.05/10/2020 को एक प्रारंभिक नोटीस जारी किया। उन्होंने प्रस्तुत सभी अभिलेखों/डेटा को मूल्यांकन किया है और बोर्ड की कुछ रसीदों पर जीएसटी को

भुगतान करने के लिए सूचना जारी किया है। ऐज किये गैर-प्रयोज्य करों के बारे में सूचित किया है। बाद में, उक्त तीनों वर्षों के लिए दि.09/11/2022 को शो-कॉज नोटीस जारी किया गया और इस के लिए पत्र दि. 04/01/2023 द्वारा उत्तर नस्तित किये। आगे, उन्होंने पत्र दि.30/01/2023 द्वारा कुल ₹ 23.38 करोड़ की कुल राशि के लिए व्याज सहित जुर्माना के साथ कर भुगतान करने के लिए आदेश जारी किये थे। इस संबंध में, मेसर्स. वंगला & असोसियेट्स, टॉकस कन्सलटेंट, गुण्डूर द्वारा दि.27/04/2023 को फार्म जीएसटी एपीएल-2 के अंतर्गत एक अपील नस्तित की गई थी।

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि अपीलेट प्राधिकारी, तिरुपति के आदेश कनकलूड हुआ था और 2017-18, 2018-19 और 2019-20 अवधि के लिए जीएसटी एपीएल-04 के रूप में दि.29/02/2024 को सम्मरैजड़ आदेश दिया था। अन्ततः उक्त अवधि के लिए विवादिन राशि ₹ 23,38,62,330/- के लिए ₹ 16,96,55,892/- को स्थायी राशि के रूप में निर्धारित किया गया था। माननीय अपीलेट व्यायाधीकरण (ट्रिब्युनल), जब संस्थापित किया जाता है, के तीन महीनों के अंदर आदेश दि.29/02/2024 के खिलाफ अपील दायर करना होगा। यह अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है, इसलिए दि.29/02/2024 को उक्त अवधि के लिए अतिरिक्त आयुक्त (राज्य कर) & अपीलेट प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के लिए अपील को, अपीलेट व्यायाधीकरण जहाँ जब गठित होने पर दायर किया जायेगा।

2. पूँजी वचन बद्धता : शून्य

3. लीज अनुबंध-पत्र :

आन्ध्र प्रदेश में ओंगोल-II & कोंडेपी, राजमहेन्द्रवरम के प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय और कर्नाटका में बेंगलूर में नीलाम निदेशालय का कार्यालय & पेरियपट्टना प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय तम्बाकू बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिये गये।

4. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम :

बोर्ड द्वारा प्रदत्त चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम विवरण तुलन पत्र की अनुसूची सं. 11 के अंतर्गत दिये गये थे।

5. कराधान :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29 क)(घ) के अनुसार तम्बाकू बोर्ड आयकर भुगतान में छूट-प्राप्त है।

लेखाओं पर टिप्पणी

क) गठन :

तम्बाकू बोर्ड का गठन, आन्ध्र प्रदेश, गुण्टूर में मुख्यालय के साथ, सन् 1975 में संसदीय अधिनियम के तहत किया गया।

ख) उद्देश्य :

यह एतद्वारा घोषित किया जाता है कि सावजिनक हित के तहत, तम्बाकू उद्योग को, (जो उचित समझता है) संघ अपने नियंत्रण में लेता है।

वर्ष 1984 में भारत सरकार के द्वारा, एमएसपी परिचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ों की मार्जिन राशि से, व्यापार रक्षण का सृजन किया गया। व्यापार रक्षण का लक्ष्य-सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले व्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नीलाम मंचों पर बचे हुए तम्बाकू का मॉप - अप करना तथा बाजार को स्थिर रखना-एतद्वारा उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है।

ग) बोर्ड का गठन :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 (4) के अन्तर्गत बोर्ड का गठन, निम्नलिखित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यथा :

क) एक अध्यक्ष, जो केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो का चुनाव लोक सभा द्वारा और एक सदस्य का चुनाव राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।

ग) आठ सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्र सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व निम्नानुसार की जाएगी :

i) कृषि से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;

ii) वाणिज्य से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;

iii) वित्त से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;

iv) औद्योगिक विकास से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;

v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद;

vi) आन्ध्र प्रदेश सरकार

vii) कर्नाटका सरकार

viii) गुजरात सरकार;

घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका राज्यों से भिन्न तम्बाकू उगानेवाले राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्णक्रमानुसार बारी-बारी से नियुक्त किये जाने वाले दो सदस्य;

ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले +दस से अनधिक सदस्य, जो तम्बाकू उगाने वालों, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यौहारियों या निर्यातकर्ताओं (जिनके अन्तर्गत पैकर भी है), तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं में से तथा ऐसे व्यक्तियों में से होंगे, जो केन्द्रीय सरकार की राज्य में तम्बाकू विपणन या कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं।

+ परंतु प्रस्तुत अनुच्छेद के अधीन तम्बाकू के उत्पादकों के बीच में से नियुक्त किये जानेवाले सदस्यों की संख्या छः से अधिक नहीं होगी।

च) भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, पदेन;

ज) कार्यपालक निदेशक, पदेन;

घ) प्रकार्य :

तम्बाकू बोर्ड, अपने कार्यों का निवाह तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसार करती है।

ङ) वित्त, लेखे एवं लेखा परीक्षा :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 16 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (1) के अनुसार, तम्बाकू निधि कहलाई जाने वाली एक निधि गठित की जाएगी तथा उसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएंगी :-

- क) इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत की गई फीसें;
- ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई कोई धनराशि या दिए गए कोई उधार;
- ग) कोई अनुदान या उधार, जो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए;
- घ) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों को कार्यान्वित करने में बोर्ड द्वारा वसूल की गई राशियाँ, यदि कोई हों।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (2) के अनुसार, निधि का उपयोग निम्नलिखित केलिए उपयोग किया जायेगा :-

- क) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों में होने वाले खर्च की पूर्ति;
- ख) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिकों की पूर्ति;
- ग) बोर्ड के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति;
- घ) किन्हीं उधारों का प्रतिसंदाय।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 19 के अनुसार, बोर्ड अभिलेखों को रखरखाव करेगा तथा वार्षिक विवरणियों को तैयार करेगा -

(1) बोर्ड, उचित लेखा और अन्य सुरक्षात् अभिलेखों के अनुरक्षण करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएंगी और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के तथा बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी लेखापरीक्षक के सम्बन्ध में ये ही अधिकार और निर्णयाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में होने हैं और विशिष्टतया उसे बहिर्यों, लेखा सम्बद्ध वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखे तदविषयक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को हर वर्ष भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाएगी।

च) वित्तीय लेन-देन आम तौर पर :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 27 के अंतर्गत - इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त, केन्द्रीय खजाना नियमों, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 और साधारण वित्तीय नियम, 1962 के उपबन्ध, ऐसे उपान्तरों या अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो बोर्ड द्वारा उनमें, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किये जाएं, बोर्ड के सभी वित्तीय संबंधवाहारों को लागू होंगे ।

छ) देय एवं परिसंपत्तियों पर प्रधान विषय :

1. बोर्ड ने लेखापरीक्षा द्वारा सूचितानुसार अनुसूचियों के अन्तर्गत तुलन पत्र, आय व व्यय लेखा और प्राप्तियाँ और भुगतान विवरण में लेखा ऑकड़ों को लाखों रुपये तक पूर्ण करने (रॉउडेड आफ) को उपनाया था ।
2. लेखाओं के यूनिफार्म फार्मेट के अनुसार ज्ञात देनदारों को चालू संपत्तियों के अंतर्गत और सभी प्रोविजनल परिसंपत्तियों को प्रोविजनल के अनुसार रखा गया । दि. 31/03/2024 को समाप्त वर्ष के लिए कुल देय राशि ₹1,218.12 लाख है ।
3. पूर्णधृति तथा पट्टधृति भूमियों के विवरण को, बोर्ड के तुलन पत्र का अनुलग्नक-1 से III (अनुसूची-8) के अंदर स्थिर संपत्ति विवरणों में सूचित किया गया ।
4. दि. 31/03/2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 35.42 लाख पर मूल्यांकित लेखन - सामाग्री एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन पदार्थों के वास्तविक खरीद दाम पर विचार करते हुए, अन्तिम स्टॉक लेखे के तहत दिखाया गया ।
5. 2023-24 को समाप्त वर्ष के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटका में राष्ट्रीकृत बैंकों के साथ तम्बाकू निधियों के कुल निवेश ₹ 68,854.75 लाख हैं । लेखा परीक्षकों के सुझावों के अनुसार, यह सावधिक जमाओं की राशि तुलन पत्र के चालू संपत्ति, ऋण & अग्रिम को अनुसूचित बैंकों के जमा लेखाओं (तुलन पत्र के एफडीआर) के साथ अनुसूची-11 में प्रदर्शित करना होगा । सभी सावधिक जमाओं को प्रत्यक्ष रूप से सात्यापित किया गया ।
- बोर्ड के साथ उपलब्ध सावधिक जमाओं के विवरण, विवरणिका के रूप में तैयार किया गया तथा विवरण को अनुलग्नक के क्रम में पाया गया ।
6. स्थिर संपत्तियों पर मूल्यहास को प्रो-रेटा मासिक आधार पर परिकलन किया गया । बोर्ड द्वारा अपनाये संपत्तियों पर मूल्यहास के दर निम्नलिखित प्रकार है :

 1. भूमि-पट्टधृति : 360 महीनों की अवधि
 2. भवन : पट्टधृति भूमि पर : 276 महीनों की अवधि
 3. पूर्णधृति भवन : 1.58% (आरसीसी छत)& 3.17% गैर - आरसीसी
 4. फर्नीचर & फिटिंग्स और विद्युत उपकरण : 9.50%
साइकिल, ग्रंथालय पुस्तकें, विविध उपकरण, टार्पलीन, ट्राली, वेयिंग स्केल & क्यूबिकल्स : 9.50%
 5. कार्यलय उपकरण, प्रदर्शनी उपकरण : 19%,
वैज्ञानिक उपकरण, कॉपियर मशीन : 19%
 6. अग्नि शामकों : 19%
 7. कंप्यूटर : 31.67 %

जहाँ तक ट्रालियों का सम्बन्ध है, कम्पनी के आधिनियम में कोई निश्चित प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। ये ट्रालियाँ मुटा लेवर श्रामिकों द्वारा अभद्रता से उपयोग किया जाता है। इन ट्रालियों की टूट-फूट बहुत अधिक होते हैं और ये काम करने के लिए अनुपयुक्त बन जायेगी। अतः ट्रालियों के मूल्यहास - दर @ 9.50% पर निर्धारित किया गया है।

अग्निशामकों पर मूल्यहास का दर 19% निर्धारित किया गया, जो अग्निशामकों के संबंध में, सिलिन्डरों में उपयोग किये जाने वाला पदार्थ, 5 वर्षों के बाद अनुपयुक्त होंगे, जो सही ढंग से न रखे। आग दुर्घटना के समय उपयोग के लिए एक बार तोड़े जाने पर, उसको प्राधिकृत अभिकरण के द्वारा सामग्री की पुनः भर्ती की जाने की जरूरत है, जोकि लागत - महँगा है।

उसी प्रकार, कॉपियर मशीन के लिए भी प्रति वर्ष 19% का मूल्यहास दर अपनाया गया है, क्योंकि कॉपियर मशीन का जीवनकाल 5,00,000 प्रतियों का है। 5,00,000 प्रतियों के जेराक्स की कालावधि के पश्चात मशीन की लागत बहुत खर्चीला है, जिसमें रखरखाव पर भारी खर्च लगता है।

संपत्तियों पर पिछले वर्ष की मूल्यहास के साथ दि. 31/10/2024 तक तम्बाकू बोर्ड की इथर संपत्तियों पर ₹ 512.09 लाख की कुल रकम का मूल्यहास किया गया है।

7. दि.31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष दौरान परिसंपत्तियों को, जो कि सीपीडब्ल्यूडी और राईट्स अभिकरणों को रीलीज अग्रिमों केलिए परिसंपत्तियों के रूप में कैपिटलजै/समायोजित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 से दौरान, सिविल, विधुत और रखरखाव प्रकृति के अंतर्गत कवर किये गये पूर्ण कार्यों के लिए ₹ 1,281.79 लाख सीपीडब्ल्यूडी/राईट्स को अग्रिम के लिए व्यय के रूप में (₹ 1,013.02 लाख) राशि और (₹ 268.77 लाख) राशि को प्रगताधीन पूँजीगत कार्यों के रूप में समयोजित किया गया था।
8. दि.31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर व्यय के लेखों पर ₹ 103.45 लाख की राशि खर्च हुई है, जिसमें जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, विजली मरम्मत & प्रतिस्थापन, स्वीपिंग व्यय और सतर्कता प्रचालनों पर व्यय आदि., शामिल हैं।
- दि.31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर प्राप्तियों के लेखा की लेखों पर ₹ 309.52 लाख की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें सतर्कता प्रचालनों पर जुर्माना, जीएसपी प्रमाणपत्र की बिक्री, न्यूस पत्रों को अंशदान, समाचार पत्रों की बिक्री, ग्रोयरों से बेल पट्टाओं के मूल्य अंतर, इनपुट ऋण खाता के अंतर्गत सरप्लस व्याज, निविदा फार्म की बिक्री आदि शामिल हैं।
9. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक क्रेताओं और ग्रोयरों से @1% एफसीवी तम्बाकू पर सेवा प्रभार लेखा के अंतर्गत ₹ 12,866.73 लाख राशि प्राप्त हुई।
10. 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने सरकार से कोई अनुदान सहायता को प्राप्त नहीं किया।
11. दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मेले तथा प्रदर्शनियों और विदेशी व्यापारी प्रतिनिधि मंडली के सम्बंध में ₹ 21.27 लाख की राशि खर्च की गयी है।
12. वर्ष 2023-24 के दौरान, सेवा निवृत्ति सुविधाएँ जैसे., उपदान (ग्राच्युटी), अवकाश वेतन और पदाधिकारियों को, जो सेवा निवृत्ति / निधन/ वीआर प्राप्त किये हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति सुविधाओं को भुगतान करने केलिए देयताएँ भी सम्मिलित हैं, के पेंशन नकदीकरण आदि., लेखाओं के अंतर्गत ₹943.19 लाख की राशि रही है।

13. दि.31/03/2024 तक तुलन पत्र के अनुसार चालू संपत्तियों, ऋण और अग्रिम लेखाओं के अंतर्गत ₹ 78,817.27 लाख की राशि उपलब्ध रही है।
14. ₹ 16.02 लाख की रकम 1977 तूफान ऋण लेखा से संबंधित प्रधान लेनदारों (किसानों) से बकाया है। सामान्य मुकदमों एवं ईपी, प्लैटफार्म अधिकार क्षेत्र में संबंधित मनानीय व्यायालयों के सामने दायर किये गये और ये मामले व्यायाधीन (सब-जुडिस) रहे हैं। बोर्ड ने, व्याज और कानूनी प्रभारों के अधित्याग में 50% जैसी ऋण की रकमों को, एक मुक्त निपटान के तहत देय बकायों को वसूल करने के लिए तीव्र प्रयत्न किये और देय बकाये की वसूली हेतु कमजोरी रही।
- अधिकाधिक लेनदार निधन हो गये और कुछ लोग बहुत बूढ़े याने., 85 से 90 उम्र के हो गये हैं और तम्बाकू पैदा नहीं कर रहे और न पता है। बोर्ड के द्वारा किये गये सभी प्रयासों के बावजूद, चूँकि कानूनी तौर पर कार्यवाई करने के लिए कोई बन्धक रखी गई सम्पत्ति नहीं रही। बाकी रकम की वसूली की संभावना कम है। जहाँ पर बोर्ड ने व्यायालयों का दरवाजा खटखटाया, वहाँ कानूनी खर्च व्यक्तिगत मामलों में बकाये रकम से बढ़कर रहा था।
- हैदराबाद में दि.28/07/2007 को संपन्न बोर्ड की 122वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और 1977 तूफान ऋणों के संबंध में हानियों को बट्टे खाते डालने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। क्योंकि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(2) के अनुसार हानियों को बट्टे-खाते डालने के लिए सरकार सक्षम है। इस संबंध में, बोर्ड ने मंत्रालय को पत्र लिखा और अनुरमारक भी लिखा था। इस संबंध में सरकार की रवीकृती प्रतिक्षित है।
- वि.वर्ष 2022-23 के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते समय भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग ने इस मामले की समीक्षा करने और आवश्यक प्रावधानों को करने का भी सुझाव दिया है। इसे आवश्यक कार्यवाई के लिए बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जायेगा।
15. निधि लेखाओं, जो वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि (टाइट-1) तथा तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि के उद्देश्य केलिए निम्नलिखित लेखाओं को, लेखापरीक्षा द्वारा सुझाये गये के अनुसार नियत/धर्मस्व निधियों की अनुसूची-3 के अंतर्गत दर्शाया गया है। बैंक शेष, निवेशों और निवेशों पर आय के अथशेष, सभी तम्बाकू बोर्ड के सभी उर्दिष्ट निधियों के लिए निवेश, बैंक शेष और निवेशों पर आय के साथ अन्य प्राप्तियों को 2023-24 के तुलन पत्र और प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण के संबंधित अनुसूचियों में प्रोजेक्ट किया गया था।
16. वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान) लेखा के अंगर्तत मार्जिन राशि के अंतर्गत निधि लेखा बहियों के अनुसार ₹ 3,190.87 लाख राशि उपलब्ध रहा था। व्यापार स्कंध, जो एमएसपी प्रचालनों के लिए ₹ 125.00 लाख मार्जिन राशि के साथ 1984 में भारत सरकार द्वारा सृजन किया गया। आगे, बोर्ड ने 1987 & 2000 के दौरान एम एस पी प्रचालनों केलिए ₹ 91.40 लाख लाभ प्राप्त किया और दि. 31/03/2024 तक नियत जमाओं पर व्याज के रूप में ₹ 2,974.47 लाख की राशि प्राप्त हुई है।
17. तम्बाकू बोर्ड सामान्य भविष्य निधि खाता के अंतर्गत लेखा बहियों के अनुसार ₹ 1,045.53 लाख की राशि उपलब्ध रही। सा.भ.नि. ब्राड शीट के अनुसार (जिसमें अंशदानों पर व्याज सम्मिलित) पदाधिकारियों को देय रकम ₹ 1,043.84 लाख राशि रहा था। 2023-24 वित्तीय वर्ष के अंत तक सा.भ.नि. खाता में ₹ 1.69 अधिशेष राशि उपलब्ध रही है। सावधिक जमाओं पर उपार्जित व्याज की अधिशेष राशि, जो पदाधिकारियों के अंशदान के रूप में देय व्याज से अधिक रही है।

18. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा के अंतर्गत, लेखा बहियों में ₹ 8,495.35 लाख उपलब्ध रही है । भा.जी.नि, के साथ ₹ 8,489.97 लाख राशि और रोकड बही के अनुसार बैंक में नकद के रूप में ₹ 5.38 लाख्र की राशि उपलब्ध रही है । तम्बाकू बोर्ड ने मौजूदा कर्मचारियों की डेटा जीवीनि को प्रस्तुत किया और भा.जी.नि ने दि.31/03/2024 तक ₹ 9,840.00 लाख राशि को एक्चूयरिप्ल मूल्यांकन द्वारा पेंशन देयता को परिकलित किया है । पेंशन देयता के लिए भा.जी.नि के पास ₹ 8,489.97 लाख जमा राशि को ध्यान में रखते हुए भारतीय जीवित बीमा निगम को ₹ 1,351.00 लाख की राशि शेष रहा है, इसको दि.31/03/2024 तक लेखा बहियों में देयता के रूप में उपनाया गया है ।

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग ने 2022-23 के लिए वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा आयोजन के दौरान 40% पेंशन परिवर्तित (कंम्यूटेशन) को देयता के रूप में प्रावधान को निर्माण करने पर राय प्रकट की है । इस संबंध में, भाजीवीनि ने यह सूचित किया कि बीमांकिक मूल्यांकन को परिगणना करते समय वेतन के 40% परिवर्तित (कंम्यूटेशन) हिस्सा सहित पूरा पेंशन राशि को ध्यान में रख रही हैं । अतः पेंशन देयता में पेंशन का परिवर्तित (कंम्यूटेशन) मूल्य भी शामिल होता है । यदि पेंशन के परिवर्तित हिस्सा के लिए कोई दूसरा प्रावधान बनाया गया है, तो इसके परिणामस्वरूप परिवर्तित (कंम्यूटेशन) हिस्से की देयता दुगुनी हो जायेगी ।

19. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना खाता के अंतर्गत खाता बहियों के अनुसार ₹23.57 लाख की राशि निधि में उपलब्ध रहा था । इस एनपीएस के अंतर्गत कवर होने वाले पदाधिकारियों को देय कर्मचारी और नियोक्ता (तम्बाकू बोर्ड) अंशदान को मौजूदा नियमों के अनुसार में एनएसडीएल, मुंबई को रेमिट किया जाता है । उक्त राशि में दि. 31/03/2024 तक तम्बाकू बोर्ड में नये भर्ती/निकासी पदाधिकारियों द्वारा पी आर ए एन (प्रान) को माँगते हुए एनएसडीएल को एनपीएस पदाधिकारियों को वापसी राशियों/शेष भुगतान के साथ निधि लेखा के अन्तर्गत अधिशेष (सरप्लस) की राशि शामिल है ।

20. तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना लेखा के अंतर्गत रहे निधि में बही खाताओं के अनुसार ₹ 6,993.92 लाख की राशि (आन्ध्र प्रदेश ₹ 4,444.74 लाख + कर्नाटक ₹ 2,549.18 लाख) उपलब्ध रहा था ।

भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 06/05/2007 -ईपी (आगि. VI) दि. 28/07/2008 द्वारा 2009-10 के दौरान ग्रोयरों द्वारा अप्रधिकृत तम्बाकू और आधिक्य तम्बाकू की बिक्री पर वसूल किये जाने वाले जुर्मानाओं के लिए तम्बाकू किसानों और तम्बाकू बोर्ड के बीच 1:2 अनुपात में अंशदान के साथ तम्बाकू ग्रोयर कल्याण योजना को सृजन करने के लिए अनुमति को सूचित किया ।

21. उपदान (ग्राट्युटी) और अवकाश नकद की निधि खाता सृजन करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया था और सरकार से स्वीकृत प्राप्त होनी है । सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उपदान (ग्राट्युटी), अवकाश वेतन और अधिवेतन राशि का सही परिकलन वर्कआउट किया जायेगा तथा निधि खाता को वास्तविक भुगतान करने के बाद वास्तविक देयता को प्रावधान किया जायेगा ।

उपदान, अवकाश वेतन और अर्ध-वेतन छुट्टी लेखा के लिए भुगतान देयता की गणना मौजूदा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार की जाती है और इसे बहियों में देयता के रूप में प्रोवैड किया गया ।

दि. 30/03/2024 तक मौजूदा कर्मचारियों के लिए उपदान और अवकाश नकदीकरण की वास्तविक देयता को परिकलित किया गया और इसे दि.31/03/2024 तक सी.सी.ए.(पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार ₹ 3,486.44 लाख राशि (उपदान ₹ 1,872.00 लाख + अवकाश नकदीकरण = ₹ 1,614.44 लाख) के लिए बाहियों में इसे परिकलन किया था ।

22. नीलामकार की सेवाएँ (क्रेता प्राधिकरण शुल्क, डेमरेज प्रभार & बेल पट्टा), कानूनी परामर्श सेवाएँ (लीगल प्रभार) और किराया-कॉब-प्रचालक सेवा (वाहनों को भाड़ा) की सेवाओं पर सेवा कर से संबंधित सेवा कर विभाग को देय ₹ 178.44 लाख की राशि को प्रोविजनल देयताओं के रूप में लिया गया, जो कि यह मामला सीईएसटीएटी, हैदराबाद के अधीन हैं। कंपेनियों से देय राशि ₹ 4.96 लाख को लेखा बहियों में चालू संपत्तियों के रूप में दिया गया। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग ने वि.वर्ष 2022-23 के लिए लेखाओं को लेखा परीक्षा करते समय कंपेनियों से बकाया राशि, जो यह मामला बहुत समय से लंबित है, को समीक्षा करने और आवश्यक प्रावधानों को करने के लिए सुझाव भी दिया गया है। यह मामले को आवश्यक कार्यवाही लेने आगामी बैठक में रखा जायेगा।
23. दि. 31/03/2024 तक सेवा निवृत्त लाभों, संपत्ति कर, तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा) को और अन्य लेखा शीर्षों के साथ देय राशि और सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स आदि., के कार्यकारी अभिकरणों को देय राशि को लेखा बहियों में बकाया देयताओं के रूप में प्रावधान की गई है।
24. तम्बाकू बोर्ड ने, मेसर्स. उमामहेश्वर राव & कंपनी, गुण्टूर के चार्टर लेखाकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29) (क) (घ) के अंतर्गत आयकर को भुगतान करने से छूट होने पर भी, बोर्ड के लेखाओं पर कर-लेखा परीक्षण अपनाने के बाद कर रिटर्नों को, जो आयकर अधिनियम, 1961 के नियमों के नूतन परिवर्तनों के अनुसार 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए और 2023-24 निर्धारण वर्ष के लिए आय कर रिटर्न नस्तित की है।
25. तम्बाकू बोर्ड ने, जीएसटी मानदण्डों के अनुसार लेखा-परीक्षा पूरा होने के बाद जीएसटी विभाग द्वारा समय-समय पर कर देयताओं को चुकाने के बाद अधिकृत लेखाकार मेसर्स. वंगला & असोसियेट्स, गुण्टूर द्वारा 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-7 की मासिक रिटर्न और जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9 सी की वार्षिक रिटर्न नस्तित किया है।
26. तम्बाकू बोर्ड, माँगे गये पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को रासायनिक उर्वरकों को प्रोक्यूरिंग और वितरित कर रही है। 2008-09 तक, ग्रोयरों को उर्वरकों को वितरण करने के लिए स्पाईसेस ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसीएल) की सेवाओं को अपना ली थी। 2009-10 के दौरान, मेसर्स. एसटीसीएल की सेवाएँ अनुपलब्धता के कारण बोर्ड ने ग्रोयरों को उर्वरकों को वितरण करने का कार्य अपना लिया था। इन प्रचालनों के लिए उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मैसूर ने ग्रोयरों को, जो कि यह केवीएटी अधिनियम, 2003 के अंतर्गत डीलर की अनुज्ञाप्ति प्राप्त नहीं करने के कारण यह बिलम्बित भुगतान रहा था, के लिए उर्वरकों को वितरण करने के लिए कर राशि ₹ 2,34,27,445/- और इस पर कर जुर्माना ₹70,28,233/- को अदा करने के लिए कर निर्धारण आदेश दि. 27/05/2011 द्वारा बोर्ड को (सूचना) जारी किया।

इस संबंध में, बोर्ड ने कर्नाटका राज्य सरकार से और माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बेंगलूर को अपील करने के द्वारा अनेक प्रयास किये थे। बोर्ड द्वारा दायर किया रिट पीटिशन को माननीय अदालत द्वारा बरखास्त कर दिया गया था।

आगे, इस संबंध में, बोर्ड ने, दि. 07/12/2013 को विक्री कर अपीलेट न्यायालय, कर्नाटका, बेंगलूर को अपील की। यह ट्रिब्यूनल (न्यायालय) दि. 31/12/2013 को डीसीसीटी (वीएटी), लेखा परीक्षा-I, मैसूर के साथ 30% कर राशि ₹ 91,36,703/- को जमा करने पर मामला को स्वीकार किया। आगे, उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वीएटी लेखा परीक्षा-I, मैसूर के नाम पर ₹2,13,18,975/- की राशि को बी.जी. के रूप में रखा गया। ट्रिब्यूनल

ने आदेश दि. 31/08/2016 द्वारा बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया गया था । अतः पूरा कर + जुर्माना राशि को बैंक गारंटी रद्द करने के द्वारा उप आयुक्त, वाणिज्यक कर, मैसूर को दि. 25/11/2016 को चुकाई गई । डीसीसीटी वीएटी (लेखा परीक्षा-I), मैसूर को ₹3,04,55,678/- की कर राशि की प्राप्त होने के बाद, फिर से ₹3,26,98,056/- की राशि के लिए, जो दि. 21/05/2009 से 25/11/2016 तक अवधि के लिए उक्त कर पर ब्याज से संबंधित है, के संबंध में दि. 09/12/2016 को एक और डिमान्ड नोटीस जारी किया था । इस संबंध में, बोर्ड ने केवीएटी के आदेश और दि. 09/12/2016 को जारी डिमान्ड नोटीस को चुनौती देते हुए एक रिट पिटीशन दि. 02/01/2017 को माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बैंगलूर के सामने दायर किया ।

माननीय उच्च न्यायालय ने, कर निर्धारण (असेसमेंट) आदेश दि. 27/05/2011 को जारी, जो अभियोजिक (डीसीसीटी, वीएटी, कर्नाटका) के साथ ₹32,69,805/- की राशि पीटिशनर को जमा करने के शर्त पर, आगे की कार्यवाही के लिए हॉटिंग रटे जारी किया। इसी बीच, कर्नाटका राज्य सरकार ने कर समाधान योजना - 2017 द्वारा बीएटी, सीएसटी और केईटी आदि., से जुर्माना और ब्याज को अधित्याग, जो दि. 01/04/2005 से 31/03/2016 तक रहे कर अवधि के लिए दि. 15/03/2017 तक राशि अदा नहीं किया गया है तथा ब्याज और जुर्माना भुगतान से संबंधित मामले लंबित रहा है, को ब्याज और जुर्माना को केवल 10% मात्र भुगतान करने से अधित्याग देने के लिए योग्य बना दिया है ।

उक्त मामला की स्थिति को देखते हुए, बोर्ड ने सीटीडी. सं. संख्या. 1789617671 द्वारा दि. 30/05/2017 को ई-पेमेंट के जारिये ₹32,69,805/- की राशि भुगतान किया तथा कर समाधान - 2017 के अंतर्गत ब्याज से छूट लाभ को प्राप्त करने ऑन - लाईन आवेदन को नस्तित किया और एक समय लाभ योजना, जो कर्नाटका सरकार द्वारा घोषित किया गया था, को उपयोग करके अपील को डिसमिस करने बोर्ड ने माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बैंगलूर में एक स्मारक (मेमो) दायर किया । बोर्ड ने कर समाधान योजना स्कीम का लाभ उठाकर डीसीसीटी वीएटी (लेखा परीक्षा), मैसूर को डिमान्ड नोटीस की 10% राशि ₹32,69,805/- को भुगतान किया और कर्नाटका के उच्च न्यायालय ने उक्त राशि को भुगतान पर यह मामला सेटिलमेंट होने कारण इस मामला को दि. 30/05/2017 डिस्पोज किया था । डीसीसीटी-वीएटी विभाग से समाशोधन प्रमाण पत्र अभी तक प्रप्त नहीं हुई है और 2024-25 के दौरान आवश्यक कदम उठाया जायेगा क्योंकि यह मामला प्रशासनिक कारणों से पूरा नहीं हुआ है ।

27. आय कर - वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा आय कर विभाग को कोई बकाया राशि भुगतान नहीं किया जाता है ।
28. विक्री कर - वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा विक्री कर विभाग को कोई बकाया राशि भुगतान नहीं किया जाता है ।
29. नगर निगम कर - संपत्ति कर को संबंधित ग्राम पंचायत, नगर निकायों और निगमों के प्राधिकारियों से डिमान्ड नोटीस प्राप्त होने पर भुगतान किया जाता है । ग्राम पंचायतों से संबंधित संपत्ति कर के लिए देय बकाया राशियों को आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के संबंधित राज्य सरकार उत्तर की अपेक्षा में लेखा बहियों में आकस्मिक देयता के रूप में लिया गया है ।
30. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कनिगिरी नीलाम प्लैटफार्म में अग्निशमन उपकरणों के लिए बैंक गारंटी के मुद्दे को समाशोधन के लिए लिया जायेगा, क्योंकि गारंटी की अवधि समाप्त हो गयी थी । इससे संबंधित पत्र बैंक को समायोजन के लिए लिखा गया था ।

31. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, नीलाम की 8वीं दिन को संबंधित नीलाम प्लैटफार्म लेखा को इलेक्ट्रॉनिक फन्ड ट्रान्सफर के द्वारा क्रेताओं से प्राप्त तम्बाकू खरीद मूल्य और नीलाम की 9वीं दिन को संबंधित वैयक्तिक ग्रोयरों के खाता की बिक्री प्रोसीड़ों को ई-भुगतान द्वारा आव्ध प्रदेश और कर्नाटक के सभी नीलाम प्लैटफार्म में एसबीआई फास्ट सीएमपी आन्तरिक पोर्टल खाता की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा किया जाता है।
32. लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, नीलाम तारीख के अनुसार सेवा शुल्क की उपार्जित प्राप्ति, वस्तु एवं सेवा कर की देयता और क्रेताओं से तम्बाकू मूल्य की उपार्जित प्राप्ति को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आय व व्यय लेखा में लिया गया है।
33. लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, उपादान और अवकाश नकदीकरण लेखाओं से संबंधित अल्पकालिक और दीर्घकालिक देयता का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, तुलना पत्र की देयता के पक्ष में प्रोजेक्ट किया गया।
34. लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तुलन-पत्र के संपत्ति पक्ष में सीपीडब्ल्यूडी और राईट्स को दिये गये अग्रिमों के लिए पूँजी और राजस्व प्रकृति के लिए सीपीडब्ल्यूडी और राईट्स को अग्रिम भुगतान का ब्रेक-ऑप विवरण दिया गया है।
35. बजट रसीद और व्यय-तम्बाकू बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आन्तरिक संसाधनों (रसीदों) से ₹16,668.52 लाख की प्राप्ति और ₹10,389.68 लाख राशि को व्यय किया गया है।
36. महानिदेशक, महानिदेशक - वाणिज्यक लेखा परीक्षा का कार्यालय और पदेन - सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, हैदराबाद के अ.स. पत्र दि.14/03/2024, सं. डीजीसीए/लेखा डेस्क/2022-23/1.42/319 के अनुसार लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए तम्बाकू बोर्ड के लेखाओं पर प्रबंध-पत्र में ऐज किये गिन्दओं पर रेमिडिकल कार्वाई के लिए पत्र लिखा। लेखापरीक्षा द्वारा सूचित संशोधनों को वर्ष 2023-24 के तम्बाकू बोर्ड के वित्तीय विवरणियों में निम्नानुसार लिये गये :
- 1) वि.वर्ष 2022-23 के दौरान भूमि और भवन लेखाशीर्ष के अन्तर्गत ₹ 5.65 लाख राशि को पूँजी में परिणित किया गया था। लेखा-परीक्षा विभाग ने प्रकट किया था कि किये गये व्यय मरम्मत और रखरखाव की प्रकृति का था, जिसे व्यय के वर्ष में चार्जड ऑफ करना चाहिए। तम्बाकू बोर्ड ने समयोजन प्रविष्टियों को स्वीकृत करके इस संबंध में आवश्यक सुधार किये हैं।
 - 2) तम्बाकू बोर्ड ने 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान संपत्ति कर की भुगतान से संबंधित ₹ 141.12 लाख की देयना राशि को वापिस लिया है। वापिस ली गई देयता राशि को आय और व्यय लेखा के व्यय लेखा पक्ष में ऋणात्मक राशि के रूप में लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यह अप्रत्यक्ष रूप में व्ययोपरि आय के अधिशेष राशि में वृद्धि होती है। फिर भी, लेखा-परीक्षा ने राय प्रकट किया था कि यह ऋणात्मक आँकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाओं के प्रारूप के अनुसार नहीं है। लेखा-परीक्षा विभाग ने यह भी अवलोकन किया कि निकाली गई राशि की अवधि, जिससे वह संबंधित है, का स्पष्ट रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया था। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि संपत्ति कर का भुगतान माँग पत्र जारी करने पर लंबित रखे बिना किया जाना है और अब यह ₹ 76.29 लाख राशि को रैजड डिमान्ड के अनुसार बकाया देयता राशि के रूप में ली गई है।
 - 3) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग 2022-23 के लिए वार्षिक लेखाओं की लेखा-परीक्षा आयोजित करते समय 40% की प्रतिपूरक पेंशन को देयता के रूप में करने का प्रावधान को सृजन करने का राय प्रकट किया। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि जीवीनि ने विमांकिक मूल्यांकन की गणना करते समय वेतन के 40% प्रतिपूरक पेंशन राशि के हिस्सा सहित पूरा पेंशन राशि को ध्यान में रख रही है। अतः पेंशन देयता में पेंशन की परिवर्तित मूल्य भी शामिल होता है। यदि पेंशन की प्रतिपूरक हिस्सा के लिए एक और प्रावधान बनाया जाता है, तो इससे प्रतिपूरक हिस्सा की देयता दोगुना हो जायेगी।

- 4) तम्बाकू बोर्ड के एफडीआर द्वारा अर्जित व्याज पर विभिन्न बैंकों द्वारा कटौती की गई ₹ 29,502/- राशि को 2022-23 के लिए खाता बाहियों में आय के रूप में नहीं लिया गया था। इसे 2023-24 में रिटर्नों को नत्यीकरण करने के द्वारा इस राशि को दावा करने के बाद इस राशि को आय के रूप में लिया गया है।
- 5) कर्मचारियों, जिन्होंने 5 साल की न्यूनतम सेवा आवश्यकता को समाप्त नहीं किये थे, के संबंध में उपादान देयता को परिकल्पित किया गया था। इस विषय को अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया था और इसे 2023-24 में ध्यान में लिया गया था।
- 6) उपदान देयता की परिणामना करते समय, 07 मामलों में व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए ₹ 20.00 लाख से अधिक परिणाम आया था। इससे देयता की अत्युक्ति बन गया। इस विषय को अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया था और इसे 2023-24 में ध्यान में लिया गया था।
- 7) विविध देनदारियों, जिसमें चक्रवात ऋण वसूली से संबंधित ₹ 16.75 लाख राशि और कंपेनियों से ₹ 4.96 लाख राशि की सेवा बकाया शामिल है, जो लगभग 30 वर्षों से बकाया है। लेखा-परीक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखाओं को लेखा-परीक्षा करते समय सुझाव दिया था कि कंपेनियों से बकाया राशि की मामले को समीक्षा करें, जो लंबे समय से लंबित रहा है और इस के लिए आवश्यक प्रावधान करें। हम इस विषय को आवश्यक कार्यवाही के लिए आगामी बैठक में रखेंगे।
- 8) लेखा-परीक्षा ने अवलोकित किया कि तम्बाकू बोर्ड ने उद्दिष्ट निधियों को “लक्ष्य संबंधित उपयोग/व्यय” के अन्तर्गत दिखाने के बजाय “निकासियों” के रूप में प्रकट कर रहा है। इसे अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया था।
- 9) लेखा-परीक्षा अवलोकित किया कि लेखाओं की समरूपी फार्मेटों के अनुसार, अनुसूची-7 दो उप-शीर्ष होनी चाहिए याने., वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान और प्रत्येक उप-शीर्ष का कुल योग को अलग से प्रकट करना चाहिए। इसे अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया था।
- 10) लेखा-परीक्षा ने यह अवलोकित किया कि उद्दिष्ट निधियों से किये गये निवेशों से वर्ष के लिए प्राप्त आय से संबंधित ₹ 2.66 करोड़ राशि को लेखाओं की समरूपी फार्मेटों के अनुसार अनुसूची-11 के अन्तर्गत प्रकट नहीं किया गया था। इसे अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया था।
- 11) लेखा-परीक्षा ने अवलोकित किया कि कर्मचारियों को भुगतान किये गये ₹ 33.93 लाख की ‘‘चिकित्सा दावाओं’’ और ₹ 4.81 लाख की ‘‘एलटीसी दावाओं’’ को ‘‘कर्मचारी कल्याण व्ययों’’ के अन्तर्गत प्रकट करने के बजाय ‘‘अन्य’’ उप-लेखा के अन्तर्गत प्रकट किया गया था। इसे अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया था।
- 12) “क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों” को क्षति विवरणियों के साथ “स्थिर संपत्तियों” के लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पृथक नोट के रूप में प्रकट करना होगा। यह कार्य प्रगताधीन है और इसे 2023-24 के लेखा-परीक्षा के दौरान लेखा-परीक्षा दल को प्रकट करना होगा, जो कि कर्मचारियों की भारी कमी है।
- 13) प्रबंध ने यह सुनिश्चित किया है कि वित्तीय विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित किया गया है।
- 14) प्रबंध ने यह सुनिश्चित किया है कि उपादान और अवकाश नकदीकरण के प्रावधानों को लेखाओं की समरूपी फार्मेटों के अनुसार अलग उप-शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया गया है।

ह/- xx xx xx
 (एम. रवनबायम्मा)
 प्रबंधक (विवले) प्रभारी

2011-12 से 2023-24 तक गैर-योजना और योजना के अंतर्गत निधि गति स्थिति दर्शनिवाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्रं.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अन्यशेष (योजना & गैर-योजना)	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21	55788.64	58886.19	61493.09	60638.28	60215.90	62237.73
2	प्राप्तियाँ क) गैर-योजना ख) योजना	15650.73	11541.65	15083.54	16581.13	15387.68	14399.60	14477.23	15395.93	15558.10	12777.00	11029.31	12490.21	17665.12
3	सहायता अनुदान क) गैर-योजना ख) योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कुल (आई ई बी आए) (1 से 3)	41519.08	45548.02	51626.35	57965.79	63083.86	66298.66	69178.44	71184.57	74444.29	74270.09	71667.59	72706.11	79902.85
5	व्यय क) गैर-योजना ख) योजना	1565.04	2054.13	2061.98	1728.82	634.50	748.37	13389.80	12298.38	12951.20	13631.81	11451.69	10466.38	10489.93
	कुल व्यय (5)	7112.71	9405.21	10241.69	10269.61	11184.80	11597.45	13389.80	12298.38	12951.20	13631.81	11451.69	10466.38	10489.93
6	अन्यशेष (4-5)	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21	55788.64	58886.19	61493.09	60638.28	60215.90	62237.73	69412.92

संकेताक्षर

आं.प्र	आन्ध्र प्रदेश
एपीएफ/ए.पी.एफ	नीलाम प्लैटफार्म
औ.मू.	औसत मूल्य
बीएटी	बिटिश अमेरिकन टोबैको
बीजी	बैंक गारंटी
नी.अ./व.श्रे.अ.	नीलामी अधीक्षक/वरिष्ठ श्रेणीकरण अधिकारी
क्षे.अ./क्षे.स.	क्षेत्र अधिकारी/क्षेत्र सहायक
सीएमओ	आम बाजार संगठन
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीपीए'एस	फसल सुरक्षा एजेंट
सीटीआरआई	केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान
इएलएस	पूर्वी हल्की मिट्टी
इयू	यूरोपीय संघ
एफसीवी	फ्लू कूरिड वर्जीनिया
जीआई	गाल्वनैजिड आईरन
जीआरएल	गाइडेंस अवशिष्ट स्तर
जीएसपी	सामान्यीकृत प्राथमिक प्रणाली
हेचए/हे.	हेक्टर
आईएलटीडी	भारतीय पत्ता तम्बाकू डिवीजन
आईपीएम	एकीकृत कीट प्रबंध
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन संगठन
आईटीए	भारतीय तम्बाकू संघ
आईटीसी	भारतीय तम्बाकू कंपनी
आईटीडीए	भारतीय तम्बाकू डीलर संघ
केके के.के	कर्नाटका
केएल एस	कर्नाटका हल्की मिट्टियाँ
एलएसआई	स्थायी निर्देश के पत्र
एम.केजीएस/एम.केजीएस	मिलियन किलोग्राम
एमझपी	न्यूनतम नियात मूल्य
एमजीपी	न्यूनतम गारंटी मूल्य
एमकेटीडी.	विपणित
एमपीए	मोडल परियोजना क्षेत्र
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एनबीएस	उत्तरी काली मिट्टी
एनएपीहेचएम	राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान
एनएलएस	उत्तरी हल्की मिट्टी
एनपीवी	न्यूक्लियर पालि हेन्ड्रायिस वैरस
एनटीआरएम	गैर तम्बाकू से संबंधित सामग्री
ओएफटी'एस	आन-फार्म परीक्षण
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
पीहेचपीएम	फार्म हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध
क्यूटीवाई.	परिमाण
आरसीएमसी	पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र
आरएटीहेस	रेल इंडिया टेक्निकल एंड और आर्थिक सेवाओं
एसएलएस	दक्षिणी हल्की मिट्टी
एसबीएस	दक्षिणी काली मिट्टी
एसटीएल	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला
टीबीएस	पारंपरिक काली मिट्टी
टीओएलऐसी	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
टीक्यूसी	तम्बाकू गुणवत्ता मंडल
यूएइ	संयुक्त अरब अमीरात
यूके	यूनाइटेड किंगडम
यूएस	अमेरिका

भारतीय तम्बाकू और उत्पादों का सम्मोहक प्रदर्शन को अन्वेषण करें।



भारत - उत्कर्ष तम्बाकू के लिए सही गन्तव्य स्थान



अं.प्र.सं 9001 : 2015
से प्रमाणित संस्था

तम्बाकू बोर्ड भारत
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार
गुण्ठर - 522 004 (आं.प्र.), भारत
फोन : 0863 2358399
ई-मेईल : info@tobaccoboard.co.in
वेबसाईट : www.tobaccoboard.com



वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार

गुण्ठूर - 522 004 (आं.प्र), भारत / फोन : 0863 2358399

ई-मेईल : info@tobaccoboard.co.in

वेबसाईट : www.tobaccoboard.com